

सशक्त संगठन

समर्थ कर्मचारी

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०



त्रैमासिक
ई-पत्रिका

उद्घाटन

जुलाई-सितम्बर 2022

संपादकीय समिति



डॉ नृपेन्द्र सिंह

अध्यक्ष, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश
संरक्षक : उद्घोष, त्रैमासिक ई-पत्रिका



श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह

सम्पर्क सूत्र : 7398372302

सम्पादक

श्री भागवत शुक्ल

सम्पर्क सूत्र : 9936595999



सह-सम्पादक



श्रीमती मोनिका शर्मा

जनपद न्यायालय, गौतमबुद्धनगर



श्री सर्वेश कुमार गौतम

जनपद न्यायालय, औरैया



श्री उमेश चन्द्र जायसवाल

जनपद न्यायालय, बस्ती



श्री ऋषि यादव

जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद



श्री महेश्वर किशोर सिंह

जनपद न्यायालय, गोरखपुर

सदस्य सम्पादक मंडल



श्री राजकुमार स्वरवार

जनपद न्यायालय, बांदा



श्री अरविन्द कुमार मिश्र

जनपद न्यायालय, इलाहाबाद



श्रीमती प्रीति पाठक

जनपद न्यायालय, गौतमबुद्धनगर



सुश्री शेफाली तिवारी

जनपद न्यायालय, जालौन



श्रीमती प्रियंका बाजपेई

जनपद न्यायालय, मुजफ्फरनगर



श्रीमती ऋचा अवस्थी

जनपद न्यायालय, श्रावस्ती



श्री चन्दन पाण्डेय

जनपद न्यायालय, मुरादाबाद



श्री विवेक मिश्र

जनपद न्यायालय, अम्बेडकरनगर



श्री नितिन तिवारी

जनपद न्यायालय, उन्नाव



श्री हिमांशु शुक्ल

जनपद न्यायालय, श्रावस्ती

आप सबके समक्ष पुनः हमारी संपादकीय टीम अपने बेहतरीन लेखकों के मौलिक लेखों के साथ **उद्घोष** की प्रस्तुति कर रही है। यह आपका प्रोत्साहन ही है कि कदम दर कदम हम **उद्घोष** को नित नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम संगठन के सदस्यों की रचनाशीलता और उनके व्यक्तित्व के नए आयाम निखारने को प्रतिबद्ध है।

हमारे मध्य इतने विद्वान लेखक इतने बेहतरीन कवि भी है यह मैं तभी जान सका जब **उद्घोष** का प्रथम अंक प्रकाशित किया। निश्चित ही हमारी पत्रिका प्रदेश के कर्मचारियों के मध्य खोए लेखकों और कवियों की खोज में सफल हुई है। इससे हमने आपसी सद्भाव और सामंजस्य को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया था वह आप सबके सहयोग से सफल भी रहा है।

आशा है कि इस अंक की प्रस्तुति भी आपको पसंद आएगी। हमने इस अंक के माध्यम से अपने बेहतरीन कलमकारों का सम्मान भी किया है, आपकी रोशनायी से ही रोशन है हमारा **उद्घोष** इस अंक की प्रस्तुति हमारे कलमकारों के नाम....



नरेन्द्र विक्रम सिंह

प्रधान संपादक

उद्घोष त्रैमासिक ई-पत्रिका

जिला एवं सत्र न्यायालय फिरोजाबाद के कर्मचारी श्री राम सनेही जी के सुपुत्र श्री अक्षय कुमार जी ने पी०सी०एस० परीक्षा परिणाम 2021 में तैंतीसवीं रैंक लाकर **DYSP** का पद हासिल किया है। श्री अक्षय कुमार जी शिकोहाबाद के नारायण इण्टर कालेज से बी०ए०सी० और कानपुर से भौतिकी में एम०एस०सी० करने के पश्चात् दिल्ली में रहकर यू०पी०एस०सी० की तैयारी कर रहे थे।



उत्तर प्रदेश पी०सी०एस० परीक्षा में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सफलाता हासिल की है। श्री अक्षय कुमार जी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पित श्री राम सनेही जी (पेशकार, जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद), माता श्रीमती दुर्गावती, भाई श्री राजेश भारतीय, श्री रविप्रकाश, श्री सचिन सहित समस्त रिश्तेदारों एवं परिचितों को दिया।



उद्घोष त्रैमासिक ई-पत्रिका परिवार की ओर से श्री राम सनेही जी को उनके सुपुत्र की सफलता पर ढ़ेरों बधाई, साथ ही आपका त्याग और समर्पण सार्थक करने वाले सुपुत्र श्री अक्षय कुमार जी द्वारा अपने अथक परिश्रम, लगन से द्वारा प्राप्त की गई सफलता पर बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं 11

“अमूल्य निधि” दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र० : पंडित अनिल

देश के न्यायालय कर्मचारियों का एक पुराना संगठन है जिसका पंजीकरण 1928-31 में हुआ प्रारंभ काल में इसे सिविल कोर्ट मिनिस्टीरियल आफिसर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था ! इस संगठन का 41 वां प्रांतीय अधिवेशन/ चुनाव बाराबंकी जिले में संपन्न हुआ जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष पद पर प्रदेश के न्यायालय कर्मचारियों के लोकप्रिय नेता और विगत संघ के प्रांतीय अध्यक्ष बदायूं के डाक्टर नृपेंद्र सिंह व महासचिव पद पर न्यायालय कर्मचारियों के



जन प्रिय नेता एवम बेहतरीन वक्ता श्रावस्ती के नरेंद्र विक्रम सिंह दोबारा चुने गए। इसी के साथ अनेक पदाधिकारियों सहित पूरी कैबिनेट का चुनाव प्रदेश कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेकर इन्हे चुना इस कैबिनेट के प्रयास से कर्मचारियों के हित में काम करने के प्रयास किए गए जिनमे इलेक्ट्रॉनिक उद्घोष पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया जिसका जुलाई से सितंबर का अंक प्रकाशित होने जा रहा है जिसमें संघ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित बाराबंकी जिले के न्यायालय कर्मचारियों के नेता रहे पंडित अनिल शुक्ल, जिन्होंने जिले प्रदेश और राष्ट्र स्तर तक नेतृत्व कर संघ को शक्ति प्रदान किया उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के माध्यम से विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है! पंडित अनिल शुक्ल का जन्म 14 जनवरी 1943 को गोंडा जिले के नौशहरा मोहल्ले के राधा मोहन कोठी में हुआ था इनके पिता श्री सूर्य नारायण शुक्ल गोंडा जिले के विद्वान् जनपद न्यायाधीश के चीफ रीडर थे! इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांधी विद्या मंदिर इंटर कालेज गोंडा में हुई, 30 अगस्त सन 1967 को इनके पिता श्री सूर्य नारायण शुक्ल को न्यायालय में ही हृदय गति में अवरोध उत्पन्न हुआ और उनका स्वर्गवास हो

गया, तदोरान्त ये अपने गृह जनपद बाराबंकी वापस आ गए और यहां सिटी इंटर कालेज में हाई स्कूल में दाखिला लिया यहां इनके संरक्षक के रूप में जिला बार एसोसिएशन के 45 वर्षों तक अध्यक्ष पंडित सीता कान्त शुक्ल रहे। उल्लेखनीय है कि पंडित अनिल शुक्ल ने परिवारिक परिस्थितियों में उतार चढ़ाव के मध्य कुछ समय खलीलाबाद (संतकबीर नगर) के एच आर इंटर कालेज में व फैजाबाद के फार्ब्स इंटर कालेज में भी शिक्षा ग्रहण करने हेतु

क्रमशः अपने बहनोई व मामा के संरक्षण में कालेज में दाखिला लिया परंतु नेतृत्व के गुण के विकास के कारण उक्त दोनों कालेजों में इन्होंने छात्र समस्याओं के सिलसिले में हड़ताल करा दिया। जनपद खलीलाबाद के कालेज में तो हड़ताल इन्होंने उक्त विद्यालय के इतिहास में पहली बार कराया। जिससे इनके बहनोई से अनबन हुई और ये अपने ननिहाल फैजाबाद चले आए, जहां भी इनके नेतृत्व के गुण ने हड़ताल करा दिया। फलस्वरूप मामा से अनबन के कारण अपने बाराबंकी में सिटी इंटर कालेज में दाखिला लिया यहां भी जनगणना के सिल सिले में एक शिक्षक के साथ नगर पालिका के अधि शासीय अधिकारी के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध हो इन्होंने सिटी इंटर कालेज से नगर पालिका बाराबंकी तक का छात्र जुलूस निकलवा कर जिले के छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बना बाराबंकी में अपनी लोकप्रियता स्थापित किया। यहीं से हाई स्कूल, इंटर करने

के बाद ये के के वी डिग्री कालेज लखनऊ से बीए की डिग्री डेली पैसेंजर बाराबंकी-लखनऊ स्टूडेंट लीडर के रूप में ख्याति प्राप्त करते हुए हासिल किया ! इंटर और बीए के मध्य इनका साथ बाराबंकी के पत्रकारों से हो गया, और गाहे-बगाहे ये



दैनिक, आज वाराणसी, नवजीवन लखनऊ में खबरें लिखने लगे जो छपने लगी और ये जिले के पत्रकारों की खबरे लखनऊ में भी प्रायः देने जाते रहे जिससे इनकी रुचि पत्रकारिता में बढ़ती चली गई, और ये बाराबंकी संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के समाचार संपादक नियुक्त हुए, जिसमे इन्होंने संसोपा नेता राज नारायण के बयान बिहार हत्या कांड पर दिए गए को प्रमुखता से छापा। जिससे इनकी छवि में इजाफा हुआ इसी मध्य इमरजेंसी काल में एक बड़े राजनीतिक वैमनश्य से इन्हे बाराबंकी जिले से हटना पड़ा और ये बिहार के राम गढ़ कैट निकट रांची के इन्होंने कोयले का बिजनेस स्टार्ट किया परंतु इसी मध्य बाराबंकी सिविल कोर्ट में क्लर्को की वेकेंसी निकली तो इन्हें बिहार से बुला कर उसमे अप्लाई कराया गया जिसमें 20 मई 1976 को इन्होंने एक “पेड एग्रेटिस” के रूप में ज्वाइन किया, इनकी नियुक्ति विद्वान् जिला न्यायाधीश बाराबंकी श्री बी० बी० श्रीवस्तव जी के कार्य काल में हुई! इन्होंने बाद ज्वाइन करने नौकरी परमीशन ले तीन वर्ष की एल०एल०बी० डिग्री शिया डिग्री कॉलेज व लखनऊ विश्व विद्यालय से सायं व प्रातः काल के क्लासेज ज्वाइन कर हासिल किया ! नौकरी सन 1976 में ज्वाइन करने के उपरांत ही लखनऊ सिविल कोर्ट में कर्मचारियों की हड़ताल हुई तो नेतृत्व के गुण के कारण ये लखनऊ के नेताओं के संपर्क में आ गए और बाराबंकी में मृत पड़े इस संगठन का इन्होंने पुनर्गठन कराया और ये संयुक्त मंत्री बने और संगठन में आगे ऐसा बड़े की फिर शाखा मंत्री, शाखा अध्यक्ष कई बार चुने गए और एक बार शाखा अध्यक्ष का चुनाव हारे भी। इन्होंने 1979 के कर्मचारियों की हड़ताल में संघ अध्यक्ष एम० पी० माथुर, एटा की अध्यक्षता में और श्री कृष्ण स्वरूप लूशे के संयोजकत्व में ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट लीडर लखनऊ में खूब नाम कमाया। तभी से इनकी गिनती प्रांतीय नेताओं में होने लगी। फिर ये प्रदेश संगठन मंत्री पद पर चुने गए। इन्होंने इसी कार्यकाल में बाराबंकी के डिप्टी नाजिर को एक मुंसिफ कोर्ट द्वारा जारी कंटेस्ट नोटिस पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज बाराबंकी से बात करने के बाद लीगल कार्यवाही के अंतर्गत उक्त नोटिस को सीनियर मुंसिफ कोर्ट में नोटिस देने वाले मुंसिफ के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया, जो प्रदेश के मिडिया ने ऐतिहासिक केस के रूप में कवरेज किया। फल



स्वरूप ये जहां ज्यूडिशियरी उत्तर प्रदेश व प्रदेश कर्मचारियों में विख्यात हुए हांलाकि कुछ कर्मचारी नेताओं ने इसे जातिवाद की माला में पिरोने का असफल प्रयास किया। फिर भी प्रशासन चाटुकार महासचिव ने संघ के प्रांतीय संगठन मंत्री पद से पंडित अनिल शुक्ल को निलंबित कर दिया संघ की एक प्रांतीय सभा फैजाबाद में आहुत हुई जहां पर जांच उन्नाव के कर्मचारी नेता सुरेश चन्द्र गुप्ता को मिली। जिसमें शुक्ल के निलंबन को अवैधानिक बताया गया। तदोपरान्त बहाली हुई, इसी केस में शुक्ल को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्तिगणों ने सुना और कंटेस्ट नोटिस देने वाले मुंसिफ को बाराबंकी से स्थानांतरित कर दिया गया। उधर संघ का मुकदमा इन दि एब्सेंस आफ प्लेंटिफ खारिज कर दिया गया! इन्होंने ही तत्कालीन एल आर जस्टिस आर सी देव शर्मा - संयुक्त सचिव, जस्टिस वी एन लुंबा और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय लोक पति त्रिपाठी से जस्टिस के०एल० शर्मा के पुनर्गठन रिपोर्ट में से तीन पद आर के क्रिमनल, ट्यूबबेल आपरेटर व एक अन्य पद का जी०ओ० जारी करवा कर अभूतपूर्व नेतृत्व निभाया था! पंडित अनिल शुक्ल को संघ में प्रांतीय प्रवक्ता, मनोनीत होने प्रांतीय उपाध्यक्ष चुनाव जीतने, प्रांतीय मार्गदर्शक मनोनीत होने, के साथ साथ एक पंजीकृत न्यायालय कर्मचारियों के संगठन का राष्ट्रीय संरक्षक ओरछा, मध्य प्रदेश में चुने जाने का व काम करने का अवसर प्राप्त हुआ ! श्री शुक्ल जी को रायबरेली में झांसी के श्री कुलदीप सक्सेना से और आगरा में श्री शेर बहादुर सिंह से अध्यक्ष पद पर हार का भी सामना करना पड़ा ! पंडित अनिल शुक्ल दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ की वह शख्सियत सेवा काल के दरमियान



रहे कि उन्होंने सेवा के मध्य प्री लांसर स्प्रिचुअल रिपोर्टर, पुजारी विश्व शांति, और भविष्य वक्ता सम्राट के रूप में पत्र पत्रिकाओं में ख्याति प्राप्त किया! इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय महापात्र जी ने पुजारी जी से चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय भारत में जस्टिस आफ इंडिया पद पर नियुक्त हुए! उधर चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट एम एन शुक्ल ने अनिल शुक्ल के मांग ज्ञापन पर एस० ए० ओ० पद सुजित करने की कार्यवाही शुरू किया वहीं इसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मा० डी० एन० झा ने शुक्ल को अपने साथ कार में बगल बिठा कर बाराबंकी जजशिप पहुंचने पर विद्वान् जिला न्यायाधीश द्वारा दरवाजा खोलने पर शुक्ल के निकलने का व चीफ जस्टिस यू सी श्रीवास्तव को बाराबंकी में सड़क पर इलायची खिला कर स्वागत करने का जो गौरव शुक्ल के माध्यम से संघ को जो प्राप्त हुआ वह अद्भुत, अविस्मरणीय, अनोखा योगदान संघ को ऐसा कहना न तो अतिशयोक्त होगा और न अपने मुंह मियां मिट्टू की कहावत ही चरितार्थ करेगा क्योंकि सत्यता को इनकार नहीं किया जा सकता। यदि उसे बुद्धिमत्ता से निः शुल्क ग्रहण किया जाय तो ! पंडित अनिल शुक्ल संघ के उन नेताओं में हैं जिन्होंने अपने विधि स्नातक कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति से मुंसफी में नियुक्ति की आवाज बुलंद किया और संघ के तत्कालीन ना समझ नेताओं का भर पूर समर्थन न मिल पाने के कारण उन्हें आल इंडिया लॉ ग्रेजुएट इम्प्लाइज महासंघ गठित कर स्वयं संयोजक और हापुड़ की सुश्री प्रतिभा तोमर को डिप्टी कन्वेयर आफ इंडिया बना कर देश के प्रधान मंत्री को पत्र और चीफ जस्टिस सम्मेलन आफ इंडिया मे टेलीग्राम से निवेदन करना ही आज रिटायर्ड ला ग्रेजुएट को स्पेशल मैजिस्ट्रेट बनने का अवसर ईश्वर ने प्रदान किया ! क्योंकि चीफ जस्टिस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री भारत सरकार ने कहा था कि केंद्र की हमारी सरकार अधीनस्थ न्यायालयों के विधि स्नातक कर्मचारियों को पी० सी० एस० जे में प्रमोशन पर विचार करने पर सिद्धांत रूप में सहमत हैं, इसी लिए महान चीफ जस्टिस ने निर्णय लिया कि छोटे मोटे मुकदमों के निस्तारण हेतु लॉ ग्रेजुएट कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो बाद में रिटायर्ड को दे दी गई जिस पर आज महती आवश्यकता है कि संघ को इसे वर्तमान लॉ ग्रेजुएट्स इम्प्लाइज के हित में इस मांग को 15 साल की सेवा पार स्पेशल मैजिस्ट्रेट बनाएं जाने हेतु अपनी मांग में शामिल किया जाना न्यायोचित होगा ! पंडित अनिल शुक्ल ने ही संघ के प्रांतीय महासचिव से वार्ता कर सुझाव दिए हैं कि कर्मचारियों के जिला जजियों में प्रशासनिक अधिकारी,

सेन्ट्रल नाजिर, रिकार्ड कीपर प्रधान प्रतिलिपिक एवम ए० डी० जे० कोर्ट मुंसरिम पोस्टों को राजपत्रित अधिकारी में परिवर्तित किए जाने चाहिए क्योंकि जबसे हमारी जजियां कायम हुईं । हमें मिनिस्ट्रियल ऑफिसर कहा गया है तो सैकड़ों वर्षों से, जो पोस्टें कांटीन्यू कर रही हैं उन्हें निश्चय गाजटेड सुनिश्चित किया जाना प्राकृतिक न्याय की श्रेणी में कहा जाएगा। इन शब्दों को कुछ हेर-फेर कर प्रांतीय महा सचिव नरेन्द्र विक्रम सिंह जी ने ग्रेड के अनुसार राजपत्रित अधिकारी के पदों की मांग की है! पंडित अनिल शुक्ल वही शख्स है, जिन्होंने सेवा में रहते हुए जिला जज को तर्कों से संतुष्ट कर एस ए इम्प्लाइज लीडर अनेक पॉलिटिकल लीडर्स की सभाओं में सी एल ग्रांट कराकर उन्हें सुनने जाया करते थे। आज नेता तो बहुत बनते हैं लोग लेकिन पूज्य पिता महात्मा गांधी जी जो अहिंसक आंदोलन के जनक भारत के कहे जाते हैं उस दिन ज्ञापन सौंपने जाने में आना-कानी कर रहे हैं, वो अपने जिले के अधिकारियों को तर्क से सहमत करने में शायद विरोधवश अक्षम है और व्हाट्सअप ग्रुपों पर हाजिर जवाब है। यह नेतृत्व के लक्षण कैसे कहे जा सकते हैं? पंडित अनिल शुक्ल वही शख्स है, जिन्होंने मंडलीय अधिवेशन में मा० ए० जे० महोदय को लाया करते थे, और प्रांतीय बैठकों में माननीय न्याय मंत्री को लाने में सफल रहे हैं! दिनांक 28 अगस्त 2022 को दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये कर्मचारी नेताओं द्वारा एवं सदन की सर्वसम्मति से पंडित अनिल शुक्ल जी को अमूल्य निधि के रूप में सम्मानित किया गया।



पं० अनिल शुक्ल जी को उद्घोष त्रैमासिक ई-पत्रिका की तरफ से दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा अमूल्य निधि से सम्मानित किये जाने पर ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं।

संक्षिप्त परिचय (अमूल्य निधि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०) श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव



श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जी 1981 में न्याय विभाग में नौकरी प्राप्त हुआ। 1985-86 में दीवानी न्यायालय स्ववित्त पोषित कर्मचारी सोसायटी का कोषाध्यक्ष बने 1988-89 में सोसायटी का मंत्री बना दिया गया व उसी के पूर्व से ही संघ में गतिशील हो गया था तथा पहली बार संघ के वरिष्ठ नेता साथियों के साथ इलाहाबाद प्रदर्शन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष श्री कुलदीप सक्सेना जी कुछ अपने व कुछ हाईकोर्ट के लोगों के बीच गुटबंदी के शिकार होकर फंस गए जिसका दंश आजतक है।

1990 में जिला संघ में उपाध्यक्ष चुना गया।

1992 में जब दीवानी न्यायालय संघ का चुनाव हुआ तो गुप्त मतदान प्रक्रिया लागू करवाया व संघ के मठाधीशों को हरा कर संघ का अध्यक्ष चुना गया। “1992 में अध्यक्ष चुने जाने के बाद से लगातार 2018” अवकाश प्राप्ति तक लगातार कभी गुप्त मतदान प्रक्रिया से तो कभी सर्वसम्मति

से श्री संतोष श्रीवास्तव जी शाखा-जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के शाखा अध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे हैं।



वर्ष 1996-97 से श्री श्रीवास्तव जी के साथ उनके अजीज मित्र श्री महेश कुमार गुप्ता जी का सहयोग संघ के मंत्री के रूप में शुरू हुआ जो काफी सालों तक (रिटायर होने तक) रहा, जो अभी भी है। कर्मचारी भाईयों के सहयोग व शुभेच्छा पर उनके कार्यकाल में आजमगढ़ में संघ का चुनाव हमेशा द्विवार्षिक हुआ। इतना लम्बा कार्यकाल होने की वजह सिर्फ एक रही कि उन्होंने कभी कर्मचारी हितों के साथ



ज़िला जज़ श्री एस.सी.चौरसिया साहब के जस्टिस नियुक्त होने पर विदाई/सम्मान समारोह में



सम्मान समारोह में सम्मानित होते व संबोधन करते हुए ,

कभी कोई समझौता नहीं किए और सदैव समान रूप से सबके सुख-दुख में काम आते रहे एवं कर्मचारी हितों को समर्पित रहे। श्री श्रीवास्तव जी अवकाश प्राप्ति के बाद आज भी कर्मचारी भाईयों के हित के लिए बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जिसका ताजा उदाहरण संघ द्वारा आयोजित अधिकार प्राप्ति पदयात्रा थी, जिसमें आजमगढ़ जनपद न्यायालय के कर्मचारीगण के साथ कदम से कदम मिलाकर श्री श्रीवास्तव जी ने संघ की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

वर्ष 1992 के बाद से ही प्रांतीय संघ में सहभागिता देते हुए एक बार कार्यकारिणी में रहे, उसके बाद श्री श्रीवास्तव जी को प्रांतीय उपाध्यक्ष



श्री आर.के सिंह जिला जज के विदाई समारोह में।



प्रांतीय उपाध्यक्ष चुने जाने पर जिला जज/जस्टिस एस.सी.चौरसिया द्वारा स्वागत

चुना गया, जिसमें एक बार आगरा के अधिवेशन में उपाध्यक्ष का चुनाव में श्री श्रीवास्तव जी को हार का मुंह देखना पड़ा था लेकिन उसके बाद से उसके बाद लखनऊ में हुए अधिवेशन के पूर्व तक लगातार प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे। इस दौरान बहुत उठा-पटक प्रांतीय संघ में देखा। वैसे तो प्रांतीय संघ में बहुत लोगों के साथ काम किया और कुछ सीखा व समझा। परन्तु प्रांतीय संघ में सौभाग्य से श्री अनंत शुक्ला (कानपुर), डा०विजय कुमार (लखनऊ) ऐसे



प्रांतीय अध्यक्ष जी व श्री उमेश सिंह (वाराणसी) मंत्री, श्री अनिल कान्त दीक्षित, कोषाध्यक्ष (कानपुर) व श्री राजेश यादव मंत्री (लखनऊ)



ऐसे कर्मठ, विवेकशील, संघर्षशील, उर्जावान व मृदुभाषी प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ भी संघ में काम करने का सुखद सुअवसर मिला।

फिर आया प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में श्री शेर बहादुर सिंह जी (इलाहाबाद) का कार्यकाल, उनका कार्यकाल थोड़ा लम्बा रहा जिसमें। जिसमें संघ श्री श्रीवास्तव जी के अनुसार अधोगति को जाने लगा। उसके बाद से संघ के चुनाव में धनबल के साथ कृत्रिम जनबल का पदार्पण हो गया।

फलस्वरूप संघ से वरिष्ठ गंभीर कार्यकर्ता दूर रहने में ही भलाई समझे। जो लखनऊ में हुए अधिवेशन तक अनवरत रहा। श्री श्रीवास्तव जी के अनुसार पूर्व के कार्यकाल में संघ के मृदुभाषी कर्मठ, विज्ञ श्री अमर बहादुर सिंह जी (इलाहाबाद) के साथ सहभागिता करना काफी यादगार रहा। लखनऊ अधिवेशन व बाराबंकी अधिवेशन में श्री श्रीवास्तव जी ने चुनाव अधिकारी के रूप में चुनाव सम्पन्न कराया। उसके पूर्व तक हाईकोर्ट के लोगों को चुनाव अधिकारी बनाया जाता था, जिससे कर्मचारी भाईयों पर डर व दबाव बना रहे कोई कुछ बोल न पाए।

लखनऊ व बाराबंकी अधिवेशन के बाद से संघ में पूनः गतिशीलता आई है, जिसमें अध्यक्ष श्री नृपेन्द्र सिंह जी व महासचिव श्री नरेन्द्र विक्रम सिंह जी की टीम काफी तन्मयता व मृदुभाषीता से कर्मचारी हित में काम करने को उद्यत रहती है, खासकर श्री भागवत शुक्ला जी (प्रांतीय संयुक्त सचिव), श्री संदीप चौहान जी (प्रांतीय संरक्षक) एवं श्री अभिषेक सिंह जी (वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष) का कार्य कर्मचारी हित में काफी प्रशंसनीय है। सभी गंभीर स्वभाव के हैं।



दिनांक 28-08-2022 को मुजफ्फरनगर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में प्रांतीय संघ द्वारा श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव जी को दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के अमूल्य निधि सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जी को उद्घोष त्रैमासिक ई-पत्रिका की ओर से ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं।

सिविल कोर्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन से वर्तमान दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश तक का संघर्ष

ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम आसाम आगरा बंगाल अधिनियम 1887 के तहत प्रदेश में न्यायालयों का गठन हुआ। इसी क्रम में सर्वप्रथम आगरा में सदर दीवानी अदालतों का गठन हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सदर दीवानी अदालत इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ, क्योंकि तब आगरा और अवध दो अलग-अलग प्रान्त थे, इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य पीठ तथा उसकी एक पीठ लखनऊ में स्थापित की गई है।

इसके बाद तत्समय उत्तर प्रदेश राज्य के गठन होने के बाद कुछ जिलों में जिला न्यायाधीश के न्यायालय तथा उनके साथ सिविल जज सीनियर डिविजन और सिविल जज जूनियर डिविजन(मुंसिफ) तथा अपर जिला जज के पद सृजित किए गए।

प्रारंभ में किसी न्यायालय के सृजित होने पर उनमें एक मुंसरिम, रीडर, वाद लिपिक, प्रकीर्ण लिपिक इजराय लिपिक तथा पेड अपरेंटिस के पद भी सृजित किए जाते थे। अपर जिला सत्र न्यायालय में सत्र लिपिक का पद भी सृजित किया जाता रहा। प्रदेश की 11 जिलों में लघुवाद न्यायालय भी सृजित किये गये थे उसके साथ ही कुछ जिलों में अपर लघुवाद न्यायालय भी सृजित थे।

उपरोक्त सभी न्यायालयों में ऊपर वर्णित सभी प्रकार के पदों का सृजन किया जाता रहा। परंतु कालांतर में न्यायालयों में मुकदमों की संख्या अधिक होने पर निरंतर न्यायालयों की वृद्धि होती रही परंतु जो स्टाफ के पद न्यायालयों में सृजित किए जाने चाहिए थे उनका सृजन नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों पर कार्य बोझ बहुत बढ़ा और कार्य की गुणवत्ता गिरने लगी।

वर्ष 1973 में न्यायपालिका का सेपरेशन होने पर आपराधिक वादों से संबंधित न्यायालय जिला

मजिस्ट्रेट कार्यालय से जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आए, इसके बाद न्यायाधीशों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में कतिपय कारणों से उन्हीं न्यायालयों में अधिक रुचि लेने के कारण कई विसंगतियां उत्पन्न हुई जिससे न्यायाधीशों, कर्मचारियों तथा अधिवक्ताओं की कार्यशैली पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

उत्तर प्रदेश में दीवानी अदालतों में अपनी सेवाओं में सुधार हेतु जब आवश्यकता महसूस हुई तो सन 1922 में सिविल कोर्ट्स ऑफीसर एसोसिएशन का गठन किया गया। ऐसा अवध और आगरा डिवीजन दोनों में पृथक-पृथक किया गया और दोनों संगठन अलग-अलग कार्य करते रहे। सन 1927 तथा 1928 में दोनों संगठनों को मान्यता प्राप्त हुई। जब भारत अंग्रेजी शासन चाहिए मुक्त हुआ तो दोनों संगठन कार्य करते रहे पर आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप संयुक्त प्रांत आगरा अवध समाप्त करके उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ तब सन 1948 में दोनों संगठनों का विलय हो गया और सिविल कोर्ट मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन नाम से (दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश) का गठन हुआ इसके वार्षिक सम्मेलन विभिन्न जनपदों में बराबर होते थे और सन 1970 में जो अधिवेशन मेरठ में हुआ उसमें वहां के सदर मुंसरिम श्री देवी प्रसाद सक्सेना प्रांतीय अध्यक्ष तथा फैजाबाद के भाई कृष्ण स्वरूप प्रांतीय महासचिव चुने गए। कतिपय कारणों से इस अधिवेशन के बाद सन 1975 तक कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ।

सन 1975 में सारे देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल घोषित किया जिसके कारण न्यायपालिका के अधिकारियों पर भी प्रभाव पड़ा और जगह जगह पर उन्होंने कर्मचारियों पर ज्यादातियां कि इसमें उल्लेखनीय जनपद लखनऊ का उदाहरण है

जहां पर तत्कालीन जिला जय श्री बनवारी लाल गोयल ने कर्मचारियों/अधिकारियों लगभग 90% पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी तथा काफी कर्मचारियों को निलंबित किया गया ऐसी स्थिति में मई 1975 में लखनऊ जनपद के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ऐसी स्थिति में काफी संख्या में अधिवक्ता गण भी उक्त जनपद न्यायाधीश की कार्यशैली से असंतुष्ट थे। तब वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नेतृत्व में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति श्री के० बी० अस्थाना से मिला परिणाम स्वरूप श्री बनवारी लाल गोयल जनपद न्यायाधीश का स्थानांतरण सर्विस ट्रिब्यूनल में हो गया।

इसके बाद लखनऊ जनपद के कर्मचारियों ने सामूहिक प्रयास से पूरे प्रदेश के जनपदों का दौरा किया, स्थानीय स्तर पर मीटिंग की और पूरे प्रदेश के जनपदों को संगठित करने के उपरांत सन 1978 में दिसंबर माह में एक अधिवेशन लखनऊ जनपद में आयोजित किया। इस अधिवेशन में प्रदेश के अधिकतम कर्मचारी साथियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन का उद्घाटन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री हरिस्वरूप जी ने किया था और समापन प्रदेश शासन के न्याय मंत्री श्री ओम प्रकाश जी ने किया था। इस अधिवेशन में संगठन ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें एटा जनपद के श्री महेश प्रकाश माथुर प्रांतीय अध्यक्ष तथा लखनऊ जनपद के श्री नंद कुमार श्रीवास्तव महासचिव चुने गए। तत्पश्चात इस नई कार्यकारिणी ने अपनी समस्याओं से संकलित एक मांग पत्र प्रदेश शासन और माननीय उच्च न्यायालय को समर्पित किया। पत्राचार और अनुनय विनय करने के उपरांत भी कोई समाधान नहीं हुआ तब पूरे प्रदेश की इकाइयों ने अपने जनपदों से पोस्टकार्ड अभियान चलाया। इसके बाद प्रत्येक जिला इकाई ने जनपदीय इकाई ने एक रैली के माध्यम से अपने-अपने जिला

न्यायाधीश को अपना मांगों सम्बंधित ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों और जिला इकाइयों को संगठित करने के लिए क्षेत्रीय अधिवेशन और जनसंपर्क अभियान चलाया गया और अंततः सन 1979 में अपनी मांगों पर कोई विचार ना होने पर आंदोलन चलाया गया इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन वेतन आयोग ने सिविल कोर्ट कर्मचारियों के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट शासन को सौंपी जिससे कर्मचारियों को कुछ लाभ हुआ। और उत्तर प्रदेश शासन ने इसी क्रम में कुछ नए पदों का सृजन जनपद न्यायालयों के लिए किया। इस प्रकार हमारे संगठन का आंदोलन शांतिपूर्वक निपट गया और इस आंदोलन में प्रदेश की सभी इकाइयों में पूरी निष्ठा और सक्रियता से सहयोग किया। इसी प्रकार हमारे संघ का अधिवेशन मुरादाबाद बरेली में संपन्न हुऐ।

संघ द्वारा अपना ज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय और शासन को दिया गया और वर्ष 1986 में भी एक आंदोलन जब प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह थे, के कार्यकाल में किया गया था और इस हड़ताल के बाद सिविल कोर्ट के लिए सर्वप्रथम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किया गया। यहां उल्लेखनीय है की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद दिनांक 19 अगस्त 89 को सृजित किया गया जिस दिन हमारा अधिवेशन बरेली जनपद में संपन्न हो रहा था।

इसके बाद हमारे संघ द्वारा इलाहाबाद में अधिवेशन आयोजित किया गया और संगठन सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहा। रायबरेली अधिवेशन के बाद संगठन में कतिपय विसंगतियों के कारण गतिरोध उत्पन्न हुआ जिसके कारण 1992 का अधिवेशन जो पूर्णतया चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सम्बंधित था, हमारी उसमें कोई मांग नहीं थी वह तत्कालीन पदाधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण विफल हो गया और इसमें हमारे कर्मचारियों को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का दंश झेलना पड़ा। फिर वाराणसी इलाहाबाद और

लखनऊ तथा बाराबंकी में अधिवेशन आयोजित किए गए।

वर्तमान में हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने अपना ज्ञापन माननीय उच्च न्यायालय तथा शासन को समर्पित कर रखा है और सभी कर्मचारियों ने अपने-अपने जनपद में जिला मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन समर्पित किया है। इस ज्ञापन में जहां तक मेरी जानकारी में है शेट्टी कमीशन की शेष संस्तुतियों को लागू करना, जस्टिस के० शर्मा० समिति की संस्तुतियों को लागू करना, तदर्थ कर्मचारियों को विनियमितीकरण, फास्ट ट्रैक कोर्ट के कर्मचारियों का नियमितीकरण, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना आदि जैसे मांगे सम्मिलित हैं।

मेरे विचार से माननीय उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश शासन को प्रदेश के वादकारियों को त्वरित न्याय देने के लिए आवश्यक सुधार करने की दिशा में कर्मचारियों की जो उचित मांगें हैं, जैसे मानक के अनुसार न्यायालयों में पदों का सृजित किया जाना तथा कर्मचारियों के कार्य बोझ को मानक (न्यायमूर्ति के० एल० शर्मा समिति की संस्तुतियों) के अनुसार सुनिश्चित किया जाना, उनके लिए पत्रावलियों के रखरखाव के लिए पर्याप्त संख्या में उपस्कर उपलब्ध कराना चाहिए। न्यायालयों के सृजन पर साथ ही साथ कर्मचारियों की भर्ती मानक के अनुसार सुनिश्चित करना। कर्मचारियों के स्थानांतरण की पारदर्शी व्यवस्था करना और पुरानी पेंशन के व्यवस्था पुनः बहाल करना, शेट्टी कमीशन की शेष संस्तुतियों लागू करना जैसी समस्याओं का निराकरण आवश्यक है इसके अतिरिक्त और भी समस्याओं हो सकती जिन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। परंतु ऐसा तभी संभव है जब हमारी सभी जिला इकाइयों और प्रांतीय संगठन एकजुट और संगठित और समन्वय हो।

विगत दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तरीके के विचार देखने/समझने को मिले जो संगठन में एकजुटता और संगठित होने का आभास नहीं देते

इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार और सभी इकाइयों नेता गणों और प्रांतीय पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जब हमारा आंदोलन जारी है तो हम सभी लोग एकजुट हो तभी हम अपनी मांगों के संबंध में कुछ इस तरीके से एकता का प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे शासन और प्रशासन तथा माननीय उच्च न्यायालय इस बात के लिए विवश हो कि हमारी मांगों को पूरा करें।

जहां तक प्रांतीय अधिवेशन में चुनाव या उसमें अपना अपना पक्ष प्रदर्शित करने का उचित समय यह नहीं होता जब हम संघर्षरत हो, जब प्रांतीय अधिवेशन हो तब सभी साथियों को इस संबंध में व्यापक रूप से चर्चा करके अपने अपने निर्णय या प्रयास करना चाहिए, यही मेरी अपील है और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि संघ को संगठित रखने के लिए सभी लोग एकजुट हो ताकि हमारी मांगें पूरी होने और कर्मचारियों का कल्याण हो सके।

जय संघ।



डॉ० विजय कुमार

पूर्व महासचिव/अध्यक्ष

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश

सेवानिवृत्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

जनपद न्यायालय, लखनऊ।

हमारे प्रयास किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि अपनी स्थितियों के प्रदर्शन और परिवर्तन हेतु

हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि न्यायालय के कर्मियों को भी समाज, प्रशासन और शासन समझे और हम किस प्रकार कार्य के निरंतर दबाव में हैं यह समझते हुए न्याय के तीव्र निस्तारण में मुख्य बाधा कर्मचारी और न्यायालय की कमी को समझा जाय। हमारे वेतन भत्तों के लिए सही शासनादेश जारी किए जाय। लेकिन क्या ही गजब हो रहा शासन हमारे वेतन भत्तों को बढ़ाना नहीं बल्कि घटाने पर लगा हुआ है, कार्य का बोझ तो कहिए ही नहीं पूरे देश के पचास फीसदी मुकदमे हम संभाल रहे, लेकिन हालात यह हैं कि सुनने और समझने को कोई भी तैयार नहीं। लेकिन हमें प्रयासरत रहना ही होगा। हमारी स्थिति, मनः स्थिति और कार्यस्थिति को जब तक सक्षम समझ नहीं जाते हमें लगे रहना होगा।

अभी हमने **2 अक्टूबर** को जिला मुख्यालय पर अपनी स्थिति को शासन को दिखाने का प्रयास किया आप सब का सहयोग सराहनीय रहा इसी क्रम में हम महासम्मेलन करने प्रयागराज जा रहे हैं आप सब की अभूतपूर्व उपस्थिति ही वहां हमारी स्थिति के प्रदर्शन हेतु कार्य करेगी।

मेरा विश्वास है कि माहौल एक दिन में नहीं बदलेगा लेकिन एक दिन जरूर बदलेगा और उसके लिए सबको एक स्वर होना ही पड़ेगा ऐसा भी नहीं होने जा रहा कि एक दिवसीय महासम्मेलन में आपकी उपस्थिति से उसी दिन सारा बदलाव आएगा लेकिन यह अवश्य होगा कि बदलाव के प्रयास उसी दिन से जोर पकड़ेंगे वह दिन प्रथम होगा तो अंतिम भी आएगा ही बस हमें प्रयासों की निरंतरता और सामूहिक बल पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

हमारे सेवा संबन्धी मामलों में जो भी लोग विधि विरुद्ध कार्य कर रहे हैं हमें उनके लिए बोलना ही होगा कि यह गलत हो रहा है बदलाव वही से प्रारंभ होगा। आप सब से मैं एक दिवस का दान मांगता हूं, आइए संघ को एक दिवस का दान करिए, 27 नवम्बर 2022 को महासम्मेलन में पहुंच कर अपनी सहभागिता करिए और महासम्मेलन का निमंत्रण दस साथियों को अवश्य दीजिए।

आपका इतना दान और सहयोग ही हमारे प्रयास को मजबूत करेगा।

आप सभी के आगमन की प्रतीक्षा में...

नरेन्द्र विक्रम सिंह

प्रांतीय महासचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०



नमस्कार साथियों,
नई परवान, नई उड़ान नया, आसमान चाहिए
उठो, जागो, एक हो अब हमें हमारा सम्मान
चाहिए बहुत सह चुके अब और नहीं अब हमें
हमारा अधिकार चाहिए । दोस्तों इन शब्दों के
भावों के साथ मैं आप सभी को **27 नवंबर 2022**
को आयोजित अधिकार प्राप्ति सभा में आमंत्रित
करता हूँ । बहुत देर से जागते हैं क्योंकि अपने
से ज्यादा अपने कार्य अपने विभाग के विषय में
सोचते हैं उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार
और माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे बारे में
सोचना बंद कर दिया जहां न्यायिक कर्मियों को
अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी थी जिस तरह
न्यायिक अधिकारियों को प्राप्त हो रही है वह न
प्रदान कर हमारी उपेक्षा शुरू हो गई आज बहुत
सी सुविधाएं व शासनादेश का लाभ राज्य
कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है और हम उनके
लिए संघर्ष कर रहे हैं जैसे 4600 ग्रेड पे को
राजपत्रित अधिकारी का दर्जा प्राप्त कराना आदि
ऐसे कई उदाहरण हैं । दोस्तों इसके लिए सिर्फ
और सिर्फ हम दोषी हैं हमारी हमारे अधिकारों
के प्रति उदासीनता हमें इस मुकाम तक ले आई
है, खैर कहते हैं जब जागो तभी सवेरा आज
प्रदेश संघ का आह्वाहन है कि **27 नवंबर** को
प्रयागराज की धरती से अपने अधिकारों की
प्राप्ति का बिगुल बजाना है, सम्मेलन हमें
क्या देगा या क्या नहीं देगा यह भविष्य बताएगा,
मगर यह हमें हमारा सम्मान जरूर देगा जिस

उपेक्षा से शासन और माननीय उच्च न्यायालय
हमसे व्यवहार करता है वह जरूर समाप्त हो
जाएगा, कहते हैं पत्थर एक चोट से नहीं टूटता
मगर पहले की चोट बेकार नहीं जाती मुझे पूर्ण
विश्वास है जिस तरह 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश
के जिले जिले में अधिकार प्राप्ति पदयात्रा निकाली
गई अगर हम उसी शक्ति और उत्साह के साथ
एक बार फिर एकत्र होंगे तो इस पत्थर को
चकनाचूर कर देंगे। आप सभी को दिवाली की
सपरिवार बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सभी
को **27 नवंबर 2022** को प्रयागराज
आमंत्रित करता हूँ व इन शब्दों के साथ अपनी
लेखनी को विराम देता हूँ।

जीत के लिए हथियार नहीं
जीत का जज्बा चाहिए
बंद मुट्ठी मार के चूर कर दे पत्थर
वह हौसला चाहिए
॥ जय संघ, जय हिन्द ॥



(अभिषेक सिंह)

वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश

सम्मानित साथियों, हम सभी अवगत है कि आज के परिवेश में जनपद

न्यायालय का प्रत्येक कर्मचारी चाहे वह किसी भी पद पर हो

(तृतीय संवर्ग यथा बाबू/स्टेनो, चतुर्थ श्रेणी, एफ०टी०सी०) वो किन गंभीर

परिस्थितियों का सामना करता है। ये परिस्थितियां कैसे बनती है, इनका कारण कौन है ? ज्यादा लम्बी चौड़ी या जो सुनने और पढ़ने में अच्छी लगे ऐसी लोक लुभावनी बातें करके लेख को लम्बा लिखने का मेरा कोई मनतव्य नहीं है। सच्ची और सीधी बात है कि आज अपनी दुर्दशा के जिम्मेदार हम सभी स्वयं हैं, एक पीढ़ी का पाखण्ड, दूसरे पीढ़ी की परम्परा बन चुकी है, जिसे हम सभी झेल रहे हैं। 27 नवम्बर एक अवसर है, आइए इलाहाबाद

एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़े, या यूँ कहें कि अपनी ही बनाई व्यवस्था जिसकी अव्यवस्था के शिकार हम आप और हम सभी स्वयं हो चुके हैं उसके विरुद्ध शंखनाद करें।

कमियां निकालने वाले हर युग में रहे हैं, फिलहाल ये तो कलयुग की कचेहरी है। जिसको स्वयं होने का ज्ञान नहीं होता वो भी समीक्षक बनकर समीक्षा कर गुण दोषों को गिना सकता है क्योंकि हम सभी स्वतंत्र राष्ट्र में रहते हैं और जुबान अपने पास है, बिना सोचे, समझे और बिना जाने किसी को कुछ भी कह जाने में कोई टैक्स नहीं लगता, खासकर व्हाट्सअप युग में। समाज में भांति भांति के लोग हैं और फिर अफवाह फैलाना, लोगों को गुमराह करना, अस्थिरता उत्पन्न करना कुछ लोगों का राजनीतिक संस्कार भी है। फैसला आप पर है कि ऐसे लोगों की बातों और बहकावे में आना है या अपने आज और कल को स्वर्णिम बनाने हेतु प्रयास करने वालों के साथ कदम से कदम मिलाना है।

यदि आप अपने अधिकारों के लिए अब नहीं जागे और आगे नहीं आए तो क्या आज आप जिस व्यवस्था में कार्य कर रहे हैं उसी व्यवस्था की अव्यवस्था को अपना मुकद्दर समझकर, अपनों में ही एक दूसरे का दोष निकाल-निकालकर पूरी नौकरी काटनी है ?

एक युद्ध

व्यवस्था की अव्यवस्था

के विरुद्ध

फैसला आप पर है। वर्तमान में जो परिस्थितियां है उसमें इसी तरह घुट-घुट कर

आपस में ही एक दूसरे को कोस कर, जो व्यवस्थाएं बनी है उसी को ईश्वरीय देन व किस्मत में यही लिखा है मानकर अपनी नौकरी काटनी है अथवा स्वाभिमान के साथ संघर्ष करके अपना हक प्राप्त कर पूरी सत्यनिष्ठा, परिश्रम और लगन के साथ नौकरी करनी है ? ये निर्णय आपको करना है !

अभी भी समय है, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो जाएं। एक दूसरे का दोष निकालने और आपसी गुटबाजी की राजनीति करने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। वैसे भी इतिहास गवाह रहा है कि हम जब भी बिखरे हैं तो एक लम्बे समय तक शोषण का शिकार हुए हैं जिसका दंश आज भी कचेहरी में विद्यमान है।

आइए अपने निजी स्वार्थ और मात्र अपनी समस्याओं को विश्वव्यापी समस्या समझने की सोच से उबरते हुए समस्त न्यायिक कर्मचारी हितों के लिए सामूहिक संघर्ष करें। 27 नवम्बर 2022 एक अवसर है एक जुट होने का और शासन-प्रशासन एवं माननीय उच्च न्यायालय को अपने होने का एहसास दिलाने का। प्रयागराज में न्यायिक कर्मचारियों का जमवाड़ा पूरे प्रदेश को एक प्रभावी संदेश देगा कि न्यायिक कर्मचारी भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुके हैं।

आइए प्रयागराज, मिलकर विचार करते हैं और समस्याओं का हल ढूंढते हैं, दिनांक 27 नवम्बर 2022 प्रांतीय महासम्मेलन, प्रयागराज में आपका स्वागत है। जरूर आइए और अपने साथियों को भी लाइए।

27 नवम्बर, 2022 प्रांतीय महासम्मेलन

आपके आगमन की प्रतीक्षा में.....

आपका स्नेहिल

(श्रीभागवत शुक्ल)

प्रांतीय संयुक्त सचिव

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०



“न्यायपालिका और कर्मचारी स्थिति”

वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में कार्य के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, जस्टिस के०एल० शर्मा की सिफारिशों का आज तक अधीनस्थ न्यायालय में लागू ना होने से कर्मचारियों पर कार्य की अधिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, पद सीमित संख्या में है जिससे एक-एक कर्मचारी पर अधिक पत्रावलियों और अन्य कार्यों का बोझ हो गया है, पत्रावलियों के बोझ तले कर्मचारियों की पूरी जिंदगी गुजर जा रही है, पर समाधान आज तक कुछ नहीं हुआ।

अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों के वेतन और भत्ता को लेकर शेड्यूल आयोग की सिफारिशें आज तक पूर्णतः लागू नहीं हो पाने से कर्मचारियों के वेतन संबंधित दोष को आज तक दूर नहीं किया जा सका है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय का कर्मचारी एक अध्यापक से ज्यादा काम करता है जब वेतन की बात आती है तो वेतन अध्यापक को ज्यादा मिलता है।

सम्मानित साथियों हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकजुट हो, संगठित हो। एक दूसरों में कमी ढूंढने के बजाय एक-दूसरे के पूरक बने। संगठन का प्रत्येक क्षेत्र में विशेष महत्व होता है जबकि बिखराव किसी भी क्षेत्र

में अच्छा नहीं होता है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का विशेष महत्व होता है, पांच उंगलियां जब एक साथ होती हैं तो संगठित होकर एक ताकत बन जाती है, इसलिए समस्या कोई भी हो, किसी की भी हो, एकजुट होकर बात करिए, एकजुट होकर समस्या का हल जरूर सफल होगा। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश समस्त कर्मचारियों को एक साथ एक मंच पर दिनांक **27 नवंबर 2022** को **प्रांतीय महासम्मेलन, इलाहाबाद** में आमंत्रित कर रहा है इसलिए एकजुट होकर समस्त कर्मचारी अपनी समस्याएं उसी मंच पर रखेंगे और उन समस्याओं का समाधान भी निकालने का वही प्रयास किया जाएगा।



त्रुषि यादव

अध्यक्ष

उ०प्र० दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, फर्रुखाबाद
सह सम्पादक, 'उद्घोष' त्रैमासिक ई-पत्रिका

(1)

अंतहीन तलाश

चारदीवारी में कैद उमंगे
स्मृतियों तक भी पहुंचना नामुमकिन।
वो हैं भी
या हार गयीं अपनी निरर्थकता से?
किसने बुना है यह जीवन?
बहुत सी गांठें लग गयीं,
और भी लग रहीं हैं
लम्हे रूपी तारों में।
कोई अहसासों की
गांठें कैसे खोले भला,
तर्क, बुद्धि और विज्ञान
खोजते चमत्कार,
करते दृष्टिगत,
पर क्या समझ पायेंगे
इन तारों की निष्प्रभता,
इनकी शुद्ध झंकार से
क्या कोई गीत सृजित करेंगे
विराग का, जो भर दे सबका मन?

(2)

जिन्दगी का सफर

तुझे चाहूं या ना चाहूं,
मगर चाहना तुझे मजबूरी है,
तुझे खुशगवाह देखने के लिए,
हर हाल में, सांस लेना जरूरी है।
जितना ही कोई जी ले तुझे,
समझ जायेगा उतना की तू पूरी है।
दिल में सारे नाते रिश्ते रखकर,
मिटायें रखना हर दूरी है,
तेरे बाद भी कुछ है कि नहीं ?
पर लगता है आगे ही सब नूरी है।



प्रभात शुक्ल

(डिप्टी रजिस्ट्रार)

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ

अगर ...

जो अखबारों को सच लिखने की
आदत पड़ गयी होती,
अन्धेरा लोकशाही पर
यूँ मेहरबान न होता।
अगर हुक्काम न नीलाम करता
अपनी गैरत को,
बिसेसर मात्र मनरेगा का ही
बलवान न होता।
अगर इन्साफ दे देती पहली
देहरी कचहरी की,
गेट नंबर छह पे
कुछ ऐसा घमासान न होता।
पिता और मात बन जाते
अगर पहले गुरु तो फिर,
गर्ल्स कालेज की सीढ़ी पर
कोई गुलफाम न होता।
दरोगा जी जो लिख लेते

समय से तुम रपट समझे,

राह चलते मनुजता का

यूँ कत्लेआम न होता।

अगर ईमान ही मिल जाता

गाँधी के बछेड़ो को,

राम के राज को बंदरों का

ये ऐलान न होता।

चुनावी वादों के अँधेरे से

उग आता अगर सूरज।

जन औ सत्ता का रिश्ता

इस कदर बेजान न होता।



राजेश तिवारी

समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ



झमाझम बरस मइया,
मित्र'न के अंगना में।
मित्र'न कै होत भई,
मेरे अंगना अइओ।
जहूं जाबै लक्ष्मी मइया,
अटल बसेरी करिओ।
सिगरे दुख-दारिद कूं,
दूर तू भगइओ।
सदा खुस रहैं मित्र,
और मैऊँ मस्त रहूं।
ऐसी हम सबपै मइया,
किरपा तू बरसइओ।
काम कोऊ रुकै नाय,
जेब-खाते भरे रहैं।
सौने और चांद के
ढेर तू लगइओ।
चोखे दिनां रहैं सबके,
काया कूं न कस्ट होया।
मान और सम्मान सहित,
वैभव हु दिबइओ।
मित्र'न ते प्रेम बढ़े,
नाय कोऊ रुठे-लड़े।
बनी रहै बात "अटल",
लाज तू बचइओ।



माटी के दीए जरा,
करिए आप प्रकास।
देखौ काउ गरीब की,
लगी भई है आस

लगी भई है आस,
मनाबै बोउ दिबारी।
करौ आप सहयोग,
खिलै वाकी फुलवारी।

होय जगत कल्यान,
"अटल" अपनी परिपाटी।
मिलै माटी में माटी।

अटल राम चतुर्वेदी

वैक्तिक सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय,
मथुरा



जिन्दगी

जिन्दगी को समझने में, गुजर गई जिन्दगी
तलाशता रहा उम्र भर, किधर गई जिन्दगी
शिकवा किया जब हमने, गमों का अपने
बेरहमी वक्त की बता के, बिफर गई जिन्दगी
सुनाऊँ गर सुनो तो, मेरी अजब दास्ताँ
आशियाँ संजोने में ही, बिखर गई जिन्दगी
लगावट है उसे मुझसे, मुग़लता था मुझे
जनाजा था मेरा तन्हा, बेअसर गई जिन्दगी
इश्क क्या किया उससे, गुनाह कर बैठे
दरिया में गमों के, उतर गई जिन्दगी



(योगेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, मथुरा

दीवाली की साफ-सफाई

और चाय

साफ-सफाई करत मैं,
पत्नी चाय पिलाया।
सच मानौ मजदूर सौ,
भाव हिये में आया।

भाव हिये में आया,
हाथ दोऊ जुड़ जाँमैं।
रहम अगर बो खाय,
चाय संग बिस्कुट आँमैं।

“अटल” ब्याऔ कौ सुक्ख,
डरौ मति कोऊ भाई।
बचत करौ भरपूर,
स्वयं कर साफ सफाई



(अटल राम चतुर्वेदी)

वैक्तिक सहायक

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा

एक झिझक सी मुझे
इजहार में आ जाती है।
हर वक़्त ये कसक
मेरे प्यार में आ जाती है॥

सोच कर तुमको
जब भी कहता हूँ गजल।
खुशबू भीनी सी मेरे
अशआर में आ जाती है॥

तू गुजरता है जब भी
मेरे जहन के दरीचों से।
अजब सी चमक मेरे
किरदार में आ जाती है॥

उम्मीद तुझे पाने की जो
ख्वाब में आ जाए।
हया एक रंग लेकर
रुखसार में आ जाती है॥

तेरी बोली जब मेरे
कानों को छुआ करती है।

थोड़ी तेजी सांसों की
रफ़्तार में आ जाती है॥

रख के सोता हूँ तेरी
तस्वीर सिरहाने जब से।
नींद मुझको भी तब से
करार में आ जाती है॥

जो बात छुपा रखी है
दिल में तुमने 'केवल'।
वो बात भी कहाँ से
अखबार में आ जाती है॥



(अमित मिश्रा 'केवल')

सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर
जनपद न्यायालय, लखनऊ

हिंदी हैं हम वतन हैं हिन्दुस्तान हमारा

हिंदी है हम वतन है लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी में कुशलता, निपुणता आदि प्राप्त करने के लिये विदेशी भाषा के पीछे निरन्तर भागते रहते हैं। हममें से अधिकतर लोग अपनी मातृभाषा को इतनी तरह भूलते जा रहे हैं कि हिंदी बोलने पर उसका भाव तक नहीं समझ पाते हैं। विशेष कर युवा वर्ग को तो हिंदी बोलने में भी शर्म आने लगी है, ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी पर जैसे गंवारी और बिना पढ़े लिखों की भाषा का तमगा लग चुका हो। हिंदी की गरिमा है कि वह अन्य भाषा व उनके शब्दों को भी बड़ी आसानी से आत्मसात कर लेती है। हमें गहराई पूर्वक अपनी मातृभाषा की ताकत को हृदय से महसूस करना होगा।

अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए हमें 75 वर्ष बीत गए लेकिन हम अभी तक स्वयं के स्वत्व का सम्मान करना नहीं सीख पाए। भारत से अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी, उनकी दी हुई अंग्रेजी का बड़े गर्व से गुलाम बनता जा रहा है। हमने अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में विशेष स्थान देकर अंग्रेजी को उसके सर्वोच्च सिंहासन पर बिठा रखा है। भारत का संविधान भी मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखा गया है और विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्दावली को ही वैध माना जाता है। हिंदी अनुवाद को नहीं। संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। किन्तु, संविधान के निर्माण के समय यह परिकल्पना

की गई थी संघ के कार्यकारी, न्यायिक और वैधानिक प्रयोजनों के लिए 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहे। फलतः कट्टर हिंदी विरोधियों की कृपा से सरकारी कामकाज आज तक मूलतः अंग्रेजी में ही हो रहा है।

स्वयं हिंदी भाषियों के बीच भी या तो हीनताग्रंथि के कारण या फिर अपने आप को ज्यादा शिक्षित घोषित करने के लिये, अपना निजी कार्य भी यथासंभव अंग्रेजी में ही करने का चलन हावी हो चुका है। लोगों ने अपने स्वयं के हस्ताक्षर से लेकर अपने प्रतिष्ठानों के लेटरपैड, परिचय पत्रक, शादी ब्याह के निमंत्रण-पत्र, दुकानों-कार्यालयों के नामपट्ट और सामान बेचने-खरीदने की रसीदें तक, बिना किसी अनिवार्यता के, अंग्रेजी में ही लिखने का रिवाज बना लिया है। हमारे आपके आस-पास आम जनमानस में भी जिन अभिभावकों के पास अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सामर्थ्य नहीं है, वो भी बड़े शौक से अनगिनत दैनिक समस्याओं से समझौता करके अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने को भेज रहे हैं।

भाषा मात्र संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, बल्कि इससे आगे जाकर संस्कृति और विचार की वाहक भी होती है। अपनी भाषा को हीन समझना हमारी अपनी कमतर सोच है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। यही विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें व्यंजन को बिना किसी अन्य व्यंजन या स्वर



की सहायता से उसके वास्तविक उच्चारण के रूप में बोला जाता है। हिंदी भाषा का व्याकरण भी वैज्ञानिक होने के कारण उसे समझना भी आसान है। हिंदी ही वो भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही सुना जाता है और वैसा ही लिखा भी जाता है, निस्संदेह हिंदी में सामर्थ्य की सुगंध है।

भाषा न तो किसी की स्वाभाविक प्रतिभा या बौद्धिकता के विकास में बाधक होती है और न ही उनके अभाव को दूर कर सकती है। हम यदि दूसरे से पिछड़े, तो इसमें हमारी ही कोई कमी है, न कि हमारी हिंदी या अन्य स्वदेशी भाषाओं की। कमी यही है कि 'घर के जोगी को जोगड़ा और आन गांव वाले को सिद्ध' मानने की हीन भावना से पीड़ित है। हिन्दी अपने घर की भाषा है अंग्रेजी दूसरे गांव की। हमने मान लिया है कि सिद्ध तो दूसरे गांव की अंग्रेजी से ही मिलेगी। अपने गांव की हिंदी से नहीं। हम खुद तो बड़े ताव से अंग्रेजी लिखते पढ़ते हैं, पर चाहते हैं बाकी दुनिया हिंदी सीखे ! राष्ट्रीय स्तर पर तो हिन्दी को अपना नहीं पाते, परन्तु हर साल बड़े धूम-धाम से हिंदी दिवस मनाते हैं। जब भारतीय स्वयं ही अपनी भाषा का सम्मान नहीं करते, उसे ठीक से सीखना या बोलना नहीं जानते या नहीं चाहते, तो वे उसे सीखने का कष्ट दूसरे देश वाले भला क्यों करें ?

1893 में भारत अंग्रेजी दासता की बेड़ियों में जकड़ा था। फिर भी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में अपार

जनसमूह के बीच हिंदी भाषा में “भाइयों और बहनों” कहने का साहस करके दिखाया था। ये अपनी भाषा के प्रति मान ही था जिसने उन्हें ये निर्भयता प्रदान की। आज जब हम हर प्रकार से समृद्ध हो चुके हैं तो भी अपनी भाषा पर गर्व करने का साहस क्यों नहीं कर पाते ?? हीनता का बोध ही हिंदी के विस्तार में बाधक है। मातृभाषा की अनदेखी न करें। अपनी दिनचर्या में हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, हिंदी को उचित सम्मान दें, क्योंकि हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति व संस्कार है। सम्मान सभी भाषाओं का है और करना भी चाहिए लेकिन हिंदी भाषा को लेकर संवेदनशील होने और गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने देश को प्रेम करते हुए हिन्दी को अपने बोलने का अभिव्यक्ति का माध्यम बनाएं, गर्व से कहें “हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा”।



(श्रीभागवत शुक्ल)

वरिष्ठ सहायक
जिला एवं सत्र न्यायालय,
बस्ती

न्यायपालिका और कर्मचारी

राजस्थान हाई कोर्ट अराजपत्रित मंत्रालयिक कर्मचारी संघ जोधपुर जयपुर के मिलन कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस के.एस. अहलवालिया ने कहा कि न्यायपालिका में कर्मचारियों की उपयोगिता व उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता।

न्यायपालिका को रूढ़िवादी संस्था माना जाता है और डिजिटल की दुनिया को अपनाने की इसकी प्रगति बहुत धीमी रही है। उच्चतम न्यायालय के गलियारे फाइलों से भरी आलमारियों से पटे पड़े हैं और जिन फाइलों को इन आलमारियों में जगह नहीं मिल पाई है वे फर्श पर बिखरी हैं। दो साल पहले कागज रहित व्यवस्था का वादा किया गया था लेकिन न्यायपालिका को अभी उस दौर का इंतजार है। ला फर्मों में डिजिटल की रफ्तार न्यायपालिका से कहीं ज्यादा तेज है। अपील अदालतों में जाने वाली अपीलों के अक्सर संस्थाओं खासकर सरकारी संस्थाओं के पास भारी मात्रा में फंड उपलब्ध रहता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते साल कई बार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग को झिड़की दी और मध्यस्थता कानून के एक मामले में तो भारी जुर्माना भी लगाया। विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई कंपनियों और उनके वकीलों को नसीहत के बावजूद दूसरे कानूनों के प्रावधानों का दुरुपयोग भी धड़ल्ले से जारी है। बेकार की मुकदमेबाजी को नियंत्रित करने के लिए कोई नियामक नहीं है और कोई स्वनियमन भी नहीं है। परस्पर विरोधी मुकदमेबाजी आम है और कानूनी पेशा इसका पोषण करता है। इस पेशे से जुड़े लोग इन खामियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं लेकिन अल्पकालिक लाभ के लिए बड़े हितों की बलि दी जाती है।

नई दिल्ली में प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के कर्मचारियों के काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के कर्मचारी एक अदृश्य शक्ति हैं, जो न्याय देने में संस्था की मदद करते हैं। न्यायामूर्ति रमण ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों के योगदान की सराहना की, जिसके चलते शीर्ष अदालत एक दिन का भी अवकाश लिए बिना

लगातार काम करना जारी रख सकी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, भारत के उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी के रूप में, फिर चाहे वो सबसे कनिष्ठ परिचारक हो या फिर वरिष्ठ महासचिव, आप दिन-रात न्याय चक्र को चलाने में सहायता कर रहे हैं। आप सच्ची और अदृश्य शक्ति हैं, जो न्याय देने में संस्था की सहायता करती है। मुझे वास्तव में आप पर गर्व है। मुझे इस संस्था पर गर्व है। अच्छा काम करना जारी रखिए। कड़े श्रम, ईमानदारी, समर्पण और ईमानदारी का फल निश्चित रूप से मिलेगा। जीवन और कैरियर दोनों में सरल रास्ते की तलाश न करें। शॉर्टकट लम्बे समय में हानिकारक होगी।

भारतीय न्यायिक प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है। भारत में न्यायिक व्यवस्था का अपना अलग महत्त्व है। यदि भारतीय न्यायिक व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि न्याय व्यवस्था की खामियां और लचर बुनियादी ढाँचा जैसे कई कारणों से न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिससे न्यायिक कर्मचारियों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में 58700 तथा उच्च न्यायालयों में लगभग 44 लाख और जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मुकदमें लम्बित हैं। इन कुल लम्बित मामलों में से 80 प्रतिशत से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। इसका मुख्य कारण भारत में न्यायालयों की कमी व पदों की रिक्तता का होना है।

वर्तमान परिदृश्य में विश्व का कोई भी लोकतंत्र मुख्य रूप से चार स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता पर टिका है। न्यायपालिका इन स्तंभों में से एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।

विजय कुमार पाण्डेय

जिला एवं सत्र न्यायालय,
बुलन्दशहर



चिड़ियां

कहां मैं घर बनाऊ
बनाने के लिए तिनका
कहां से मैं लाऊ ?

छात की आड़ में
सपने कैसे सजाऊ ?
भोर वाली उड़ान
जब भर न पाऊ !
इन बच्चों में गर्मी
मैं कैसे पहुंचाऊ ?

ये मार्मिक दुखड़ा
मैं किसे सुनाऊ ?
वापस कहां से मैं
पेड़ा लाऊ ?
इन सोते इंसानो
को मैं कैसे जगाऊ ?



(सचिन शर्मा)

वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, जौनपुर

‘भ्रूण हत्या’

एक माँ का शब्द सुनने से पूर्व
एहसास में गला ही घोट दिया
वो बच्ची जो अभी आई नहीं
उसे सजा तूने अपने से दिया
कुछ गलत किया क्या उसने था
या गलती अपनी तूने छुपा डाला
बस माँ दृमाँ कहती, अगर रहती
खुद की गलती और उसे मुआ डाला
“मारुति”

अपराध की सोच उसमें पनपा नहीं
वह अंकुर थी कोई पेड़ नहीं
अपनी शौक में उसे भ्रूण बना डाला
पाप अपना उसी पर मढ़ डाला
तू बिल्कुल एक अदालत हुई
जिसमें मुजरिम, वकील, जज तू ही रही
तूने हर एहसास छुपा डाला
अपनी बच्ची को जड़ से जला डाला
अंत में सोच स्वयं लड़की तू
गर माँ तेरी ऐसी होती
तू आती कैसी सृष्टि में
होता, तेरी माँ ने तूझे खपा डाला
अक्सर होता माँ, त्याग का नाम
सर्घष भी माँ ही से होती
इतिहास गवाह है माँ ने ही
संतान के लिए सर कटा डाला ।



(मारुति)

वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, वाराणसी

शिक्षक

दूर नगर से घर था मेरा,
अँधियारे ने घर था घेरा।
पगडंडी पर कदम बढ़ाए,
तुम मेरे घर उजियारा लाये।।

अँधियारे में रहने वाले,
पथ के प्रदीप को कैसे जाने।
अज्ञानता में अलख जगाये,
शिक्षक जब तुम जग में आये।।

सूर्य किरण रोशनी भर लाता,
आंख बिना कुछ दिख नहीं पता।
ज्ञान की आँखे जो दे जाये,
आप देवकोटि कहलाये।।

अंबर में जो चांद सितारें,
फैले जिनसे ये उजियारे।
ज्ञानदूत तुम बनकर आये,
बन भगीरथ गंगा लाये।।

मथे समुद्र तो अमृत आता,
ज्ञान बनकर जो बट जाता।
विष पीकर जो अमृत लाये,
धरती पर शिक्षक कहलाये।।

साहस और विश्वास

विमुख हो संसार ये सारा,
रुकती नहीं जीवन की धारा।
टेक ना देना घुटने अपने,
बिन पैरों के बढ़ना होंगा।

जब तक आस जीवन की बाकी,
विष पी कर भी जी जाएंगे।
कोई हाथ साथ न दे तो,
तब भी अकेले चलना होंगा।

लड़खड़ाये कदम तुम्हारे,
फिर भी कदम बढ़ाते रहना।
गर अंगारे राह जो रोके,
भर फर्फटा दौड़ना होंगा।

जीत ना जाओ रण में जबतक,
तबतक ऐसे अड़ना होंगा,
रक्त बून्दभर तन में जबतक,
हर हाल में लड़ना होंगा।
हर हाल में बढ़ना होंगा।।



नवलकिशोर व्यास
वरिष्ठ लिपिक,
जिल्हा न्यायालय, यवतमाल,
महाराष्ट्र

मेरी निश्चल भावना

नींद ने मुझसे कहा आज तुम मुझे आराम करने दो।

हर दिन तुम्हारी ही सुनता हूँ।

कम-से-कम आज तो मुझे अपनी पलकों में सजाओ।

तो फिर क्या था मैं भी अनमना-सा नींद को अपनी पलकों के सुहृदय पथ पर छोड़ दिया।

अनवरत मैं अपनी ही गीत गाता जा रहा हूँ।

आज उनकी बातों की विकराल लहरों ने मुझे अंधकार में अपने आसियाने को ढूँढ़ने की प्रबल प्रेरणा दे दी।

ना मिला आसियाना तो पन्नों से ही रिस्ता बना लिया।

मेरी भावनाओं को ना समझो कोई बात नहीं, पर मेरी भवनाओं को बवंडर के आगोश में तो ना फेंको।

मैं शायद समझता हूँ सभी को अपनेपन के धागों से जोड़कर।

पर मेरी ऐसी तान कहाँ, जहाँ सुर मिले और बन जाए गीत मेरा।

समझते हो तुम मुझे कुंदजेहन या क्षीणकाय चक्रीवान।

मुझे नहीं आता समझ में शायद, कैसे करूँ विचारों का स्नेहिल विराम।

सबसे स्नेह पाना मुमकिन नहीं, पर मैं कड़वा हो जाता हूँ शायद छोह में आकर। चाहता हूँ ग़म न फटके राहों में अपनों के, तभी तो कड़वा हो जाता स्वभाव मेरा।

नहीं चाहता तुम्हें दर्द का एहसास हो कभी, बस यही सोचकर थाम लेता हूँ हर क्षण बाहों को तेरी।

काँटों पर चलना सिखा है मैंने, तभी तो तुम्हारी राहों में पड़े काँटों को ही मंज़री बना देता हूँ मैं।



ज्योति शंकर मिश्र

सहायक

व्यवहार न्यायालय, चतरा (झारखण्ड)

हमारौ गरौ है, माला हमारी

हमारौ गरौ है, माला हमारी।

फिर क्यों न डारैं, हम बारी-बारी।

हमारौ गरौ है, माला हमारी।

साहित्य के हम, पुरोधा बनिंगे।

आलोचना तुम करौ, न डरिगे।

“अटल” नाम लिखकैं, कर लो तैयारी।

हमारौ गरौ है, माला हमारी।

हमें तुम बुलाओ, तुम्हें हम बुलामैं।

हमें तुम खबाओ, तुम्हें हम खबामैं।

चूल्हे में जाय, ये दुनिया सारी।

हमारौ गरौ है, माला हमारी।

चलौ पाल लैं हम, कछु चेला-चाँटे।

करैं जी-हुजुरी वे, बोमें न काँटे।

हमें देख बोलें, जो जय हमारी।

हमारौ गरौ है, माला हमारी।

तुम्हें जोऊ चाहिँ, सहयोग लै लो।

बुला मंच पै मान, तुम हमकुँ दै दो।

सम्मान कौ जान, हमकुँ भिखारी।

हमारौ गरौ है, माला हमारी।



अटल राम चतुर्वेदी

वैक्तिक सहायक

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा

कलजुग पाप छछाते लउकत, बरधा गाय खेदाइल।
जोखना किनलस बड़का कुक्कुर, टइगर नांव धराइल।
छेंकि के रस्ता गेट लगउलस, बड़की भीत तनाइल।
छोड़ि पलग्गी अंइठल ताके, सगरो भाव भुलाइल।
दर-दयाद में पटत ना कतहूं, इरसा डबल देखाइल।
बिनु झगरे क मूंह फुलवले, ज्यों-ज्यों बढ़त बुझाइल।
दांव पेंच कइसे तर होखें, पर चिंता दुबराइल।
लूरखुर बो भउजी त हरदम, जोरे तोर भीराइल।

जीन्स पहिनले नवका लरिका, लमहर रखें मोबाइल।
गांव क बेटी बहिन ना समुझें, जवन जमाना आइल।
तरह तरह से बार कटावें, देखि के मनवां घाहिल।
कहां जात बा नवकी पीढ़ी, पढ़ल लिखल त जाहिल।
चिघरत डीजे फूहर गाना, नाचत लाज पराइल।
पढ़े लिखे क सउख ना अब त,
कोचिंग खूब खोलाइल।

नकल मारि के इंटर बी ए, अउव्वल दरजे काहिल।
जवन खराब ई समय ये भईया, गउवें मोर बिलाइल।

चर चुनाव परधानी आवे, दारु मीट बंटाइल।
नवा पुरनिया पियत बा सबही, पइसे ओट दियाइल।
पांच बरिस में इहे त मोका, अबले रहल हेराइल।
फिर जीती त कहां मिली ऊ, जवन चुनाव भेंटाइल।
बड़ बदलाव देखाइल भईया, थोरिके इंहा लिखाइल।
रहन सहन आ खेती बारी, समय पाय बदलाइल।
लोक जगत क थाती जेतना, गंवई उहो हेराइल।
लेकिन प्रेम पियार पराई, देखीं बस भकुआइल।

खेती बारी बहुते बदलल, टट्टर खेत जोताइल।
सनई पटुआ रहर बजरा, चरी कहाँ छिंटाइल।
गोरू चउवा चरनी ना त, धंधा कुल्ही ओराइल।
बइठल मुफ्त में खायल चाहें, जंगरे जात थोराइल।
दूध दही सपना बा मंठा, पाउडर दूध किनाइल।

चूल्ह क हथुई बजरा लिट्टी, गोबर कहां पथाइल।
घरे क भेली गूर क रसवा, उखिये कहां बोआइल।
माँड़ भात आ कचरस घुघुरी, कूकर बजत सुनाइल।

ना लोरिकी ना आल्हा बिरहा, सोहर भाँट सुनाइल।
फगुआ कजरी गोंड़उत धोबिया, सगरो गीत भुलाइल।
ना कजरउटा घर में लउके, निबिया तेल पराइल।
ओखरी मूसर चाकी जांता, चिउरा कहां कुटाइल।

काका काकी दादा दादी, माई शबद हेराइल।
माम डैड आ पापा अंटी, लरिका रटें रटाइल।
कुक्कुर के डहगी रटवावैं, किचेन ठाढ़ देखाइल।
कहां रसोई घर ये भईया, चुल्हिये फोरि फेंकाइल।
लरिकन के अंगरेज बनावत, सबही देखा देखाइल।
आपन बोली लाज लगेला, भोजपुरी पछुआइल।
अंगरेजी आ ठड़ी के पाछे, आपन मूल बिलाइल।
कवन नीक बदलाव ई भाखीं, मनवां देखि दुखाइल।

पर परिवार में विघटन देखा, अंगने भीत जोराइल।
आपन मरद आ लइकी लइका, बस पलिवार कहाइल।
माथ न लुग्गा तन ना सारी, सगरो हया फेंकाइल।
सूट पहिन एडवांस बने में, सगरो रीति भुलाइल।
ननद जेठानी प्रीति ना कउनो, चौटिंग में अंझुराइल।
इहे गांव में आवा देखा, देखलीं जवन लिखाइल।
अब गउवें ना उहो पइबा, बहुते बा बदलाइल।
समय क इहे नियम बा बदलल, मन के भाव रखाइल।



राकेश कुमार पाण्डेय

हुरमुजपुर, सादात
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

नया नजरिया

अंधेरे के बादल छट गए हैं,
जिंदगी में नया सवेरा आया है।
कुछ नए शौक पाले हैं,
कुछ नए सपने बुने हैं।
माथे की लकीरें जमटी है,
चेहरे की मुस्कान लौटी है।
मंजिल पाने की नई तरकीबें है,
रास्ते पर चलने का नया हौसला है।
खुद के वजूद की तलाश में पहला कदम
है, जिंदगी जीने का नया नजरिया है।
अंधेरों के बादल छट गए हैं,
जिंदगी में नया सवेरा आया है।



(निशा तिवारी)

कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, कानपुर नगर

न्याय

न्याय है क्या?
न है ये पुरातन, न है ये नया।
ये तो है सदैव।
क्या राक्षस, क्या देव।
वाकिफ हो क्या इससे?
हां, होता रहता है हर क्षण ये।
हर एक सोच यहां असर करती है।
हर एक कण पर यहां नजर रहती है।
न कोई बचता है इससे।
सच ही सच रहता है इसमें।
सम्पूर्ण सत्य केवल सत्य ही है पर्याय।
है यह मां प्रकृति का अटल न्याय।



(आशुतोष झा)

पूर्व कर्मचारी
जनपद न्यायालय, शामली

सही क्या है? गलत क्या है?
ये सबक पढ़ाते हैं पापा
झूठ क्या है? सच क्या है?
ये बात समझाते हैं पापा
जब सूझता नहीं कुछ भी
राहों को सरल बनाते हैं पापा।

हमारा मार्गदर्शक बनते
हमें प्रेरित करने और
हमें वो बनाने के लिए
जो कि हम आज हैं
पापा आपका धन्यवाद!

अज्ञानता को दूर करके
पापा के साथ में रहकर
हमने शिक्षा पाई है
गलत राह पर भटके जब हम
तो गुरुवर बनकर पापा ने राह दिखाई है।
गुमनामी के अंधेरे में थी
पहचान बना दिया
दुनिया के गम से मुझे
अनजान बना दिया
उनकी ऐसी कृपा हुई
पापा ने मुझे अच्छा इंसान बना दिया।

पापा का महत्व कभी होगा न कम
भले कर लें कितनी उन्नति हम
वैसे तो है, इंटरनेट पर हर प्रकार का ज्ञान
तुमने सिखाया उंगली पकड़ कर चलना
तुमने सिखाया कैसे गिरने के बाद संभलना।

गर्व से उठते हैं हमारे सर
हम रहें जहां भी कल
याद आएंगे आपके साथ बिताए हुए पल
हमें आपकी जरूरत रहेगी हर पल।



अंजू सागर
वाद लिपिक
जिला एवं सत्र न्यायालय,
बस्ती

जब मानव का निर्माण हुआ,
तो क्या धर्म वहां रहता होगा,

जब भूख लिए जंगल में था,
निर्वस्त्र घूमते वन में था,
जब एक अभिलाषा भूख की थी,
जब जीवन की आशा टूट चुकी थी,
तो क्या धर्म वहां रहता होगा ।

जब मानव पशुवत अस्तित्व में था,
केवल जीना ही व्यक्तित्व में था,
भोजन ही केवल निमित्त में था,
तो क्या धर्म वहां रहता होगा?

जब उसे लाज का भान न था,
जब मानव को कोई अभिमान न था,
जब नग्न अवस्था में घूमा करता,
केवल भोजन ही ढूंढा करता,
तो क्या धर्म वहां पे रहता होगा,

मानव जब बुद्धिमान हुआ ,
ज्ञान का उसे जब संज्ञान हुआ,
जीवन पर उसको जब अपने अभिमान हुआ,
प्रकृति से जब डर कर जीने का ज्ञान हुआ,
उस बुद्धिमान मानव ने तब धर्म का निर्माण
किया होगा,

और फिर धर्म वहीं से फैला होगा,
अगर धर्म जीवन में होगा ,
तो मानव मन मैला न होगा।

इसलिए धर्म का अस्तित्व हुआ,
फिर मानव का ऐसा व्यक्तित्व हुआ।
बुद्धिमान मानवों के विचार अलग,
इसलिए संसार में हैं धर्म अलग,
फिर चिंतन में ईश्वर का रूप हुआ,
और धर्म जगत का स्वरूप हुआ



अनुराग विश्वकर्मा
जिला एवं सत्र न्यायालय,
अम्बेडकर नगर

“शब्द गीत”

कभी इधर से कभी उधर से
शब्द ये आंख मिचोली में
कभी लड़ी में आ पिरते फिर
बन कविताएं झोली में

इतने सुंदर इतने समधुर
बन गीत ये बज-बज पड़ते हैं
इस जीवन का बन प्रकाश
दूर अंधकार को करते हैं
आओ सब मिल खेलें इनसे
फागुन की सी होली में
कभी लड़ी में आ पिरते फिर
बन कविताएं झोली में

तुमसे कहते मुझसे कहते
ना दूर हमें तुम करना जी
हम सब रस हैं इस जीवन के
बना के अमृत पीना जी
इस जीवन में प्यार हमीं से
शामिल करना हमजोली में
कभी लड़ी में आ पिरते फिर
बन कविताएं झोली में

जीवन बीते जीते जीते
नहीं समझ ये आता है
यदि समझ में आ जाए तो
जीवन जीता जाता है
शब्द सार हैं इस जीवन का
बोलो मीठी बोली में
कभी लड़ी में आ पिरते फिर
बन कविताएं झोली में

कभी इधर से कभी उधर से
शब्द ये आंख मिचोली में
कभी लड़ी में आ पिरते फिर
बन कविताएं झोली में



राजेश बंसल

(वरिष्ठ सहायक)

जिला एवं सत्र न्यायालय, मथुरा

पहली भाषा

प्रेयसियाँ मुझे हमेशा भाषा सरीखी लगीं,
और उनसे प्रेम करना
एक नई भाषा सीखने जैसा,
मैंने कहीं पढ़ा था,
नई भाषा को जल्दी और तरीके से
सीखने के लिए,
स्मृति से हटानी पड़ती है पुरानी भाषा
की वर्णमाला,
भूलना पड़ता है पुरानी भाषा का
कंठस्थ व्याकरण,
क्योंकि हर भाषा का होता है
अपना अलग इतिहास।

और मुझसे हर बार यही गलती हुई,
मैंने नई भाषा को हमेशा पुरानी भाषा से
सीखने को कोशिश की,
इस्तेमाल किया पुरानी भाषा के व्याकरण
को नई भाषा में,
और वक्त के साथ,
या तो भाषा ने मुझे या मैंने भाषा को
अधूरा छोड़ दिया।

अब मैं अंग्रेजी में शेखी बघारता हूँ,
फ्रेंच में चूमता हूँ,
उर्दू में तारीफ करता हूँ,
बंगाली में गाना गाता हूँ,
मगर रोज के लिए खुद को 'पहली भाषा'
में ही सहज पाता हूँ।



साकेत सिंह प्रजापति
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बहराइच

कचहरी का एहसास

ना जाने कचहरी में हर रोज
क्यों खास रहता है।
ना जाने क्यों हर रोज
नया नक्शा बनाने का दबाव रहता है।
ना जाने क्यों हर रोज
पेशकार पर सैकड़ों पत्रावली पर
आर्डर शीट लिखने का दबाव रहता है।
ना जाने हर दिन
कचहरी में क्यों खास रहता है।
ना जाने हर दिन क्यों
अधिकारियों द्वारा नोटिस का
जवाब देने का दबाव रहता है।
ना जाने क्यों हर बाबू पर
तीन से चार हजार पत्रावली
सुरक्षित रखने का दबाव रहता है।
ना जाने क्यों हर रोज
इंक्वायरी ना हो जाए
यही सोच कर मन मस्तिक पर दबाव
रहता है।
ना जाने क्यों कचहरी में
हर दिन क्यों खास रहता है।



समर जीत सिंह

अध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
शाखा-भदोही

लाभ और हानि

एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से एक एक-एक रुपया जोड़ कर मकान बनवाता है। उस मकान को बनवाने के लिए वह पिछले 20 वर्षों से एक-एक पैसा बचत करता है ताकि उसका परिवार छोटे से झोपड़े से निकलकर पक्के मकान में सुखी रह सके। आखिरकार एक दिन मकान बन कर तैयार हो जाता है। तत्पश्चात पंडित से पूछ कर गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन निश्चित की जाती है। लेकिन गृहप्रवेश के 2 दिन पहले ही भूकंप आता है और उसका मकान पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। यह खबर जब उस आदमी को पता चलती है तो वह दौड़ा-दौड़ा बाजार जाता है और मिठाई खरीद कर ले आता है। मिठाई लेकर वह घटनास्थल पर पहुंचता है जहां पर काफी लोग इकट्ठे होकर उसके के मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे थे। ओह बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से एक-एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। इसी प्रकार लोग आपस में तरह-तरह की बातें कर रहे थे। वह आदमी वहां पहुंचता है और झोले से मिठाई निकाल कर सबको बांटने लगता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उसका एक मित्र उससे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारा घर गिर गया, तुम्हारी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई और तुम खुश होकर मिठाई बांट रहे हो। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस घटना का सिर्फ नकारात्मक पक्ष देख रहे हो इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज ही गिर गया। वरना तुम्ही सोचो अगर यह मकान 2 दिनों के बाद गिरता तो मैं मेरी पत्नी और बच्चे सभी मारे जा सकते थे। तब कितना बड़ा नुकसान होता।

दोस्तों इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा सकारात्मक और नकारात्मक सोच में क्या अंतर है। यदि वह व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता तो शायद वह Depression का शिकार हो जाता। लेकिन केवल एक सोच के फर्क ने उसके दुख को सुख में परिवर्तित दिया

(सौरभ श्रीवास्तव)

प्रांतीय संगठन सचिव

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०



न्यायपालिका में कर्मचारियों का योगदान

न्यायपालिका एक सुन्दर उपवन है जिसमें अधिकारी एक सम्पूर्ण वृक्ष, वहीं कर्मचारी उसके शाखा, तना एवं जड़ है जिस पर न्यायपालिका चलायमान होती है। जिस प्रकार से भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है लेकिन सभी फैसले राष्ट्रपति के नाम से माने जाते हैं उसी प्रकार कर्मचारी निर्णय/आदेश रुपी तोप में बारुद भरने का काम करता है और अधिकारी फायर करने के बाद महातोपची कहलाते हैं।

खैर यह एक व्यवस्था के तहत हो रहा है, और सभी लोग अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कर्मचारी भी इसी माला की एक कड़ी है। जिनका योगदान न्यायपालिका के गले की हार की शोभा को बढ़ाता है।

दिन की शुरुआत (duty) जी सर से शुरू हो और जी साहब के साथ खत्म होती है। लेकिन अपने कार्य को करते हुए विभिन्न चुनौतियों यथा, वकील से संघर्ष, नोटिस, स्पष्टीकरण, दण्ड आदि कष्टों का वहन भी करना पड़ता है।

न्यायपालिका रीढ़ की हड्डी, रक्त, मसल आदि के रूप में सहारा देकर एक मस्तिष्क का निर्माण एक अधिकारी के रूप में करने में न्यायपालिका में कर्मचारियों का अमूल्य योगदान है।

अनिल कुमार दूबे

रीडर

जिला एवं सत्र न्यायालय, सिद्धार्थनगर



“जिन्दगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, सही समय कभी नहीं आता”

जिम थार्प का जन्म 22 मई 1887 को अमेरिका में हुआ था। इनके पिता का नाम हिराम थार्प था, जो कि इरान के निवासी थे। इनकी माँ भारतीय मूल की थीं। थार्प को बचपन से ही रेसिंग का बहुत शौक था, मगर इनके पिताजी को रेसिंग पसन्द नहीं था। इसी कारण से उन्होंने थार्प को अमेरिका में ही स्थित इंडियन वोडिंग स्कूल में दाखिला करा दिया और थार्प वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगे। वोडिंग स्कूल में जाने के दो वर्ष बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। माता जी के देहांत के सदमे से जिम थार्प डिप्रेशन में चले गये। इनका अपने पिता जी से भी लड़ाई होने लगी और एक दिन जिम थार्प ने अपने पिताजी का घर छोड़कर चले गये। घर छोड़कर एक घड़े के अस्तबल में नौकरी करने लगे। 16 वर्ष की उम्र में जिम थार्प वर्ष 1904 में अपने घर में पिताजी के पास लौट आये और फिर उन्होंने स्कूल जाने का फैसला कर लिया। यही वो समय था जब थार्प ने रेसिंग के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। दूसरे वर्ष ही उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद जिम थार्प अनाथ हो गये। जिम थार्प के स्कूल में हाई लेवल जम्प का कम्पटीशन वर्ष 1907 में हुआ, जिसमें जिम थार्प भी भाग लिये। जिम थार्प ने स्कूली ड्रेस में ही 05 फीट 09 इंच का जम्प लगाकर सब को चौका दिया था। वर्ष 1912 में अमेरिका ओलम्पिक की दौड़ होने वाली थी, जिसमें जिम थार्प भी भाग लिये थे, मगर जिस समय दौड़ शुरू होने वाली थी उसी के कुछ क्षण पहले जिम से एक चूक हो गयी। जिम थार्प का जूता चोरी हो गया। जिम ने अपने आस-पास के लोगों से पूछा मगर सभी ने बताया कि जूता उसने नहीं देखा है। जिम थार्प काफी कोशिश किये कि किसी के पास यदि इक्स्ट्रा जूता हो तो उन्हें मिल जाये और वो दौड़ में भाग ले सकें। मगर किसी के पास से उन्हें इक्स्ट्रा जूता नहीं मिला। अब जिम थार्प के दिमाग में एक युक्ति आयी और वो अपने आस-पास पुराना जूता ढूँढने लगे, क्योंकि जिम के पास ज्यादा समय नहीं था कि वह नया जूता खरीद सकें। बड़ी मुश्किल से जिम को कचड़े के डिब्बे से एक फटा हुआ जूता मिला। इसके बाद जिम थार्प दूसरे पैर का जूता खोजने लगे। थोड़ी देर बाद दूसरे पैर का भी जूता मिल गया, लेकिन दूसरा जूता भी फटा हुआ था। जिम थार्प को जो जूते मिले थे, वे अलग-अलग जोड़ी के थे। थार्प ने अपने पैर में जूते डाले, एक पैर का जूता ज्यादा फटा था तो उसमें दो मोजे पहन लिये और उसके बाद वह दौड़ने के लिए तैयार हो गये। जिम थार्प ने फटे जूते पहनकर ही पूरी दौड़ पूरी की और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाये। जिम थार्प को दुनिया के सबसे बेहतरीन एथिलीट के लिए जाना जाता है।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी



Love you Zindgi

आत्महत्या कभी अंतिम विकल्प नहीं होता, छिछोरे और महेंद्र सिंह धोनी जैसी फिल्मों में अभिनय कर संघर्ष से उठकर जिंदादिली का पाठ सिखाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। पिछले कुछ सालों में फिल्मी दुनिया के बहुत से लोगों की आत्महत्या इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सफलता की परिभाषा जो हमें समाज में दिखाई जा रही है, वह पूर्णतः सत्य नहीं है। मैं रोज बहुत से युवाओं का Status सोशल-मीडिया पर देखता हूँ, Feeling alone, feeling sad, जैसे Status से सोशल-मीडिया भरा पड़ा है,,, अधिकतर युवा आकर्षण वाले प्रेम के दलदल से खुद को बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं, नौकरी, परिवार और भी पता नहीं कौन-कौन से दर्द, युवा अपने मन में लिये घूम रहे हैं,, सोशल-मीडिया पर भले ही आपके दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी हो पर वास्तविकता यह है, की वर्तमान में अधिकतर युवा अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, ऐसे सभी युवाओं से मेरी अपील है कि ,आभासी दुनिया (सोशल-मीडिया) पर नहीं वास्तविक दुनिया में दोस्त बनायें, ऐसे दोस्त जिनको आप अपने मन की बातें बता सकें, और जो आपको अच्छी सलाह दे सकें, ऐसे दोस्त जिनके साथ आप खुल के हँस सकें,और इतनी सी उम्र में ये चिंता लेना छोड़ दीजिए, खुल के जीना सीखिये, अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए बस और सब कुछ उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अपनी खुशियों पर बंदिश मत लगाइये कि कुछ हो जायेगा फिर खूब खुश होंगे, अभी हँसना सीखिये, बिन बात के हँसना सीखिये, वो गाना तो सुना ही होगा, “Love you Zindgi” बस अब यही करना है, याद रखिये ये समय अगर निकल गया,वापस कभी भी नहीं आएगा, क्या आप किसी Person या Problem, की वजह से अपनी जिंदगी ही जीना ही छोड़ देंगे क्या,,, सुबह जल्दी जागिये, छत पर जाइये, प्रकृति को चारों तरफ देखिये,बस अब और नहीं अब से मुझे बस खुश रहना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।

ऋषि यादव

अध्यक्ष

उ०प्र० दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, फर्रुखाबाद
सह सम्पादक, 'उद्घोष' त्रैमासिक ई-पत्रिका



डिजिटलीकरण - एक आवश्यकता

विज्ञान ने आज के आधुनिक युग को अपने अविष्कारों और प्रयोगों से बदल कर ही रख दिया है, नित्य नए-नए प्रयोग होने से आज के युग में हर कार्य सरलता और सुगमता से कुछ ही पल में सम्भव सा हो गया है, विज्ञान के आविष्कार हम सबके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसी विज्ञान का सबसे बड़ा अविष्कार कंप्यूटर है जो आज सभी के लिए वरदान साबित हो रहा है, कंप्यूटर ने मानव की कार्य करने की क्षमता को इतना तीव्र कर दिया है कि आज मानव कुछ ही श्रम में अत्याधुनिक रूप से अत्याधिक कार्य गलती की कम संभावना के साथ कर सकता है। विज्ञान के इस वरदान को सभी अपने-अपने रूप में प्रयोग करना चाहते हैं व अपने कार्य को सरल व सुगम बनाना चाहते हैं। कंप्यूटर डिजिटल कार्यप्रणाली पर कार्य करने वाली एक मशीन है, मानव अपने कार्य को एनालॉग के रूप में करता है तो कंप्यूटर डिजिटल रूप में अपने कार्य को संपादित करता है। डिजिटलीकरण किसी भी एनालाग सूचना को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, डिजिटलीकरण के द्वारा किसी भी सूचना को आसानी से संग्रहित और प्रसारित किया जा सकता है।

“डिजिटलीकरण किसी सूचना को भौतिक प्रारूप से डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।” इसका अर्थ है कि किसी गैर-डिजिटल सूचना को कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करना। उदाहरण- किसी भौतिक दस्तावेज जैसे कागज को स्कैन करना और उसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर किसी प्रारूप में (Jpg, PDF आदि) डिजिटल दस्तावेज के रूप में सहेजना या स्टोर करना।

किसी भी प्रकार की सूचना या दस्तावेज को डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को डिजिटलीकरण या डिजिटाइजेशन कहते हैं। डिजिटलीकरण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण व आवश्यक जरूरत है व आधुनिक समय में इसका अत्याधिक महत्व है क्योंकि किसी भी तरह की सूचना को अगर भौतिक प्रारूप में रखना हो तो इसमें अत्याधिक समय, जगह और

कागज आदि की आवश्यकता होती है जिससे समय, जगह और कागज आदि की भी अत्याधिक बर्बादी होती है, इन समस्याओं से बचने के लिए ही आज सभी अपने जरूरी व गैर-जरूरी समस्त सूचनाओं व दस्तावेजों को कंप्यूटर मशीन व अन्य सहायक डिजिटल मशीनों की सहायता से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या सर्वर आदि में डिजिटल प्रारूप में सूचना को संग्रहित करके रखते हैं, जिससे हमारी सूचना या दस्तावेज अत्याधिक सुरक्षित रहता है और इस डिजिटल डाटा या डिजिटल सूचना को निकालना, ढूँढना और प्राप्त करना बहुत ही सुगम व सरल होता है साथ साथ कम से कम समय की भी बर्बादी होती है।

किसी भी संगठन द्वारा अपने रिकार्ड्स व दस्तावेजों को भौतिक रूप या हार्ड कॉपी (कागज आदि) में रखने में बहुत ज्यादा समय व पैसे की बर्बादी होती है, साथ-साथ उसके रखरखाव और देखभाल तथा ढूँढने और प्राप्त करने में भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि यदि अगर हमारे रिकार्ड्स व डाटा डिजिटल प्रारूप में है तो उसे प्राप्त करना बहुत ही सरल व सुगम होता है तथा इसमें समय की भी बचत होती है। डिजिटल प्रारूप में रिकार्ड्स अत्याधिक सुरक्षित व व्यवस्थित रहता है, साथ-साथ देखभाल की भी व्यक्तिगत जरूरत नहीं पड़ती है। डिजिटल रूप में रखी गयी सूचना को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित की जा सकती है, डिजिटल प्रारूप में गलती होने और डिजिटल सूचना गायब होने की संभावना कम होती है, डिजिटल रूप में रखी गयी सूचना को कभी भी आसानी से और बहुत जल्दी चेक किया जा सकता है जबकि कागजी रूप में संग्रहित डाटा को चेक करने में बहुत समय लगता है। डिजिटल रूप में रखे गए डाटा का खराब होने या बेकार होने का खतरा बहुत ही कम होता है तथा इसको कुछ ही पलों में एक से अधिक रूप में सुरक्षित करके रखा जा सकता है। इसमें हमारे डिजिटल दस्तावेजों के आग, पानी व दीमक आदि से नष्ट होने के खतरे को बिलकुल कम किया जा सकता है। क्योंकि यह एक से

ज्यादा तरीकों से अलग अलग उपकरणों जैसे सर्वर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि के साथ-साथ आनलाइन गूगल ड्राइव आदि के रूप में भी अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। डिजिटल प्रारूप में हम किसी भी तरह के भौतिक डाटा को संग्रहित कर सकते हैं चाहे वह लिखित रूप में हो या दृश्य या श्रव्य रूप में हो। यदि हम अपने डाटा को आनलाइन ड्राइव में रखते हैं तो उसे हम इंटरनेट के जरिये कभी भी और कहीं भी सरलता व सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल रूप में रखा गया डाटा अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि उसमें गलती होने के अवसर कम होते हैं। डिजिटलीकरण के द्वारा रिकार्ड आसानी से संग्रहित और प्रसारित किए जा सकते हैं।

आधुनिकीकरण के इस दौर में डिजिटलीकरण को एक अहम व उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न्यायपालिका भी पीछे नहीं है। आज देश की प्रमुख उच्च न्यायालयों जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय आदि डिजिटलीकरण प्रक्रिया का तेजी से प्रयोग करते जा रहे हैं जिससे वो न्यायिक कार्य व न्यायिक सुनवाई में भी इस उच्च तकनीकी क्षमता का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जिला न्यायालयों के अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु एक नियमावली तैयार बना दी है, जिसके माध्यम से जिला न्यायालयों के भौतिक अभिलेखों को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित किया जाएगा।

आज देश के प्रमुख उच्च न्यायालयों द्वारा अपने भौतिक रिकार्ड्स और फाइल्स को डिजिटल रूप में बदलने हेतु निरंतर त्वरित प्रयास किया जा रहा है। देश की विभिन्न अदालतों में निरंतर केसेस की बढ़ती संख्या के कारण न केवल इतनी सारी फाइलों को संग्रहित करने के लिए एक बड़ी जगह की आवश्यकता थी, बल्कि दशकों पुराने दस्तावेजों को मैनुअल रूप से संरक्षित करना भी मुश्किल हो रहा था। देश की प्रमुख उच्च न्यायालयों ने अपनी भौतिक फाइल्स और

रिकार्ड्स को सुरक्षित रखने व कागज रहित कार्य करने के उद्देश्य से डिजीटाइजेशन सेंटर की स्थापना पर जोर दिया है, न्यायपालिका में दिन प्रतिदिन नए केसेस की संख्या या दायरा बढ़ता ही जा रहा है साथ-साथ केसेस का निस्तारण भी तेजी से होता जा रहा है, उक्त दोनों ही परिस्थिति में अत्यधिक समय और स्थान की आवश्यकता बढ़ती ही जा रही है। भौतिक फाइल्स का रखरखाव और ढूंढना लगातार एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। भौतिक फाइल्स को आवश्यकता के समय सर्च या ट्रेस करना बहुत मुश्किल कार्य है। डिजिटलीकरण का एक अन्य उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना था कि जब भी आवश्यकता हो इन फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेस किया जा सके। लापता अदालती रिकार्ड के परिणाम गंभीर हैं। यदि अदालत के रिकार्ड दीमक खा गए, फट गये या गायब हो जाते हैं तो इनका पुनः निर्माण संभव नहीं है, तो ऐसी दशा में अदालतें दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार, दोषी अदालती रिकार्ड के अभाव में मुक्त भी हो सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय भी उक्त तथ्यों को लेकर गंभीर है और भविष्य में पेपरलेस कार्यप्रणाली पर मुख्य रूप से फोकस कर रही है।

देश की अन्य उच्च न्यायालयों की भांति देश की सबसे बड़ी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी भौतिक फाइल्स और दस्तावेजों को डिजीटाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में निर्णीत भौतिक फाइल्स को डिजिटल स्वरूप में बदलने की प्रक्रिया तेजी से प्रारम्भ है। जिससे लाखों फाइल्स के भौतिक रखरखाव से कर्मचारियों को भी राहत मिलती नजर आ रही है। निचली अदालतों से अपीलीय अदालतों में रिकार्ड तलब करने में लगने वाला समय भी अक्सर अदालती मामलों में देरी के प्रमुख कारकों में से एक है। देश की समस्त न्यायालयों के डिजिटलीकरण हो जाने से, उच्च न्यायालयों को रिकार्ड्स मंगवाने में व निचली अदालतों को रिकार्ड भेजने में भी बहुत कम समय लगेगा, जब कभी मांगा जाएगा तब रिकार्ड्स डिजिटल

प्रारूप में सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में रिकार्ड्स के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है इसी क्रम में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिला न्यायालयों के डिजिटलीकरण हेतु करोड़ों के बजट देने की बात कही गयी है, न्यायपालिका के कार्य को और त्वरित तथा सरल-सुगम बनाने की दिशा में सरकार व माननीय उच्चतम न्यायालय निरंतर प्रयत्नशील है इसी क्रम में ई-फाइलिंग, ई-कोर्ट्स आदि को और उच्चतर करने का निरंतर प्रयास हो रहा है। न्यायपालिका में पेपरलेस के साथ पिपुल लेस कार्यवाही की आवश्यकता है, इसके लिए इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट एवं डिजिटलाइजेशन की आधुनिक तकनीक को अधिकाधिक उपयोग करने को प्राथमिकता देना होगा, न्यायालय के कर्मचारियों पर फाइल्स के अत्याधिक बोझ को कम करने और कर्मचारियों के कार्य को सरल व सुगम बनाने के लिए भी डिजिटलीकरण बहुत जरूरी व उपयोगी है।

वर्तमान में जिला न्यायालय में न्यायालय के एक बाबू पर मानक से कई गुना अत्याधिक फाइलों के रखरखाव की जिम्मेदारी है। जिला न्यायालय के कर्मचारियों पर अत्याधिक फाइल्स का बोझ, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी तथा फाइलों के भौतिक सत्यापन व अदालती अनुपालन की जिम्मेदारी आदि ये सब कर्मचारियों के लिए बहुत जिम्मेदारी व अत्याधिक बोझ वाला कार्य है, वो भी जब कर्मचारियों पर निर्धारित मानक से कई गुना अत्याधिक कार्य बोझ हो तो।

डिजिटल रिकार्ड्स होने से न्यायालय कर्मी फाइलों की भौतिक जिम्मेदारी व फाइलों के भौतिक रखरखाव की जिम्मेदारी के बोझ से चिंतामुक्त हो जाएगा। डिजिटलीकरण का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को त्वरित, सस्ता, सुलभ, विश्वसनीय व पारदर्शी बनाना है। फाइलों के डिजिटलीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत भौतिक फाइलों को स्कैन करके डिजिटल रूप में परिवर्तित

किया जाता है तत्पश्चात गहनता से स्कैन फाइल को चेक करने के पश्चात् डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया की जाती है तब भौतिक फाइल की स्कैनिंग कॉपी प्रामाणित मानी जाती है, और भविष्य में न्यायालय के समक्ष उक्त फाइल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध रहती है।

डिजिटल क्रांति के युग में आज सभी विभागों को डिजिटलीकरण की अतिआवश्यकता है इससे न्यायपालिका भी अब दूर नहीं है, डिजिटलीकरण प्रक्रिया शुरू होने से न्यायालय कार्य के साथ साथ न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के आधिकारिक कार्य भी तत्परता और सुगमता से संभव हो सकेंगे। माननीय उच्च न्यायालय की भांति जिला न्यायालयों में भी भौतिक फाइलों के डिजिटलीकरण शुरू हो जाने से एवं फाइलों के डिजिटल रख-रखाव हो जाने से कर्मचारियों को अत्याधिक कार्य बोझ से मुक्ति के साथ साथ मानसिक व शारीरिक दोनों तरह की थकान से भी राहत मिलेगी और कार्य में भी पारदर्शिता एवं तत्परता आएगी। सरल, सुगम, पारदर्शी एवं विश्वसनीय अदालती कार्यवाही हेतु डिजिटलीकरण की अतिआवश्यकता है जिससे कार्य में तत्परता एवं सुरक्षा भी बनी रहती है। जिला न्यायालय कर्मियों के लिए डिजिटलीकरण किसी वरदान से कम नहीं होगा।



वसीम अहमद

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, हमीरपुर

सम्बद्ध: मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

पिता-एक अनंत सफर

मेरे कांधे पर रक्खी है
तुम्हारी कई रातों की नींदें
और ख्वाहिशों के कई बस्ते
झुक कर जो मैंने थामी थी
कभी उंगलियाँ तुम्हारी
उस प्रेम की गठरी भी है
रक्खी मेरी कमर पर
कभी उठा कर हवा में
मैंने तुम्हारे ख्वाबों को जो उड़ान दी
उसका विस्तार भी है मेरे कांधे पर
सब तो मुझ ही पर रहा
तुम्हारी जमीं भी, तुम्हारा आसमां भी
इसलिए, उन्हें संभालते हुए
अब जरा सा झुक गया हूँ मैं
नहीं...मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ
बस उम्र के एक लंबे रास्ते से होकर आया हूँ
साँस ले रहा हूँ झुक कर
हांफ रहा हूँ हवा में अपनी दबी ख्वाहिशें
उम्र के सफर में जरा रुक कर
नहीं...मेरी आवाज लड़खड़ाती नहीं हैं
तुम्हें शब्द-शब्द बोलना सिखाते
तुम्हें हर अर्थ समझाते
जरा सी घिस गई है जुबां
ढेर सी लोरियों और तुम्हारे
मुझे “पिता” कहने के
एहसास के बीच कहीं
दब सी गई है मेरी आवाज बस
नहीं...मैं अँधा भी नहीं हुआ हूँ

क्योंकि, मैंने अपने वर्तमान में
अपनी आँखों को मजबूर किया
तुम्हारे भविष्य तक देखने को
और हर रात तुम्हें चैन से
सोता देखने के लिए
मैंने इन्हें जगाये रखा
इसलिए बस जरा थक गई हैं
दूर का अब कम देख पाती हैं

नहीं..ये सब तुम्हें, मैं नहीं कह रहा
मेरा ये सफर कह रहा है
जिसकी मंजिल तुमने चुन तो ली
ये “वृद्धाश्रम” का गेट
जहाँ खड़े हैं तुम और मैं आज
पर तुम भूल रहे हो
“पिता” एक अनन्त सफर है
जिसकी मंजिल तुम तय नहीं कर सकते
तुम जब मुझे यहाँ छोड़ कर जा रहे हो
तो..मैं देख रहा हूँ
तुम्हारी उंगली थामे
एक बचपन तुम्हारे साथ जा रहा है
मैं देख रहा हूँ खुद को जवान होते
तुम्हारे भीतर फिर से
देख रहा हूँ शुरू होते फिर से
एक पिता का सफर ।



श्री नारायण

वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बदायूं

मेरा गांव!

मेरा भी इक गांव है....
नर्म धूप की सुबह सुनहरी,
जहां नीम की छांव है।
मेरा भी इक गांव है...।

प्रात वात की मृदु सुगंध से,
वातायन के रिक्त रंघ्र से।
घोर तिमिर की हुई विदाई।
प्राची में जब लाली आई।।

अरुण आगमन,
निशा का गमन।
रखता रवि शुभ पांव है।
मेरा भी इक गांव है..।।

मंद मंद मृदु मंथर स्वर से,
मलयानिल के कोमल कर से।
राग भैरवी कौन सुनाता,
मधुर कंठ से हमें जगाता।।

विभा पराजित,
ऊषा सुसज्जित।
जहां प्रेम अनुभाव है।
मेरा भी इक गांव है...।।

ऊपर नील वितान मनोहर,
पार्श्व बाम पुष्पित गुलमोहर।
रति कन्दर्प रचित उपवन से,
चंचरीक ले सुरभि सुमन से।।

मुकुल चटकती,
वायु पुलकती।
जहां प्रेम सद्भाव है।
मेरा भी इक गांव है...।।

प्रात वात की सुखद कल्पना,
कोयल कूंक की मधुर व्यंजना।
सरवर मध्य सुशोभित उत्पल,
कलरव करते खग विहंग दल।।

सुन्दरतम है
अति उत्तम है।
जहां हमारा ठांव है,
मेरा भी इक गांव है....।

अभिषेक श्रीवास्तव

वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, गोरखपुर



हम गांधी के अनुयायी हैं
तीनों बंदर के भाई हैं

हम झुकने के अभ्यासी हैं
हम रुकने के अभ्यासी हैं
गंगा जमुनी तहजीब लिए
कुछ काबा हैं कुछ काशी हैं

सब राष्ट्र विरोधी लोगों की
करते हम सदा भलाई हैं

हरदम समझौता वादी हैं
कुछ रेशम हैं कुछ खादी है
हम देश को चरते रहने की
देते रहते आजादी हैं

हम बार एट ला के स्वामी
लंदन से किये पढ़ाई हैं

जो देश भक्त हैं रक्षक हैं
कहते हम उनको भक्षक है
फूलों की डाली लिए हुए
भीतर भीतर हम तक्षक हैं

जो देशभक्त कुछ बने हुए
उनकी हम बने रुलाई हैं



हम गांधी जी के पोते हैं
दिन रात बिपति में सोते हैं
दुश्मन को सुविधा देते हैं
हम खुद दुविधा में रोते हैं

हम छांछ सदा पीते आये
देते हम उन्हें मलाई हैं

जो जातिवाद के पोषक हैं
जो देश धर्म के शोषक है
वह मंच पकड़ कर कहते हैं
हम भारत के उद्घोषक हैं

वह रुपया लेकर चले गये
हम बचे सो आना पाई हैं

=वियोगी

सर्वदिव चौबे

प्रांतीय संगठन सचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश



कर्म की बेला

इन गाँवों में कोयल बोला करती हैं,
इन गाँवों में झंसा सीधे सादे हैं।

तुम कहते हो बारिश सबसे अच्छी है,
उनसे पूँछो जिनके घर भी कच्चे हैं।

जो हारे हैं उनका तो गम छोटा है,
जीतने वाले सबकुछ हारे बैठे हैं।

जब मेले में जाऊँ मुझसे मैं पूँछूँ,
जेबें तो हैं लेकिन पैसे कितने हैं?

सरसों के खेतों में ऐसा लगता है,
फसलें हैं या गहने कोई बोए हैं।

उसको मालुम क्या कीमत है रोटी की,
जिसने भूखे रहकर सपने देखे हैं।

जैसे फूलों पर सुबह शबनम मिलती,
इन आँखों में उसके आँसू रक्खे हैं।



आशीष 'अकबर'

कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, झांसी

कर्म की बेला, फाड़ दो कर दो ध्वस्त
उन आवरणों को, जिन्होंने सत्य को घेरा है,
अंधेरा ही जिनका सबेरा है, चल सको तो साथ चलो,
नहीं तो चलने दो अकेला, है अब कर्म की बेला।

इस क्षण आगे बढ़ना है, अंधकार से लड़ना है,
पकड़ना है आगत को, बढ़ना है स्वागत को,
उस प्रभात का जो है, जीवन का विभास,
नहीं करता जो, प्रतिभा का उपहास।।

मुक्ति पाना है, खुदियों से,
निकलना है, अंधी बीथियों से,
सत्य का स्वांग, न सजने दो,
हर पग पर, आगे बढ़ने दो।।।

तिमिर संरक्षकों से लड़ने दो,
मत कहो मैं हूँ क्लांत,
मलिन और दिग्भ्रांत ,
सूर्य मेरा अराध्य, सत्य मेरा साध्य।।।।



विजय कुमार पाण्डेय

जिला एवं सत्र न्यायालय,
बुलन्दशहर

आज के अर्जुन

वे सारे लड़के, अर्जुन तो थे
बस उनके हिस्से कृष्ण नहीं आये
उनके हिस्से आया
रोज का डेढ़ जीबी इंटरनेट

उन्होंने अपने कृष्ण को खूब तलाशा
कभी किसी लवनजनइमत की बातों में
तो कभी सौ रुपये की जिंदगी
बदल देने वाली किताबों में

लेकिन,
इन installment में मिली गीता ज्ञान ने
उन्हें अध्यात्म कम,
Capitalism ज्यादा सिखाया

कृष्ण के अभाव में
ये अर्जुन नहीं कर पाये,
सगे दुर्योधनों, दुःशासनों का वध
अपने ही दिमाग में
इन्होंने किया कौरवों का पोषण

किसी द्रोणाचार्य ने नहीं दिया
इन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने का वचन
ये निहारते रहे मछली का जिस्म

द्रौपदियों ने किया, आखिरी वक्त में इन्हें इंकार
जताया इनके काबिलियत पर संदेह

ये सारे अर्जुन, अलसाकर अनमने से
फिलहाल निपटा रहे हैं Netflix
कर रहे हैं, सरकारी वेकेंसी का इंतजार

एकलव्यों का आगे निकलना इन्हें खलता है
ये कोसते हैं आरक्षण को
ये बेचारे हैं Confuse
इंटरनेट पर ढूँढ रहे हैं,
सबसे खतरनाक हथियार

लेकिन, मुझे है यकीन
एक रोज, ये उठेंगे अचानक से
इन्हें याद आयेगा, कि ये चला सकते हैं धनुष
रखकर Redmi का फोन, उठा लेंगे गांडीव
तोड़ देंगे चक्रव्यूह और निकल आयेंगे बाहर

क्योंकि, चक्रव्यूह से बाहर निकलना अर्जुन को
आता था
ऐसा महाभारत हमें बताती है।



साकेत सिंह प्रजापति
कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बहराइच

जब हम छोटी आँखों में
बड़े ख्वाब पाल लेते हैं
चीरकर पहाड़ का सीना
रास्ता निकाल लेते हैं

कर अनदेखा पैर का हर छाला,
आगे बढ़ जाते हैं
हाथ में लिये मशाल
अँधियारों से लड़ जाते हैं

आँख से छलके हर एक आँसू को
संभाल लेते हैं
चीर कर पहाड़ का सीना
रास्ता निकाल लेते हैं

त्याग नींद रातों की सुबह
सूरज जगाना पड़ता है
मानो जैसे बंजर भूमि पर
फसल उगाना पड़ता है

सूखा हो गर गला,
कुआँ खोद पानी निकाल लेते हैं
चीर कर पहाड़ का सीना
रास्ता निकाल लेते हैं

हाथ पर रखे अँगारों को भी
बर्फ कहना पड़ता है
आग की लपटों को
फुहार मानके सहना पड़ता है
कुछ इस तरह हर एक साँचे में
खुद को ढाल लेते हैं
चीर कर पहाड़ का सीना
रास्ता निकाल लेते हैं

फानी इस दुनिया में,
साथ कई अपनों का छूटेगा
शूल भरी इस राह पे चलते,
बार बार हौसला टूटेगा

चकनाचूर हौसले जोड़,
बना अमिट मिशाल लेते हैं
चीर कर पहाड़ का सीना
रास्ता निकाल लेते हैं



- सचिन कुमार कैन

कुर्सी

एक हरे पौधे से पेड़ बने,
है पेड़ को लकड़ी बनानी
लकड़ी का काट काट के गांठ
है कुर्सी के आकार में लानी



कुर्सी के ऊपर कुर्सी है
उसके ऊपर भी कुर्सी लगानी
सबसे ऊपर जो कुर्सी है
लकड़ी की यही कहानी

आदेश ऊपर का जल सा है
जल नीचे गिर ही जानी
कुर्सी जो बीच में जकड़ी है
है उसे आदेश नीचे सरकानी,

जो नीचे बैठी कुर्सी है
अंततः उसे सड़ जानी
झेलना तो लकड़ी को है
जो जमीन से सोखता पानी

कुर्सी जो बोले मैं हूँ श्रेष्ठ
है ऊपर वाले ने बात दबानी
जो सबसे उपर कुर्सी है
बोले, ना कर मनमानी

लकड़ी से है लकड़ी का अंतर
सब समय की यही कहानी
है गांठ अगर कही फसती तो
नीचे दबाव है आनी

गर जला दिया नीचे की कुर्सी
तो उसकी खतम कहानी
फिर धुआं उपर जो जाएगा
ओस बनकर गिरेगा आदेश का पानी।

कुर्सी के ऊपर कुर्सी है
कुर्सी की यही कहानी
होता तो लकड़ी ही है
पर सिर सबको है झुकानी
हा सिर सबको है झुकानी



मारुति कुमार

वरिष्ठ सहायक

जिला एवम सत्र न्यायालय, वाराणसी

मस्जिदों की चीख में, मंदिरों के शोर में,
खो गया इंसान कहीं ख्वाहिशों के जोर में।
आपसे गुजारिश है पांव संभल कर रखे,
बात अब वो रही नहीं पूरब की भोर में।
हर तरफ चीत्कार है अधिकार दो अधिकार दो,
इसके जिम्मेदार वे भी तुम भी हो और मैं।
कर्तव्यों के हिस्से मात्र शोर आया है,
कीट बहुत लग गए हैं आम की अब बौर में।

रिश्तों का बाजार है और बाजारु रिश्ते हैं,
प्रेम का भी मोल है आज के इस दौर में।
मिथ्या उपलब्धियों का कोलाहल जारी कर,
हमने छोड़ दिया नई पीढ़ी को किस ठौर में।
आज पड़ ही गई लपट ठंडी यह ज्वाला की,
कट चुकी पतंग ध्यान अब भी है डोर में।

सत्य कहने के लिए हिम्मत मुकम्मल चाहिए
और दोहरी चाहिये वो सत्य सुनने के लिये।

थूक कर मत जाइए
सच बोलने के नाम पर,
है गिरेबां साफ तो
सच अपना सुनते जाइये।
आपने जो ज्ञान झोंका
आज फिर से ट्विटर पर,
सूप और चलनी का किस्सा
फिर से पढ़ कर आइए।
अश्रु मेरे ऑक्सीजन आपकी खुशियों के है,
पर जनाजे पर मेरे यूं नाचिये न गाइये।
है सभी को हक कि शर्मिदा हो अपनी भूल पर,
अच्छे दिनों की आस
कुछ दिन और रहनी चाहिये।



राजेश तिवारी

समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ

मेरे प्यार की बहुत ही अद्भुत है हिस्ट्री
मिली वहां वो जहाँ पढ़ता था मैं केमेस्ट्री

उसका फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स
ओर हम गणित वाले कर बैठे उस से इश्क

बात बढ़ी तो थोड़ा सा वो हमारे करीब आई
उसके O2 से अपनी ट्रिग्नोमेट्री गड़बड़ाई

भूल गए हम A+B के होल स्क्वायर का फार्मूला
जब उसने पहली बार हमको

I love U था बोला

अब उसके फोन हमको रोज आने लगे थे
ओर हम नींद में भी बड़बड़ाने लगे थे

उसका विज्ञान और हमारा गणित हिल गया था
जब हमें एक दूसरे के घर का
पता मिल गया था

अब मोहब्बत में मिलन दोनों को
जरूरी हो गया था
कल मिलेंगे उस से
इसीलिए आज जल्दी सो गया था

उसने कहा मैं केवल तुम्हारी हूँ, तुम्हारी रहूँगी
होगी शादी तुमसे तो ठीक वरना कुंवारी मरूँगी

हम घर उसके उसका हाथ मांगने गए थे
अपनी एक तस्वीर उसके घर टांगने गए थे

पता नहीं कौन से कर्मों का फल हमने था भोगा
अपनी बात रखते कैसे
जब पापा था उसका दरोगा

उसकी माँ ने हमसे पूछा बेटा तुम हो कौन
हम बिना हिला जुले खड़े रहे एक दम मौन

हमने दिखाया अपने प्यार पर जरा सा हक
उसके पिता को हम पर हुआ बड़ा शक

पुलिस की इन्वारी शुरू हो चुकी थी
हमारी होशियारी अब पूरी हो चुकी थी

हम भागे उसके घर से खरगोश की तरह
घर जाकर बिस्तर पर पड़ गए बेहोश की तरह

अगले दिन जब हमारी आंख खुली थी
माँ लिए चाय मेरे सामने खड़ी थी

बोली हमसे पूरी रात सपने में बड़बड़ा रहा था
हमे भी बता दे किसके प्यार में लड़खड़ा रहा था

अब समझे तुम हम नींद में सपने बुन रहे थे
उसी दिन से घरवाले
शादी को लड़की चुन रहे थे

बस इन्ही ख्वाबी यादों में उजाला हो चुका था
अगले कुछ सालों में मैं भी
बच्चों वाला हो चुका था

अब हम अपने बच्चों को गणित पढ़ाते हैं
कभी कभी उनको साइंस भी समझाते हैं

बस यही थी अपनी अद्भुत प्रेम कहानी
हमारे गणित को मिल गई थी रेणु रानी



मुनेन्द्र सिंह

समीक्षा अधिकारी

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बार-बेंच में खोता न्यायिक कर्मी

पेशकार साहब आज काम होगा? प्रस्ताव तो नहीं आया है? साहब बैठेंगे? आज प्रस्ताव है, साहब है, लेकिन बैठेंगे नहीं। इस “प्रस्ताव” रुपी बाधा ने प्रत्यक्ष रुप से दो वर्ग को फायदा पहुँचाया, एक तो बार, दूसरा बेंच को। बार को चाहिए तारीख पर तारीख और बेंच को आराम, बस “कोटा” का ध्यान रहे। वहीं न्यायिक कर्मी-फाइल निकालना, तारीख देना, आर्डरशीट लिखना, कम्प्यूटर फॉर्म आदि सभी काम करना ही है। वो तो जब माक इंटरव्यू में एक सदस्य (ADM) ने पूछा कि क्या आपके साहब लोगों का कोटा बढ़ा दिया जाए तो क्या पेंडेंसी कम नहीं होगी, मैंने उस समय ‘प्रस्ताव’ और ‘गैर-हाजिरी’ को दोषी माना, जबकि असलियत तो ADM साहब जानते थे।

खैर अध्यक्ष जी महामंत्री जी का प्रभाव गाहे-बगाहे बेंच के प्रशासन में हस्तक्षेप के रुप में देखा जाता है और बीच में सेतु की तरह भार उठाये पेशकार बाबू और अर्दली जी में जी

मिलाते रहते हैं। बार-बेंच के इस संबंध को बिना किसी सुधार के चलते देना और हड़ताल रुपी काँटे की मौजूदगी ने लोगों/ जनता वादकारियों को बस रेवड़ी दिया है।

बार-बेंच के बीच इस मधुर संबंध की चासनी में न्यायिक कर्मी एक कठपुतली की तरह साबित हो रहा है। आवश्यकता है कि अस्तित्व बचा रहे और बार-बेंच में न्यायिक कर्मी न खो जाए।



अनिल कुमार दूबे
रीडर

जिला एवं सत्र न्यायालय, सिद्धार्थनगर

हिन्दी दिवस

“एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है,

हिंदी केवल जुबां नहीं, देश के माथे की बिंदी है।”

14 सितम्बर को हम सभी भारतीय “हिन्दी दिवस” के रूप में मनाते हैं। यह सभी भारतीयों के लिये गर्व की बात है। आजादी मिलने के दो साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतवर्ष की राजभाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में “हिंदी दिवस” मनाया गया।

हम लोगों में यह भ्रांति है कि अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है जबकि यह सच नहीं है अंग्रेजी बहुत सारे देशों में बोली जाती है लेकिन संख्या के लिहाज से चीनी भाषा मंदारिन प्रथम स्थान पर और अलग-अलग रिपोर्टों के आधार पर विश्व स्तर पर हिंदी भाषा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा की सूची में किसी रिपोर्ट में दूसरे तो किसी में तीसरे स्थान पर आती है।

इन सबके बावजूद भी हम सब हिंदी बोलने/लिखने में गैरत और अंग्रेजी बोलने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब सरकारी कार्यालयों/विद्यालयों में हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाये जाने के लिये आदेश अंग्रेजी में होते हैं। न्यायालय का कोई आदेश/निर्णय हो या सरकार का

कोई शासनादेश, सब पश्चिमी भाषा में पिरोया जा रहा है।

“हिंदी थी वो जो लोगों के दिलों में उमंग भरा करती थी हिंदी थी वह भाषा जो लोगों के दिलों में बसा करती थी, हिंदी को ना जाने क्या हुआ, रहने लगी हैरान परेशान पूछा तो कहती है, अब कहां है मेरा पहले सा सम्मान” हिंदी महज भाषा नहीं बल्कि यह हमको रचती है। यह हम भारतीयों को एकता के सूत्र में पिरोती है। यह दुनियाभर के भारतीयों को भावनात्मक रूप से एक साथ जोड़ने का काम करती है। आजादी के 75 साल बाद भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की इच्छा अधूरी है।

“अब तो मिलना चाहिए, हिंदी को सम्मान।

पूर्ण राष्ट्रभाषा बने, ऐसा लो संज्ञान।।”

अन्ततः-

“निज भाषा का नहीं गर्व जिसे,
क्या प्यार देश से होगा उसे,
वही वीर देश का प्यारा है,
हिंदी ही जिसका नारा है।”

अजय चौधरी

कनिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, बस्ती



‘मर्द को भी दर्द होता है’

‘ना रुकता है वो कभी,
ना कोई मौसम उसके लिए सर्द होता है,
मैंने देखा है मर्द को भी दर्द होता है।

‘हर मुश्किल में अपने आंसू छिपाता है वो,
उसके हर सपने से पहले उसका फर्ज होता है,
मैंने देखा है मर्द को भी दर्द होता है।

‘उसका टूटा हुआ दिल
कोई जान नहीं पाता है,
उसकी दबी मुस्कान में ना कोई मर्ज होता है,
मैंने देखा है मर्द को भी दर्द होता है।

‘उसको मां - बाप, बहन की
खुशी हर हाल में प्यारी है,
उसकी जिंदगी इन सबका ही कर्ज होता है,
मैंने देखा है मर्द को भी दर्द होता है।

‘वो टूटा होगा अकेले में
शायद किसी वजह से,

फिर भी हर महफिल में
अपनी मुस्कान दर्ज कराता है,
मैंने देखा है मर्द को भी दर्द होता है।

‘अपने हर दर्द को मुस्कान में छिपाये होता है,
सबकी हर मुश्किल में वो आगे खड़ा होता है,
दुनिया की हर तकलीफ में
कमजोर कभी ना मर्द होता है,
पर मैंने देखा है मर्द को भी दर्द होता है।।



सूरज कमल

जनपद न्यायालय, फर्सखाबाद

बार और बेंच में खोता न्यायिक कर्मी

बुद्धि से बुद्धि का टकराव अथवा समानजस्य बैठकर कार्य करना ही न्यायिक व्यवस्था है जैसा हम जानते हैं अधिवक्ताओं के समूह को बार कहा जाता है और बेंच से अभिप्राय है न्यायाधीशों के समूह से है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों ही विद्वता के चरम बिन्दू पर पहुँच कर बार के समस्त कोशिशों के बाद बेंच द्वारा बौद्धिक विवेक का प्रयोग कर एक निर्णय लाया जाता है जो सर्वमान्य होता है।

न्यायिक कर्मचारी न्यायिक प्रणाली एक महत्वपूर्ण साधन है जो बार और बेंच की समस्त कार्यों को कुशलता पूर्वक समपन्न कराने का कार्य करता है, व्यवस्था है। चूँकि यहाँ विवेक की विद्वता का परीक्षण होता है और डेट का निर्धारण व मुकदमों की लड़ाई होती है और इन्हीं के बिखराव की वजह से या अनैतिक कार्य करने से इंकार करने पर बार द्वारा कर्मचारियों पर बहुत तुच्छ आरोप लगा दिया जाता है, और बेंच द्वारा जाने-अनजाने में सहमति से कर्मचारी खुद को एक निर्दोष अपराधी की श्रेणी में पाता है, और उसका व्यक्तित्व कहीं खो जाता है, और चरित्र

पर प्रश्नचिन्ह सा लग जाता है। जिससे उसकी मनोदशा में भारी गिरावट आती है जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो न्यायिक व्यवस्था के लिहाज से भी उचित नहीं कहा जा सकता है

जबकि न्यायिक कर्मचारी एक पुल की भाँति होता है जो दोनों छोर के यात्री को उनकी यात्रा को सुगमतापूर्वक मंजिल तक पहुँचाने के साधन को रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाहन करता है और यदि बार और बेंच में जीत और हार की लड़ाई में कोई गलतफहमी होने पर, समानजस्य न बैठने के कारण टकराव होता है, उसका भी ठिकरा कहीं न कहीं कर्मचारियों के कार्य पर ही फोड़ा जाता है, जिसकी सुनवाई भी अनसुनी रह जाती है, जो यकीनन दिया तले अंधेरा जैसा प्रतीत करता है जिसके अंधेरे में वह डुबात हुआ अस्त हो जाता है।

मारुति

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, वाराणसी



न्यायपालिका और कर्मचारी स्थिति

जब स्थिति की बात की जाय तो तुलना आवश्यक होता है, और यह तथ्य जब न्यायपालिका की हो तो **FIC कर्मचारी** को कौन भूल सकता है। इतना कठिन कॉन्ट्रैक्ट भी होता है क्या? फिक्स्ड वेतन, माह में 01 आकस्मिक अवकाश, नो मेडिकल, नो ई०एल०, नो इंक्रीमेंट, वहीं काम समान और उससे भी महत्वपूर्ण। वर्तमान उत्तर प्रदेश में न्यायालयों में धीरे-धीरे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एडहॉक **FIC कर्मियों** को नियमित किया जा रहा है, लेकिन **FIC Contractual कर्मियों** की परवाह आज तक किसी ने नहीं की। हर महीने दिहाड़ी का प्रमाण भी सेक्शन को, सम्बद्धता कहीं और, छुट्टी शीर्ष कमान से, अगर कहीं से कुछ भला हो तो बड़े बन्धुओं को शोभा नहीं दे रहा है।

ऐसी कठिन सरकारी नौकरी का सृजन ही अन्यायपूर्ण था, ऐसे मस्तिष्क का प्रादुर्भाव हम नहीं चाहेंगे इस पवित्र धरा पर जो मानव हो कर भी मानव नहीं था। **FIC कर्मियों** बीमार नहीं होता, अरे! कोई होटल पर गिलास साफ करता है तो कम से कम मालिक होली-दीपावली कुछ रुपया और मीठा जरूर देता है, यहाँ तो इस दुनिया में लगभग चार साल की सेवा हो जाने के समय भी रीडर/मुंसरिम- 24200, बाबू- 21150 /- अर्दली-चपरासी- 15000/- कितना अन्यायपूर्ण यह व्यवस्था। वही आज कई बन्धु जो बाद में ज्वाइन किये प्रमोट कर गये। एक समूह 'घ' के कर्मियों का वेतन एक रीडर/मुंसरिम के वेतन से

ज्यादा- कैसा अन्याय? क्या है कोई तर्क? क्या बस यह **Form** भरना गलत था? तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनकी तलाश की जानी चाहिए और संघ को कुछ प्रयास इस एलियन वर्ग और अछूत प्राणियों पर भी दयामात्र दिखानी चाहिए, कि इनका भी भला हो जाए। प्रयास किए गए लेकिन निरन्तरता का अभाव ने इन्हे न्यायपालिका के एक कोने में पड़ी फाइल की तरह है, जिसे किसने दाखिल किया पता नहीं, वादी कौन- प्रतिवादी कौन पता नहीं, आये क्यों पता नहीं।

खैर जब इस भाव से ऊपर उठा जाए तो देखेंगे कि नियमित कर्मियों की भी समस्याएं हैं जो संघ समय-समय पर उठाता है, फिर भी एक राज्यकर्मियों की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। आवश्यकता है ओवरवर्डन को दूर करने की, नयी भर्तियों की, आधारभूत संरचना के विकास की, मृतका आश्रित भर्तियों की, स्वास्थ्य देखभाल की आदि विविध समस्याएं सर्वविदित हैं।



अनिल कुमार दूबे
रीडर

जिला एवं सत्र न्यायालय, सिद्धार्थनगर

न्यायपालिका में कर्मचारियों की क्या स्थिति है ?

न्यायपालिका हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है जिस पर लोगो का विश्वास सदैव बना रहता है जहां से न्याय, विश्वास, व जीत का प्रसार होता है यहा से समाज को एक संदेश जाता है कि यदि उसके साथ कोई अन्याय, अत्याचार शोषण आदि होता है तो वह किसी भी समय न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और न्याय की गुहार लगा सकता है, साथ ही साथ न्याय भी प्राप्त कर सकता है क्योंकि यह न्याय का अंतिम विश्वसनीय द्वार होता है । जहांतक न्यायिक कर्मचारियों की स्थिति का सवाल है वह अपने आप में अपनी समस्याओं को समेटे एक बड़े केस के समान है जो एक सुखद निर्णय की आस में तारीख-दर-तारीख अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उपस्थिति दर्ज कराता रहता है।

वर्तमान में समाजिक गतिविधियाँ रोष, विवाद प्रतिशोध आदि होने के परिणाम स्वरूप जो स्थिति न्यायालय के सामने आती है जिसकी संख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है । इसका न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है साथ ही साथ कर्मचारियों पर भी दबाव बढ़ता जा रह है । जबकि कर्मचारियों की संख्या काफी कम है और

दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है । इस प्रकार कर्मचारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है । जो व्यवस्था परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । वर्तमान समय में न्यायिक व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रह है जिसमें विभिन्न प्रकार के आधुनिक तकनीकी और पारम्परिक पद्धति का प्रयोग बड़ी कुशलतापूर्वक सामन्जस्य बैठा कर इन्ही कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है ।

न्यायपालिका में न्यायिक कर्मचारी स्थिति एक ऐसे गोदाम की भांति हो गई है जहा सबका सबकुछ सही तरह से रखने के बावजूद उसके अपने हिस्से का कुछ भाग सड़ गल अथवा नष्ट हो रहा है, जिसमें उसकी कल्याणकारी योजनाए भी शामिल है जिसके सुनवाई व निर्णय की आस में वह दिन प्रतिदिन तारीख दर तारीख दूसरों की सुनवाई के साधन के रूप में कार्य करते हुए अपने सेवनिवृत्ति की ओर बढ़ता जा रहा है ।



मारुति
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, वाराणसी

आत्म मंथन

जिन पर आज विश्वास हुआ,
कल वही तोड़ते है।
जब शब्दों का जंजाल हटा तो,
स्वयं अपना भेद खोलते है।
पर दूसरों को क्या दोष देना,
वो जो कर सकते थे किए,
अपनी कहो! तुम अपने साथ कैसा बर्ताव किए?
क्या स्वयं के प्रति ईमानदार रहे ?
फिर आत्म ग्लानि क्यों न हो ?
अस्पष्ट, किंकर्तव्यविमूढ़ मानव का तिरस्कार क्यों न हो ?
इन सब विचारों की झंझावातों में प्रश्न खड़ा क्यों न हो ?
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ?

नेति-नेति का उद्धोष क्या तुमने किया?
क्या प्राप्त उत्तर का तर्पण तुमने किया?
फिर न कहना की बंधनों का मैं दास हूँ।
जो भी हूँ मैं, बस अपना ही चुनाव हूँ।
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ?

है अगर शेष भी जीवन में सजीवता,
ललकार! उठ! खड़ा हो मुट्ठी को भींचता।
क्यों नहीं, “कोहम” से जीवन को सींचता?
महत्व के निर्णयों से पैर सदा खींचता
हूँ-हूँ करता मैं एक मशीन या इंसान हूँ?
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ?

सुनीता यादव

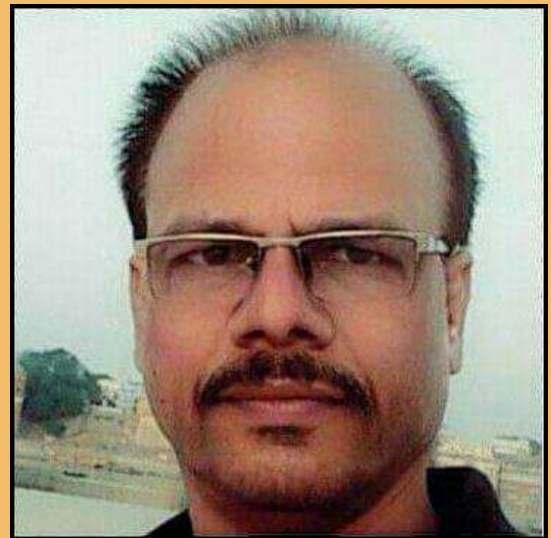
प्रधान प्रतिलिपिक
जनपद न्यायालय, वाराणसी



बेटियां

हँसती खिलखिलाती भागती दौड़ती.....
छन-छन करती उनकी कानों की बाली ...
होती है घर की रौनक ये बेटियां...।
आँखों में गहरा काजल लिये...
पैरों में हो छम-छम करती पायलियाँ....
अपने बाबा के दिल का टुकड़ा
होती है ये बेटियां..।।
हाथों में हो खन खन करती चूड़ियां ...
माथे पर हो वो निखरी हुई बिंदिया...
पता नहीं क्यों हो जाती
इतनी जल्दी बड़ी ये बेटियाँ ...।।।
विवाह के बंधन में जब बंधती है वो....
सिंदूर से अपना सिंगार करती हैं वो ।
हो जाती है एक पल में पराई..,
सात फेरो का चक्रव्यूह
जब रचती है ये बेटियां....।।।
एक पल में अपनी होती है ये..,
फिर दूसरे पल में पराया क्यों हो जाती हैं।
एक घर को संभालते-संभालते...
वो दूसरा घर संभालने क्यों लग जाती हैं।
क्यों कब बन जाती हैं अपने बाबुल के
आंसू की लड़ी ये बेटियां!

कभी घर-घर जो खेला करते थे ये बचपन में...
किसी और का घर संसार
बनाने चल पड़ती है वो
पत्नी धर्म का पालन करने निकल पड़ती है वो
सूना पड़ जाता है वो घर संसार...
जहाँ पायलों की झनकार हुआ करती थी..
याद करके रोते हैं वो माँ बाप भी...
जिनके पास एक बेटी हुआ करती थी
दोनों घरों की रौनक होती है वो
अपनी खुशियों को हथेली पर रखा।
छोड़ती है अपने बाबुल का घर ये बेटियां....



साजिद अली

जिला एवं सत्र न्यायालय,
वाराणसी

हे इन्द्रदेव ।

बरसो-बरसो, चमको न,
चमके से न ई पेट भरी।
जब करबो आप बरसात प्रभु,
धाने कै ई कुल खेत भरी।
धाने से है जुड़ा बहुत-
सीधा रिश्ता पैदाइश कै,
भारत में तो आयो जानो
है बहुत जरूरत राइस (Rice) कै।
बरठउनी है बहुते महंगा,
कुल पूँजी एहमें लाग गइल,
अब देखा ओकरे बादी में,
खादी कै नंबर आइ गइल।
भल्ले सरकार कइले बा सस्ता,
लेकिन शार्टेज बनल रहला,
कब्बो रेट के मामला बा तो,
कब्बो यूरिया मिलत नइ बा।
कुल कइ-धइ कय अब वेट (प्रतीक्षा) करी,
की परभू जल्दी आवो ना।
बढ़िया पैदाइश होय अबकी,
तो खुशी कय दीप जलावल जा।
लेकिन, अइसन लागत है
अबकिर आयो-
सिंचाई विभाग से मिलि गयो।
उत्तर प्रदेश मे यह बेरी,
एक्को बंधा न फेल भयो।
केहुके खुशी-केहुके मातम

अइसन काहे पैमाना बा
जल्दी/तेजी से आवा भगवन,
इंतजार करत ई जमाना बा
सब जब एक-दूसरे जुड़ा है अब,
बारिश आप करबो कब।
अरे दवइयो मारे के बाद,
बनवा कुल जरत है अब।
खैर हमरे माथे में तो कुछ नही बाय,
COP-25 में जलवायु परिवर्तन का नाम सुझाय
'अनिल' सुधरे, तूहूँ सुधर-सुधरो
अपने-अपने स्तर पे।
बारिश नई होई तो सब जानत है-
धरती कय ई शरीर जरी।
बरसो-बरसो, चमको न,
चमके से न ई पेट भरी।



अनिल कुमार दूबे
रीडर

जिला एवं सत्र न्यायालय, सिद्धार्थनगर

अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों की दशा व दिशा

“कर्मचारी” जिसके बिना किसी भी संगठन की कल्पना सिर्फ कोरी कल्पना मात्र है, कर्मचारी हर संस्थान की आधारशिला होते हैं, बिना कर्मचारी के किसी भी संस्थान या संगठन की उन्नति पूर्णतया सम्भव नहीं है। मुख्यता शारिरिक रूप से कार्य करने वाला श्रम करने वाला व्यक्ति जो किसी भी संगठन को अपने श्रम/कार्य से नए आयाम पर लाता है, वो कर्मचारी कहलाता है। हर विभाग की भांति न्यायपालिका के भी कर्मचारीगण, न्याय विभाग की कार्य प्रणाली को सुचारु रूप से सम्पन्न करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, न्यायिक कार्यों को तत्परतापूर्वक एवं सुचारु रूप से निरंतर गतिशील रखने में न्यायिक कर्मचारीगण सदैव प्रयासरत रहते हैं। दूसरे विभाग के कर्मचारियों को लाभ दिलाने वाले व अन्य लोगों की समस्या का समाधान करने वाले न्याय विभाग के ही कर्मचारीगण अक्सर खुद के लिए न्याय की आस लगाए प्रतीत होते हैं। न्याय विभाग के कर्मचारियों की बात अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों के बिना अधूरी ही होगी, प्रदेश के लोगों के आपसी मतभेद सुलझाने

का प्रथम स्थान अधीनस्थ न्यायालय ही है जहाँ के फैसले के विरुद्ध ही अगला पक्ष अपीलीय न्यायालय आता है, अपीलीय न्यायालय भी किसी नतीजे पर आने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किये गए निर्णय और फाइल को देखता और समझता है। लोगों को न्याय दिलाने की पूरी प्रक्रिया को करवाने में जिस अधीनस्थ कर्मियों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसी अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की दशा किसी अन्य को खुद के सिवा अन्य को दिखती भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, कितने समय तक, कितने दबाव में, कितने कार्य बोझ में निरंतर अपनी सेवा न्याय विभाग को दे रहे हैं। शायद ही ये सिवा उक्त कर्मचारी के कोई देखता और समझता हो। न्यायिक कर्मचारियों की दशा के बारे में शायद कोई गंभीरता से विचार करता हो।

देश की अधीनस्थ न्यायालयों में सबसे अधिक, हर प्रकार के केस नित्य रूप से दाखिल और निस्तारित होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को करवाने में अधीनस्थ न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण के साथ साथ कर्मचारीगण का भी सामूहिक सहयोग रहता है, इन सबके बावजूद भी अक्सर अधीनस्थ कर्मचारियों की समस्याएँ जस की तस बनी रहती हैं, और उनके समाधान का कोई सुगम और प्रभावशाली रास्ता जल्दी

नजर नहीं आता है। दिन-प्रतिदिन अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की समस्याओं में वृद्धि ही होती जा रही है, पर समस्याओं का समाधान न के बराबर ही हो पाता है। अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों, कर्मचारियों की सीमित संख्या, पदोन्नति के सीमित अवसर, पदोन्नति में निर्धारित समयबद्धता, अत्याधिक कार्य बोझ, अन्य विभागों की तुलना में सीमित छुट्टियाँ, कम सैलरी आदि प्रमुख बड़ी-बड़ी समस्याओं से ग्रस्त है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों निरंतर ही अपनी सेवा पूरी तत्परता और ईमानदारी से अपने विभाग को देने में लगे रहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की तुलना किसी गुमनाम हीरो से भी की जाए तो कम है, क्योंकि समस्त न्यायिक कार्य को सुचारु रूप से संपादित करवाने में इनकी भूमिका जग जाहिर है। न्यायालय के कार्यों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर मांगे गये स्टेटमेंट्स संबंधित कार्य, फाइलों की देख-रेख, रखरखाव आदि व न्यायालय कार्यों के निष्पादन संबंधित कार्यों को भी समयबद्ध और जिम्मेदारी पूर्वक करना है।

अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की दशा को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठते हुए नहीं दिखते, लगता है जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय कर्मियों की आवाज को कोई सुनने वाला ही नहीं

है, अधीनस्थ न्यायालय में जहाँ सबसे ज्यादा कार्य बोझ और जिम्मेदारी कर्मचारियों पर ही है वहाँ कार्य क्षमता के हिसाब से न तो कर्मचारी है और न ही जिम्मेदारी के हिसाब से कर्मचारियों की उच्च सैलरी और पद है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्य शैली और कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए लगभग 4 दशक पूर्व वर्ष 1989 में जस्टिस के.एल.शर्मा की कमेटी ने राज्य सरकार को अधीनस्थ न्यायालय की दशा और दिशा सुधारने के लिए एवम कर्मचारी हित में कई महत्वपूर्ण संस्तुति अपनी रिपोर्ट में दी थी, पर आज लगभग 3 दशक बीत जाने के बाद भी उक्त कमेटी की सिफारिशों का किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया एवं उक्त सिफारिशें सिर्फ रिपोर्ट के पन्नों में ही रह गयी और कर्मचारियों के जो हालात कल थी आज भी लगभग वैसे ही है।



वसीम अहमद

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, हमीरपुर

सम्बद्ध: मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

‘बोध कया’

एक बार एक भौरा (उडने वाला कीट) फूल के बगीचे में से फूलों का सुगंध लेकर लौटा तो एक स्थान पर देखा की एक गोबरौला (भौरों के जाति का गंदगी में रहने वाला कीट) गंदगी के ढेर में बैठा था। उसे गंदगी में बैठा देखकर भौरों को उस पर दया आयी।

‘भौरों ने सोचा कि मैं कितनी दूर तक घुम कर फूलों का सुगंध लेता हूँ, लोग हमारी आवाज सुन कर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और लोगों की आवाज की तुलना मेरे से की जाती है, वाह! क्या भौरों की तरह गुनगुना रहा है। और एक यह है कि दिन रात गंदगी में रहता है इस की आने वाली पीढ़ी भी इसी प्रकार जीवन जीती रह जायेगी। क्यों न इसे भी फूलों के बाग में ले चलो वहाँ रंग विरंग के फूल देखेगा, उसका सुगंध लेगा तो इस का मन खुश होगा और उसके विचारों में परिवर्तन होगा तो फिर इसकी आने वाली पीढ़ी भी बदल जायेगी। तो ये भी हमारे जैसी जिंदगी जीने लगेगें’।

यही सोचकर भौरों ने गोबरौला के पास गया और बोला भाई आप भी हमारी ही विरादरी के हो, कहा मैं फूलों का सुगंध और रस लेता हूँ और आप इस गंदगी में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी हमारे साथ फूलों की बगीचा में चलिए और फूलों की खुशबू

का आनंद लिजीए और एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास किजिए।

भौरों की बात सुन कर गोबरौला ने कहा कि नहीं भाई मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ मेरी सात पीढ़ी इसी गंदगी में बीत गई तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा’।

भौरों ने उसे बहुत समझाया की हम दोनों एक ही विरादरी के है फिर आप के रहन-सहन और सोच में इतना अंतर क्यों है ? काफी अनुनय विनय करने के बाद गोबरौला भौरों के साथ जाने को तैयार हो गया।

अगले सुबह भौरा आया और गोबरौले को अपने साथ लेकर एक सुन्दर फूलों के बगीचा में ले गया। और बोला की भाई आप यहाँ रंगबिरंगे फूलों का सुगंध लिजिए मैं अन्य जगह घुमकर आता हूँ।

कुछ देर बाद भौरा लौटकर आया तो गोबरौला को उसी जगह (जहाँ छोड़ कर गया था) बैठा देखकर पूछा, “क्यों भाई कितना आनंद आया ?”

गोबरौले ने गुस्से में बोला कि आनंद क्या खाक आया ? जो गंध मुझे वहाँ मिलती थी वही गंध मुझे यहाँ भी मिल रही है वहाँ मैं जमीन पर घुमकर गंध लेता था और भोजन भी कर लेता था। यहाँ तो एक फूल से दुसरे फूल पर जाने में भी परेशानी हो रहा है। भाई मैं जहाँ था वही ठीक हूँ।

गोबरौले की बात सुनकर भौरा बहुत सोच में पड़ गया कि यहाँ इतनी अच्छी सुगंध मिल रही है और यह कह रहा है कि जो गंध वहाँ था वही यहाँ हैं ।

भौरों ने जब ध्यान से देखा कि गोबरौला अपने स्वभाव के अनुसार अपने दोनों आगे वाले पैर में गंदगी को पकड़ कर अपने नाक मुख के पास दबायें हुए बैठा है । जिसके कारण उसे वही गंध आ रही थी ।

यह देखकर भौरा पछताने लगा कि मैं अपनी जाति विरादरी का समझ कर इसे और इस की आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाना चाहता था। लेकिन यह उसी गंदगी में रहना पसंद कर रहा है। इस लिए इसे वही छोड़ देने में ही इस की भलाई है।

भौरा ने कहा चल मेरे भाई तुम्हे वही छोड़ आता हूँ। भौरा उसे ले जाकर उसी गंदगी में छोड़ कर बोला कि भाई तुम्हे तुम्हारी अपनी गंदगी वाली जिंदगी मुबारक हो !

मैं तो तुम्हें अपना समझ कर सोचा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जायेगी तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार की जिंदगी से मुक्ति मिल जायेगी। लेकिन तुम्हे न अपनी चिंता है ? न ही अपने आने वाली पीढ़ी की? तो तुम अपने समाज के बारे क्या सोच सकते हो ?

‘तुम्हारे जैसे नासमझ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार लानत की जिंदगी जीते हैं।’

किसी विद्वान ने कहा है कि -

कीड़े दो प्रकार के होते हैं-

एक कीड़ा समाज को गंदा करता है। और एक

कीड़ा नाली को गंदा करता है ।

नाली को गंदा करने वाले कीड़े को मारने की दवा तो उपलब्ध है लेकिन समाज को गंदा करने वाले कीड़ों को मारने की दवा उपलब्ध नहीं है। इसी कारण आज समाज में गंदगी बढ़ती जा रही हैं ।

साथियों, हम लोगो को भी भौरों की तरह लोगों को अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करते रहना चाहिए । ताकि आने वाली पीढ़ी इस गुलामी से मुक्त हो सके।’

जय भारत । अतुल्य भारत ॥ समृद्ध भारत ॥



बृजलाल मोर्या

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, जालौन

हिन्दी दिवस (14 सितम्बर) एवं राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा

हिन्दी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को मनाया जाता है। वर्ष 1953 से हिन्दी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को स्वतन्त्र भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343 (1) में भारत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी को वर्णित किया गया है। हिन्दी को भारत वर्ष और उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम आधिकारिक भाषा होने का गौरव प्राप्त है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय आधिकारिक भाषा का गौरव उर्दू भाषा को प्राप्त है। हिन्दी और उर्दू भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली दो प्रमुख भाषाएं हैं।

हिन्दी उर्दू भाषा का आपस में सम्बंध

हिन्दी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। हिन्दी भाषा का मूल उदय संस्कृत भाषा व अन्य भाषाओं से मिल कर हुआ है। उर्दू भाषा का उदय अरबी, फारसी तुर्की आदि भाषाओं से हुआ है।

कालांतर में कुछ विदेशी शासक भारत की समृद्धि से आकृष्ट होकर जब भारत आये परन्तु यहां की संस्कृति देखकर यहीं बस गए। उस समय इनकी सेना में अरब, फारस (ईरान), तुर्किस्तान, मंगोलिया और मध्य एशिया के सैनिक थे जो आपस में अपनी मात्र भाषा अरबी, फारसी, तुर्की और मंगोल आदि भाषाओं में बात करते थे। जब शासक वर्ग यहां बसे तो स्थानीय लोगों की भी सेना में भर्ती की गयी। भारतीय सैनिकों और अन्य सैनिकों में भाषा की समस्या सामने आई तब इन सब भाषाओं के मेल से जिस भाषा का जन्म हुआ इसे उर्दू भाषा कहा गया जिसका शाब्दिक अर्थ छावनी या फौजी पड़ाव (लश्कर) है।

अमीर खुसरो पहले ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति जिन्होंने इसे साहित्यिक रूप दिया और इसका नाम हिन्दवी रखा। धीरे-धीरे इसी हिन्दवी का खड़ी बोली

रूप हिन्दी में बदल गया और मिश्रित भाषा रूप को रेखता या उर्दू कहा जाने लगा।

लिपि को छोड़कर इन दोनों भाषाओं का व्याकरण, शब्द विन्यास और शब्दावली आपस में कॉमन रही। इसलिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से उर्दू को हिन्दी की छोटी बहन माना जाने लगा।

वर्तमान समय में उर्दू को हिन्दी से अलग करके देखना कठिन है। जैसे- हम जा रहे हैं, यह वाक्य उर्दू भी है और हिन्दी भी। कुछ जोड़े में बोले जाते हैं जिसमें एक शब्द उर्दू होता है एक हिन्दी। जैसे- रूप-रंग, दान-दहेज व लाज-शरम आदि।

दोनों भाषाओं में मात्र लिपि का अंतर है। हिन्दी को देवनागरी और उर्दू को अरबी-फारसी से मिश्रित लिपि में लिखते हैं।

“हिन्दी उर्दू में फर्क है इतना

वो ख्याब देखते हैं, हम देखते हैं सपना”

वहीं मीर तकी मीर लिखते हैं

“मुसहफ़ी फारसी को एक ताक पे रख

है अशार-ए-हिन्दवी का रिवाज”

हिन्दी और उर्दू के प्रमुख लेखक, महान कवियों में अमीर खुसरो, दया शंकर नसीम, मुंशी प्रेमचन्द्र, रहीमदास व ग़ालिब आदि हैं। ग़ालिब जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह ज़फर के समकालीन थे। उनको क्लासिक कवियों की कड़ी का अंतिम और आधुनिक युग का पहला कवि माना जाता है।

मिर्जा असद उल्ला खां ग़ालिब और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फर का एक बहुत मशहूर वाक्या है।

मिर्जा ग़ालिब चाहते थे कि मुगल दरबार में उन्हें कोई नौकरी मिल जाये लेकिन उन्हें मिल न सकी। बादशाह को शेर-ओ-शायरी से बहुत लगाव था तो वो ये भी चाहते थे कि वो बादशाह के राजकीय कवि हो जाये लेकिन वो भी न हो सका। बादशाह के राजकीय कवि का जॉब उस्ताद जौक जो मिल गया। वो बादशाह के राजकवि थे।

एक बार ग़ालिब चांदनी-चौक में एक दुकान पर बैठे थे तो सामने से उस्ताद जौक शाही टमटम (बग्गी) में आ रहे थे। गर्मी का समय था ग़ालिब पसीने से

तर-बतर कुर्ते की जेब फटी हुई गरीबी की हालत में बैठे थे, उस्ताद जौक ने ग़ालिब को देख कर अकड़ कर बैठ गये तो ग़ालिब ने फरमाया-

“हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता”

अर्थात् बादशाह का चमचा हो गया है तो अकड़ता फिर रहा है। यह बात उस्ताद को बहुत नागवार गुजरी और महल जाते ही उन्होंने बादशाह से कहा कि ग़ालिब ने शरे-राह उनकी तौहीन की है बीच रास्ते में तंज कसा है, इतना सुनते ही बादशाह को भी बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने सिपाहियों को भेजा के जाओ और ग़ालिब को पकड़ कर लाकर उन्हे मेरे सामने पेश करो। सिपाही गये और ग़ालिब को पकड़कर खींचते हुए लाकर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने ग़ालिब से कहा तू क्या है, तेरी हैसियत ही क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे उस्ताद पर शरे-राह तंज कसने की। ग़ालिब ने कहा हुजूर मैंने कोई तंज नहीं किया, मैं तो अपनी नयी गजल का मक्ता दोहरा रहा था तो बादशाह ने कहा सुनाओं मक्ता हम भी सुनना चाहेंगे। ग़ालिब कहते हैं कि-

“हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता
वर्गना शहर में ग़ालिब की आबरु क्या है”

बादशाह को शेर बहुत पसंद आया वह बहुत खुश हुए उन्होंने कहा जब मक्ता इतना अच्छा है तो पूरी गजल भी सुनाइये। ग़ालिब ने जेब में से एक कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया-

“हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है
तुम्ही कहो कि ये अंदाज-ए-गुफ्तगू क्या है”

अर्थात् पहले ही मिश्रे में बादशाह को लपेट लिया कि हर बात पे तुम की जगह तू कहते हो और ये अंदाजे गुफ्तगू (बात-चीत) क्या है। बादशाह को शेर पसंद आया उसने कहा बहुत खूब मुकररर यानी आगे पढ़ो-

“जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा
कुरेदते हो जो राख जुस्तजु क्या है”

अर्थात् आपके जो सिपाही जिस तरह घसीटते हुए मुझे यहां लाए हैं तो उससे बदन क्या दिल भी जल गया है, अब क्या तलासते हो इसमें क्या कुछ बचा ही नहीं है।

“चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन
अब हमारी जेब को हाजते रफू क्या है”

अर्थात् उस दौरान जब कुछ फट जाता था तो रफू करके उसे सिलते थे तो ग़ालिब कहते हैं, अब मेरी फटी जेब पसीने से, खून से मेरे जिस्म में चिपक गयी है मेरे कपड़े जिस्म में चिपके हुए हैं अब इसे रफू की जरूरत भी नहीं है।

“रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल

जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है”

ग़ालिब फरमाते हैं उस्ताद जौक जिस टमटम में सवार हो कर जाते हैं तो हम किसी के ऊपर सवार होकर चलने के आदि नहीं हैं, रगों में दौड़ते फिरते के हम कायल नहीं हैं और जब ऐसा करने से आपकी आंख से आंशू न निकले तो फिर लहू यानी खून क्या है। आखिर में ग़ालिब पढ़ते हैं-

“हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता
वर्गना शहर में ग़ालिब की आबरु क्या है”

जब ग़ालिब ये शेर पढ़ा बादशाह बहुत खुश हुए इनाम दिया, शाही लिबास पहनाया और कहा इतना ऊंचा कलाम आपने पढ़ा है हम बहुत खुश हुए। उसके बाद ग़ालिब ने जो गजल का कागज था जिसे पढ़ रहे थे उसे उस्ताद जौक को दिया और चले गये। उस्ताद ने वो कागज लिया और माथे से लगा लिया और बाद खोला तो देखते हैं कागज कोरा था उसमें कुछ लिखा ही नहीं था।



मो० अनस अंसारी

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, चित्रकूट

एक आदमी ने दुकानदार से पूछा - केले और सेब क्या भाव लगाए हैं ? केले 20 रु. दर्जन और सेब 100 रु. किलो । उसी समय एक गरीब सी औरत दुकान में आयी और बोली मुझे एक किलो सेब और एक दर्जन केले चाहिये - क्या भाव है भैया ? दुकानदार: केले 5 रु दर्जन और सेब 25 रु० किलो। औरत ने कहा जल्दी से दे दीजिये । दुकान में पहले से मौजूद ग्राहक ने खा जाने वाली निगाहों से घूरकर दुकानदार को देखा । इससे पहले कि वो कुछ कहता - दुकानदार ने ग्राहक को इशारा करते हुये थोड़ा सा इंतजार करने को कहा।

वो औरत खुशी खुशी खरीदारी करके दुकान से निकलते हुये बड़बड़ाई - हे भगवान तेरा लाख- लाख शुक्र है , मेरे बच्चे फलों को खाकर बहुत खुश होंगे । औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद ग्राहक की तरफ देखते हुये कहा : ईश्वर गवाह है भाई साहब ! मैंने आपको कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की यह विधवा महिला है जो चार अनाथ बच्चों की मां है । किसी से भी किसी तरह की मदद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी मिली है। तब मुझे यही तरीका सूझी है कि जब कभी ये आए तो मैं उसे कम से कम दाम लगाकर चीजे दे दूँ। मैं यह चाहता हूँ कि उसका भरम बना रहे और उसे लगे कि वह किसी

की मोहताज नहीं है। मैं इस तरह भगवान के बन्दों की पूजा कर लेता हूँ ।

थोड़ा रुक कर दुकानदार बोला : यह औरत हफ्ते में एक बार आती है। भगवान गवाह है जिस दिन यह आ जाती है उस दिन मेरी बिक्री बढ़ जाती है और उस दिन परमात्मा मुझपर मेहरबान हो जाता है । ग्राहक की आंखों में आंसू आ गए, उसने आगे बढ़कर दुकानदार को गले लगा लिया और बिना किसी शिकायत के अपना सौदा खरीदकर खुशी खुशी चला गया ।

कहानी का मर्म :-

खुशी अगर बांटना चाहो तो तरीका भी मिल जाता है।



राहुल सिन्हा

जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद

(सरकारी कर्मचारियों विशेषकर लिपिकीय संवर्ग के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं उनके संघर्षों को समर्पित)

सरकारी नौकरी

हर युवा हर छात्र का अरमान है ये सरकारी नौकरी,
सामाजिक रुतवे और माँ बाप की शान है ये सरकारी नौकरी,
भले ही अनेको डिग्रियां हासिल कर लो पर आज हमारे ज्ञान हमारे क्षमता की पहचान है ये सरकारी नौकरी,
यू तो दिखने में साधारण सी है पर एक अदृश्य अदृश्य शक्ति है ये सरकारी नौकरी,
काले को गोर से महान, तो कभी इंटर को ग्रेजुएट से श्रेष्ठ बनाने की हुनर है ये सरकारी नौकरी,
सैलरी में भले हजार वाली हो, पर लाखों करोड़ों वालों को झुकाने की सामर्थ्य है ये सरकारी नौकरी,
पर यू ही नहीं हासिल हो जाती, बड़ी तपशील है ये सरकारी नौकरी,
कभी मई जून की दुपहरिया में पैदल तो कभी जनवरी की ठंड में साइकिल दौड़ाती है ये सरकारी नौकरी,
कभी सैकड़ों किमी खड़े कराती तो कभी ट्रेन के जमीनों में बैठाती है ये सरकारी नौकरी,
कभी प्लेटफार्म पर लेटकर रात गुजरवाती है तो कभी पेड़ों तले दिन गुजरवाती है ये सरकारी नौकरी,
अभी भले ही लांग लास्टिंग परफ्यूम लगवा दे,
पर पहले पसीने की बदबू में सांस लेना सिखाती है ये सरकारी नौकरी,
कभी अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक दूसरे को हराने की रणनीति बनवाती है
तो कभी अकेले में ध्यान लगवाती है ये सरकारी नौकरी,
लोगों के नजर में भले ही व्हाइट कॉलर बनकर बैठी हो
पर अंदर से न जाने कितने पसीने सोखे होती है ये सरकारी नौकरी,
कभी बाबू जी प्रणाम सुनवाती है, तो कभी कामचोर मक्कार की उपाधियां दिलवाती है,
कभी नवीन चमकदार तो कभी जर्जर भवनों में सरकारी व्यवस्था की पेचीदीयों को सुलझाती है,
तो कभी फाइलो में खुद उलझ जाती है ये सरकारी नौकरी,
कभी लोगों के पेट भरने को अपनी जेब काटती है
तो कभी अपने कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए अधिकारों की कुर्बान कर देती है ये सरकारी नौकरी,
फिर भी कड़ियों की गाली खाती है, भ्रष्ट कामचोर का खिताब पाती है
और उफ तक न करती है क्योंकि अति सहनशील है ये सरकारी नौकरी,
माना कि थोड़ी उलझी थोड़ी सुलझी है पर बड़ी मजेदार है ये सरकारी नौकरी,
मिल जाये तो शहद न मिले तो खट्टे अंगूर है ये सरकारी नौकरी।

विवेक कुमार

(प्रधान सहायक)

जनपद न्यायालय, अमेठी

सम्बद्ध: मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद



मैने अब जाना है, तुम किस कदर हमारे हो ।

मैं एक बहता दरिया हूँ, तुम किनारे हो ॥

मै जब जब अपनी रवानगी पर आती हूँ ।

तुम तो खुद ही, मुझ में डूब जाते हो ॥

मै हौले हौले अपनी लहरों से चूमती हूँ तुम्हे ।

लेकिन तुम तो बेधड़क, मेरे आगोश में आ जाते हो ॥

मै कैसे उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ ।

ये किनारे तो खुद ही मुझमें फना हो जाते है ॥

भरी बरसात में तुमसे मिलने की जिद मै किससे करूँ।

जबकि तुम खुद ही मुझसे मिलने चले आते हो ॥

मै हमेशा से तुम्हारे साथ रही थी, हूँ लेकिन ।

तुम हो कि फिर भी, कितना बेताब नजर आते हो॥



(शैलेन्द्र कुमार चौधरी)

सेवानिवृत्त पेशकार

जनपद न्यायालय, उन्नाव

सरल अधिकारियों को समर्पित

न छोड़ो हमें, हम सताये हुये हैं।

न जाने कितने गर्मों को,

हम दबाये हुये हैं।

न छोड़ो हमें, हम सताये हुये हैं।

न जाने कितनी जांचो को

हम खाये हुये है।

न छोड़ो हमें, हम सताये हुये हैं।

रोज हाई कोर्ट से आने वाले

स्टेटमेंट को, हम बनाये हुये हैं

न छोड़ो हमें, हम सताये हुये हैं।

अनडेटेड पड़ी फाइलों को,

हम भगाये हुए हैं।

न छोड़ो हमें, हम सताये हुये हैं।



सचिन कुमार गौतम

वरिष्ठ सहायक

जनपद न्यायालय, महाराजगंज

मुख एवं दंत की नियमित देखभाल से हो होगा एक स्वस्थ शरीर का निर्माण – डॉ० हिमांशु शुक्ल

उद्घोष त्रैमासिक ई-पत्रिका द्वारा एक नई पहल की शुरुआत हुए पत्रिका के पाठकों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को और बढ़ाने के उद्देश्य से इस श्रृंखला की शुरुआत की गयी है। जिसमें आपके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए इसपर वरिष्ठ चिकित्सों से बातचीत के माध्यम से आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की टिप्स जानेगें। इसी कड़ी में उद्घोष के छठवें संस्करण में प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉ० हिमांशु शुक्ल (शांति डेंटल हॉस्पिटल, मेहदावल, संतकबीरनगर) से बातचीत के प्रमुख अंश आपके समक्ष है।

मुख एवं दंत शरीर का मुख्य द्वार है। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दांतों की सही से देखभाल जरूरी है। उक्त बातें संत कबीर नगर के मेहदावल स्थित शांति डेंटल हॉस्पिटल वरिष्ठ मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ डा० हिमांशु शुक्ल ने कहा कि दांतों की नियमित सफाई, दो बार ब्रश करना, बहुत ज्यादा मीठा के इस्तेमाल से परहेज, चाइनिज, फास्टफूड व चिपचिपा चाकलेट से परहेज कर दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दांतों पर काला धब्बा, मसूढ़े से खून आने व दांतों में कन-कनाहट हो तो दर्द होने का इंतजार नहीं करें। तुरंत दंत रोग विशेषज्ञ से मिलकर इसका इलाज करावें। अन्यथा आप पॉयरिया के शिकार हो जाएंगे अथवा आपके दांतों में सड़न उत्पन्न हो सकती है।

तंबाकू व सिगरेट मुख के कैंसर का प्रमुख कारण :

तंबाकू, सिगरेट, गुटखा व पान के सेवन से समय से पहले दांत घिस जाता है। इसके सेवन से दांतों पर काला धब्बा आना, मसूड़ा फूलना, मुंह के अंदर जलन की शिकायत, मुंह खोलने में कठिनाई, दांतों में झनझनाहट होने लगता है। मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण ही तंबाकू पदार्थों का सेवन है। डॉ. हिमांशु शुक्ल ने सलाह दी कि अगर किसी को इस तरह का लक्षण समझ में आ रहा हो तो वे तुरंत तंबाकू पदार्थों का सेवन बंद कर दें। और अपने नजदीकी किसी कुशल डाक्टर से संपर्क करें।

कैसे रखें दांतों को स्वस्थ :

दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह और रात के खाना खाने के बाद दांतों की अच्छी तरह से सफाई करें। एक से तीन मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करें। मीडियम अथवा साफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करें। पाउडर का इस्तेमाल नहीं करें। पेस्ट कोई भी हो ब्रश अच्छी तरह से की नमक पानी (शीतगर्म) से कुल्ले भी करने की आदत डालें।

मुंह से बदबू का कारण व उपचार :

मुंह से बदबू आने का सबसे बड़ा कारण कब्ज, गैस की शिकायत व सही से दांत की सफाई नहीं करना है। इसके लिए पेट से संबंधित बीमारी का उपचार, नियमित से रूप से दो बार ब्रश व हर-एक बार कुछ भी खाने के बाद सादे पानी से कुल्ला करना जरूरी है।

दांत से खून आना पायरिया का लक्षण व उपचार :

दांत व से खून आना पायरिया के लक्षण है। इसका उपचार मसूढ़े के भीतर की गंदगी टारटर या कैल्क्युलस की सफाई करानी जरूरी है ।

मसूढ़े में दर्द के कारण व उपचार :

मसूढ़े में दर्द के दो मुख्य कारण है। पहला दो दांतों के बीच खाना का फंसना व दूसरा किसी दांत का सड़ना होता है। इसका उपचार दांतों की सफाई। अगर दांत सड़ा है तो दांतों की आरसीटी कराना जरूरी है।



(डॉ० हिमांशु शुक्ल)

प्रसिद्ध दंत चिकित्सक

शांति डेंटल हास्पिटल

निकट बस स्टेशन, मेंहदावल

संतकबीर नगर (उ०प्र०)



समस्त सम्मानित न्यायिक कर्मचारीगण को
पंच दिवसीय प्रकाश पर्व यथा धनतेरस, नरक
चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की
हार्दिक शुभकामनाएं



डॉ० नृपेन्द्र सिंह
प्रांतीय अध्यक्ष



दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ,
उत्तर प्रदेश

नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रांतीय महासचिव

HAPPY
Diwali
FESTIVAL OF LIGHTS

अशोक कुमार सिंह

अध्यक्ष

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ0प्र0, जनपद न्यायालय बस्ती



समस्त देशवासियों को



धनतेरस एवं दीपावली

और

माईया दूज

की



हार्दिक
शुभकामनाएं



अरुण यादव

(अध्यक्ष)

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, फर्रुखाबाद



बच्चों का कोना



बेटी का दान (कन्यादान)

कितना माननीय था उसका दुख
बेटी को दान देते वक्त
जैसे वही उसकी अंतिम संपत्ति हो ।

बेटी अभी बड़ी नहीं थी
अभी इतनी भोली सरल थी ।
की उसे खुशी का एहसास तो होता था
मगर कष्ट से उबारना नहीं आता था ।

पाठिका थी वह कोहरे दीप्ति की
कुछ तुको और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की ।

माता ने कहा पानी में झांककर
अपने चेहरे पर मत प्रसन्न होना ।
आग रोटियां सेकने के लिए है
जलने के लिए नहीं ।

पोशाक और अलंकार शब्द के गलतफहमी

की तरह
गांठ है नारी जीवन के ।

मां ने कहा -

बेटी होना
मगर बेटी जैसी दिखाई मत देना ।
तू बेटी नहीं बेटा है बेटा ।



(सम्पदा सिंह)

सुपुत्री श्री समरजीत सिंह

अध्यक्ष

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ

भदोही उत्तर प्रदेश

चिट्ठी

लेटरबॉक्स में रहती चिट्ठी ।

हम सब का सुख और दुख
दूसरों को बताती चिट्ठी ।

लेटर बॉक्स में रहती चिट्ठी ।

यहां की बात
वहां बताती चिट्ठी ।

डाकिया लेकर आता चिट्ठी ।
हम सबके मन को भाती चिट्ठी ।

लेटर बॉक्स में रहती चिट्ठी ।



रुद्र सिंह

सुपुत्र श्री समरजीत सिंह

अध्यक्ष

दिवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
भदोही उत्तर प्रदेश





Good

22/10/22



भव्या शुक्ला

Class 1st

सुपुत्री श्री भागवत शुक्ल

वरिष्ठ सहायक

जिला एवं सत्र न्यायालय, बस्ती

Page 01

Shivangi Prajapati





She and He see
one cute rat



Love

Beautiful seen!

Parrot! One Female and one
male!

Female Parrot name:- Bindu! male Parrot
name:- Rabende

Jai Ganesh!

Ganesh ji!

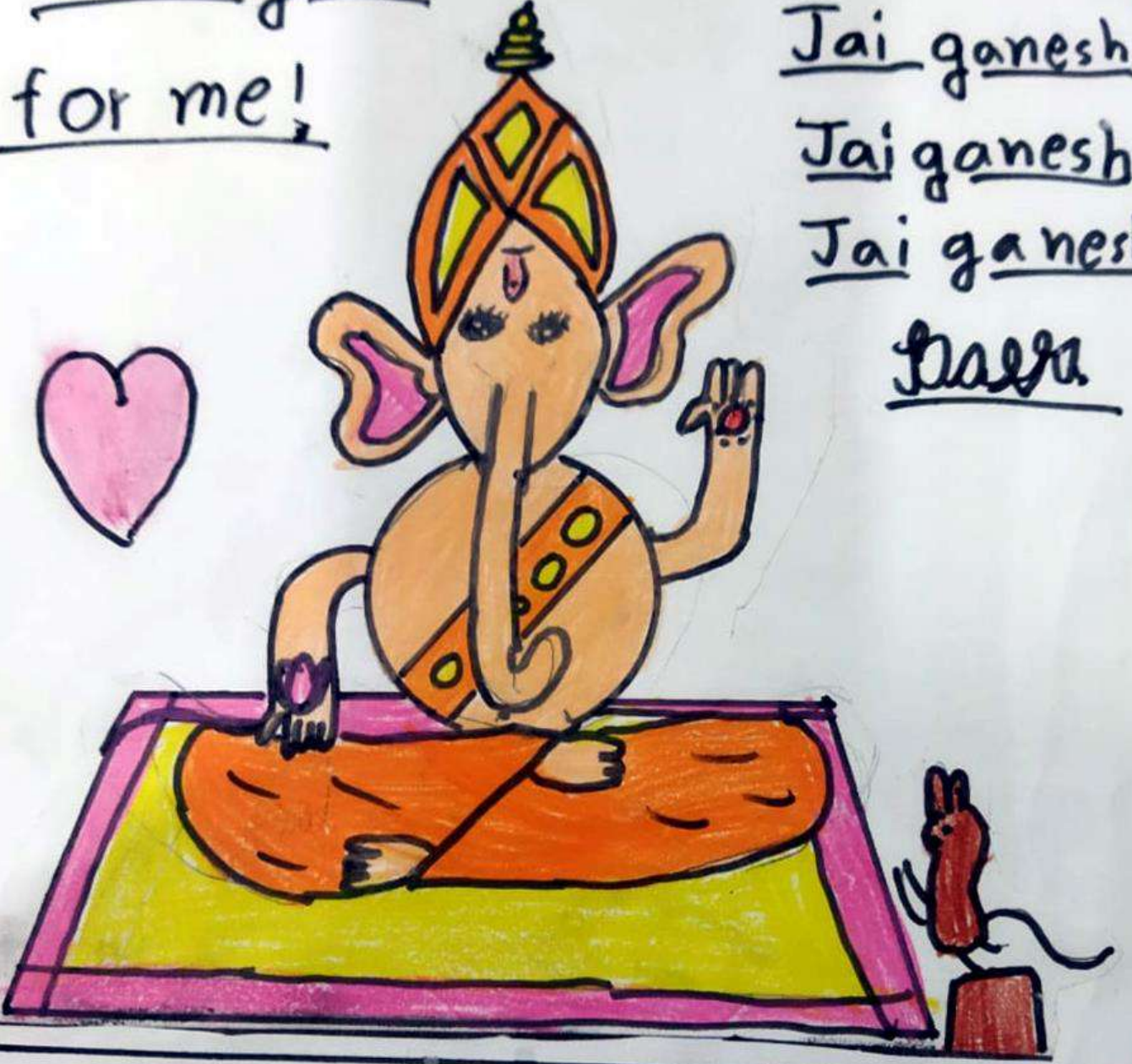
He is god
for me!

Jai ganesh

Jai ganesh

Jai ganesh

Baba



Page 03

Shivangi Prajapati

Page 04

Shivangi Prajapati



Banis Likes carrot and this is also
Bani! Bani means rabbit! And Bani is so

Cute & Lovly!

Shivangi Prajapati

Class-3

D/o

Brij Bihari prajapati
Programmer Grade II
High Court, Allahabad

02 ઓક્ટોબર 2022



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, आजमगढ़





अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, बदायूं



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, बाराबंकी



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, बस्ती



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, भदोही



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, बिजनौर



कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, चित्रकूट





nsung Quad Camera
with my Galaxy A52



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, गौतमबुद्धनगर



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, गाजीपुर



उद्घोष (त्रैमासिक ई-पत्रिका) छठवां संस्करण “जुलाई - सितम्बर 2022”



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, कानपुर देहात



उद्घोष (त्रैमासिक ई-पत्रिका) छठवां संस्करण “जुलाई - सितम्बर 2022”



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, लखनऊ



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, मेरठ



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, मिर्जापुर



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, मुजफ्फरनगर



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, संभल



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, श्रावस्ती



अधिकार प्राप्ति पदयात्रा 02 अक्टूबर 2022 जनपद न्यायालय, सीतापुर



दिनांक 02 अक्टूबर 2022 को प्रांतीय संघ के आह्वान पर अधिकार प्राप्ति पदयात्रा में जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर नगर, गौतम बुद्धनगर, बदायूं, मिर्जापुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, बस्ती, श्रावस्ती, अंबेडकरनगर, सीतापुर, फैजाबाद, आजमगढ़, जालौन, झांसी, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, वाराणसी, ललितपुर, आगरा, गाजीपुर, मेरठ, संभल, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, भदोही, हरदोई, मथुरा, बिजनौर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, औरैया, अलीगढ़, कुशीनगर, पीलीभीत, बांदा, कानपुर देहात एवं रामपुर सहित कई जिलों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया एवं उत्साह के साथ अधिकार प्राप्ति पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अधिकांश जनपदों द्वारा कर्मचारियों के हुजूम के साथ पदयात्रा की गई कई जनपदों में महिलाओं ने भी जोरदार भागीदारी की है। समस्त जिला शाखाओं का हार्दिक आभार कि आपने एकस्वर होकर अपनी बात को शासन तक पहुंचाया।



श्री बृजकिशोर शर्मा
प्रांतीय अध्यक्ष



श्री मुकेश कुमार
प्रांतीय महामंत्री



श्री विनय कुमार शुक्ल
प्रांतीय संयुक्त मंत्री



सुश्री अनुप्रिया सक्सेना
प्रांतीय कोषाध्यक्ष

चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रांतीय पदाधिकारीगण और समस्त साथियों का हार्दिक आभार की आपने हमारा सहयोग भरपूर किया।

उद्घोष (त्रैमासिक ई-पत्रिका) छठवां संस्करण “जुलाई - सितम्बर 2022”

एक नजर में....

प्रांतीय सम्मेलन (मुजफ्फरनगर)

(28 अगस्त, 2022)



उद्घोष (त्रैमासिक ई-पत्रिका) छठवां संस्करण "जुलाई - सितम्बर 2022"





प्रान्तीय सम्मेलन, मुजफ्फरनगर (दिनांक 28-08-2022)



प्रान्तीय सम्मेलन, मुजफ्फरनगर (दिनांक 28-08-2022)

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, झांसी, शपथ ग्रहण समारोह (18 अगस्त, 2022)



उद्घोष (त्रैमासिक ई-पत्रिका) छठवां संस्करण “जुलाई - सितम्बर 2022”



उद्घोष (त्रैमासिक ई-पत्रिका) छठवां संस्करण “जुलाई - सितम्बर 2022”

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित



स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र

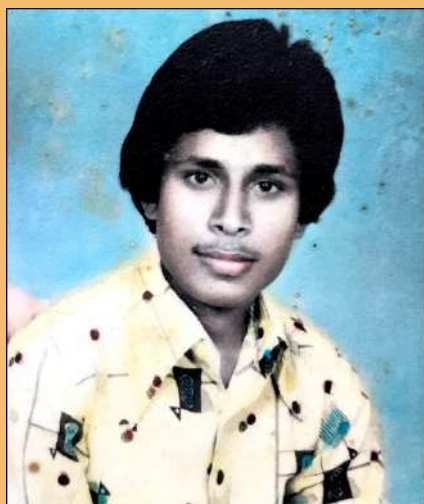
जिन्दादिल व्यक्तित्व का असमय अवसान

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र० को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले एवं शानदार व्यक्तित्व के धनी परम पूज्यनीय स्वर्गीय नरेन्द्र मिश्रा जी को ‘उद्घोष’ त्रैमासिक ई-पत्रिका की सम्पादकीय समिति की ओर से श्रद्धाजंलि एवं श्रद्धा-सुमन अर्पण है।

उद्घोष (त्रैमासिक ई-पत्रिका) छठवां संस्करण “जुलाई - सितम्बर 2022”

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित



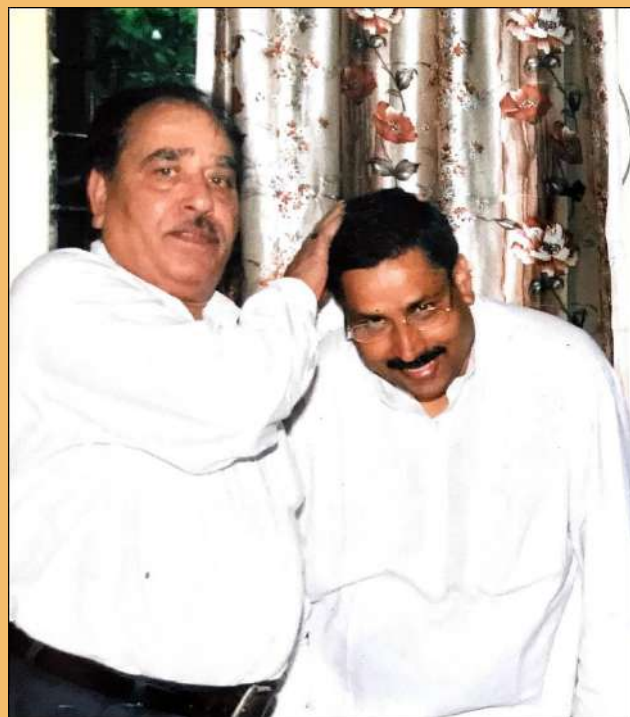
सच्चाई है
लेकिन अब भी
विश्वास नहीं
होता कि नरेन्द्र
प्रताप मिश्र जी
हमारे बीच
नहीं रहे।

आंखों के सामने बेबाक अंदाज से भरा उनका व्यक्तित्व अक्सर आ जाया करता है। दीवानी न्यायालय जौनपुर में कार्यरत तथा दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रान्तीय संगठन से जुड़कर कर्मचारी हित में उनके द्वारा किये गए कार्य सदैव याद किये जाएंगे।

नरेन्द्र मिश्र का जन्म जौनपुर लखनऊ मार्ग पर अवस्थित कुल्हनामऊ गांव में दिनांक 30/06/1964 को हुआ था। पिता श्री संकठा प्रसाद मिश्र पच्चीसों साल ग्राम प्रधान की हैसियत



से ग्राम के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करते रहे। जिले में प्रखर समाज-सेवी के रूप में विख्यात थे। इनके यहां हमेशा गांव व क्षेत्र के लोगों का आना-जाना लगा रहता था। सामाजिक सरोकार इन्हें अपने पिता जी से विरासत के रूप मिली। नरेन्द्र चार भाईयों में सबसे छोटे व सबके लाड़ले



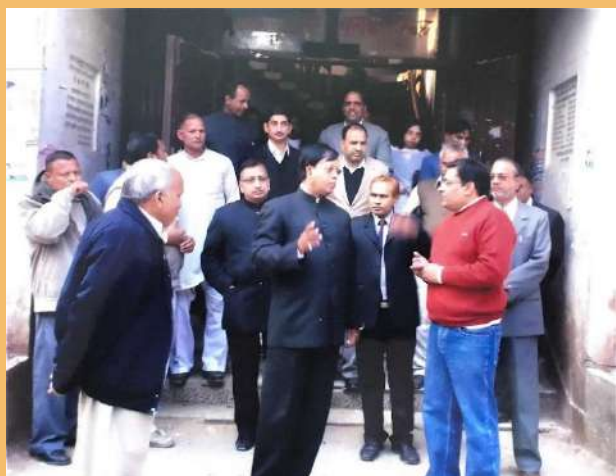
थे। इनकी दो बहने एक बड़ी और एक छोटी हैं। इनके बड़े भाई अवकाश प्राप्त मा० न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद श्री रविन्द्रनाथ मिश्र को अपने

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित



पिता तुल्य एवं आदर्श मानते थे। दूसरे नंबर के भाई राजेन्द्र प्रसाद मिश्र “विद्रोही” जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 1987 का रारी विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े एवं बहुत समय तक काशी गोमती ग्रामीण बैंक के डायरेक्टर के पद पर रहे। तीसरे भाई श्री महेन्द्र प्रताप मिश्र सहकारिता विभाग की नौकरी से अवकाश ग्रहण किये हैं एवं गांव के विकास हेतु सामाजिक कार्यों



में लिप्त है। श्री मिश्र की छोटी बहन श्रीमती मंजू

पाण्डेय फैजाबाद में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। बड़े भतीजे श्री सुनील मिश्र इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। दूसरे भतीजे श्री अनिल मिश्र दुमका (झारखण्ड) के जिला जज हैं। तीसरे भतीजे श्री प्रमोद मिश्र कांग्रेस पार्टी के प्रदेश किसान को-ऑर्डिनेटर है। ये 2007 में रारी विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े। इन्होंने बहुत समय तक युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष



जौनपुर के पद पर रहकर कार्य किया। चौबे भतीजे श्री विवेक मिश्र जिला न्यायालय जौनपुर में अधिवक्ता हैं। दोनों पुत्र श्री हिमांशु मिश्र तथा श्री सुधांशु मिश्र विधि स्नातक हैं तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। श्री मिश्र ने प्रारम्भिक शिक्षा जौनपुर से लेने के बाद, उच्चशिक्षा काशी विद्यापीठ वाराणसी से प्राप्त किया, जहां से इन्होंने डॉ० मास्टर इन सोशल वर्क किया। इसके बाद सिविल

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

कोर्ट रायबरेली में नियुक्ति लेने के बाद 1996 में उनका स्थानान्तरण जौनपुर में हो गया। जहां उन्होंने अपने कार्य व्यवहार, आचरण से कर्मचारी-अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के दिलों में

नतीजा था, कि अपनी मृत्यु तक वो लगातार इस पद पर बने रहे।

अक्सर संघ के हितों के लिए अधिकारियों एवं प्रशासन से सीधे भिड़न्त ले लेते थे। कभी भी किसी भी कारण कर्मचारी एवं

संघ के हितों से कोई समझौता नहीं किये। अक्सर अधिवक्ताओं के बीच में इनको “कर्मचारियों का शेर” कहकर सम्बोधित किया जाता था। श्री मिश्र प्रदेश स्तर पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु 2004 में कर्मचारी संघ के प्रान्तीय सचिव का चुनाव लड़े एवं जीते। उसी वर्ष बाराबंकी के रहने वाले एवं श्री मिश्र जैसे ही कर्मचारियों के हितों के लिए कुछ भी कर गुजरने



अलग ही स्थान व पहचान बनाई। श्री मिश्र कर्मचारी हितों की जर्जर स्थिति को देखते हुए कर्मचारी संघ के चुनाव में जाने का फैसला लिया और 09 मई 2001 को भारी मतों से चुनाव

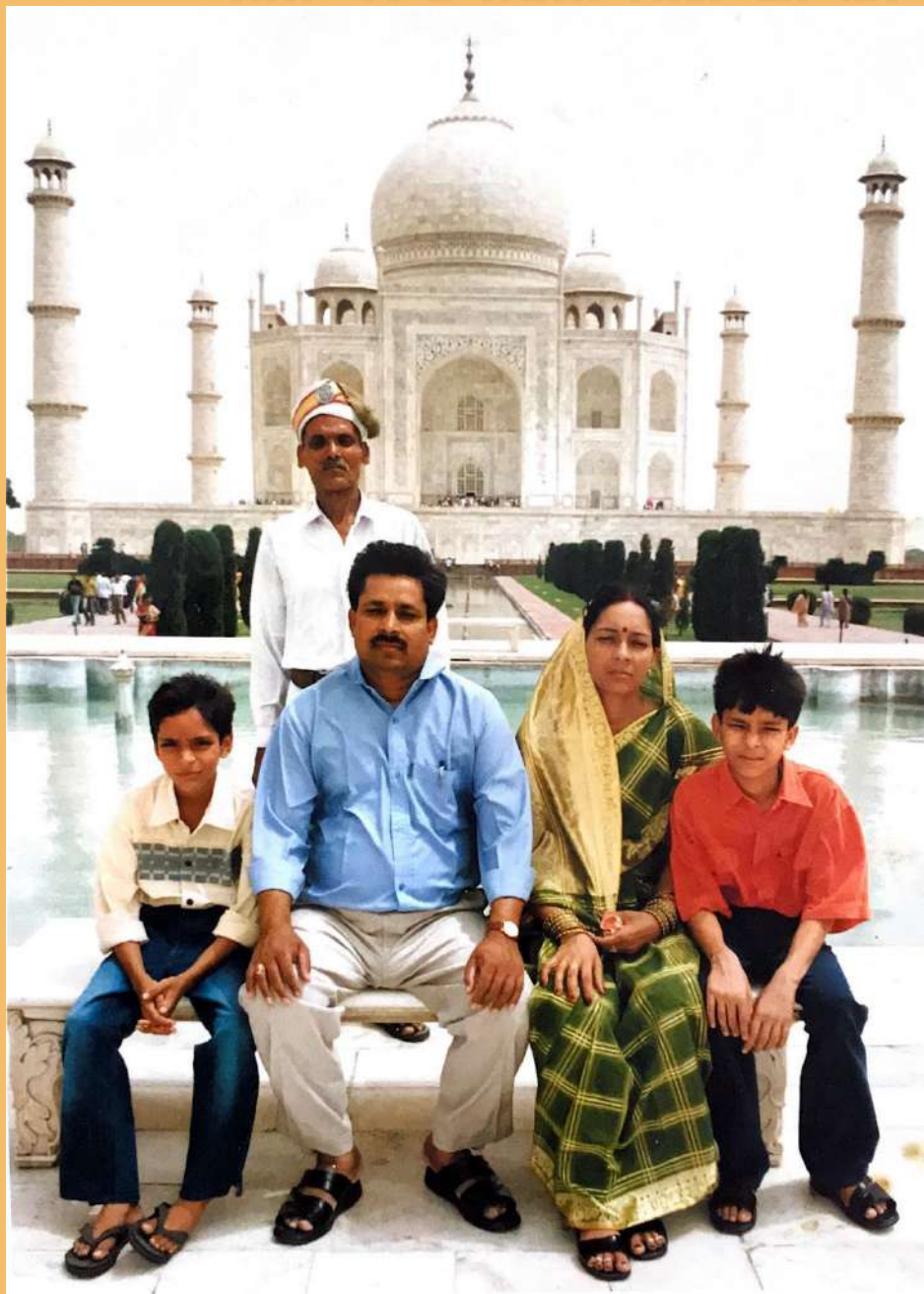


जीतकर दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ जौनपुर के अध्यक्ष बने। ये उनके कुशल कार्य प्रतिभा एवं कर्मचारी हितों को सदैव सबसे पहले रखने का ही



स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित



रातभर कर्मचारी हितों और पारिवारिक बातों को फोन पर किया करते थे।

प्रभावकारी व्यक्तित्व के धनी श्री मिश्र जी के मित्रों की श्रृंखला बड़ी रही। उनसे उम्र में बड़े हो या छोटे हो वो उन्हें अपना मित्र तुरन्त बना लेते थे। श्री मिश्र जी के जाने से दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारीगण एवं सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के न्यायिक कर्मचारीगण बहुत व्यथित है।

बेवक्त चले गए
कुछ अधूरे ख्वाब
कुछ अधूरी बातें
कुछ अधूरे किस्से

वाले पण्डित अनिल शुक्ल से मुलाकात हुई। उस दिन से श्री मिश्र की मृत्यु तक एक पारिवारिक और आदर का स्थापित रहा। बच्चों के मुताबिक पण्डित अनिल शुक्ल और श्री मिश्र रोजाना रात

सब कुछ यही छोड़ गए।
करनी भी बहुत सी गुफ्तगू
सबको यूँ खामोश छोड़ गए
तुम आंखे बन्द कर चले गए
सब कुछ यहीं छोड़ गए।

प्रस्तुति : सम्पादकीय समिति “उद्घोष” त्रैमासिक ई-पत्रिका

विशेष सहयोग : श्री सुधांशु मिश्रा (सुपुत्र स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र) एवं श्री अनिल उपाध्यय (पारिवारिक मित)

उद्घोष (त्रैमासिक ई-पत्रिका) छठवां संस्करण “जुलाई - सितम्बर 2022”

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

**“कर्मचारी नेता स्वर्गीय नरेन्द्र मिश्र को
हार्दिक श्रद्धांजलि, पंडित अनिल शुक्ल”**

उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांतीय संगठन मंत्री, 41 वें अधिवेशन के चुनाव अधिकारी, प्रिय नरेन्द्र मिश्र अध्यक्ष जौनपुर हमारे सानिध्य में कब प्रगट हुए यह तो हमें भी ध्यान नहीं क्योंकि 1976 में नियुक्ति के बाद 1977 से मैं



कर्मचारियों के हितार्थ समर्पित हो गया और 2014 में सेवा निवृत्त तक निरंतर समर्पित रहा इस दौरान जब हमने अपने संघीय दौरे की पहली शुरुआत की तो सर्व प्रथम उन्नाव से जिसमें हमारे साथ नरेन्द्र प्रताप मिश्र थे, तभी वहां हमारी मुलाकात सुरेश चन्द्र गुप्ता और राजेंद्र जौहरी जी से हुई। तत्पश्चात् हमने अपना निजी सचिव बाराबंकी के कर्मचारी रहमत पाशा को नियुक्त किया और उन्होंने हमारे 15 दिवसीय दौरे का प्रोग्राम बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ जौनपुर वाराणसी गाजीपुर का लगा कर विद्वान् जनपद न्यायाधीशों को प्रोग्राम भेजा उस वक्त भी प्रिय नरेन्द्र प्रताप मिश्र दो तीन जनपदों में मेरे साथ रहे, स्वर्गीय

मिश्र हमें बहुत चाहते थे और हम उन्हें मैं उनके बड़े बेटे के पाणिग्रहण में जौनपुर श्री जय शंकर त्रिवेदी के साथ गया था और वो हमारी बड़ी पुत्री के पाणिग्रहण में विगत दिसंबर में शामिल हुए थे। जहां तक उनके न्यायालय कर्मचारी मित्रों का

प्रश्न है उसमें प्रतापगढ़ मनोकर्निका उपाध्याय, वाराणसी श्याम सुन्दर श्रीवास्तव, राजीव रतन सिंह, आगरा, राजीव मिश्रा, रायबरेली के सैनी जी, श्रावस्ती के नरेन्द्र विक्रम सिंह, रामचरित मिश्र, बृज किशोर शर्मा, बाराबंकी के श्री जय शंकर त्रिवेदी, एस एम ताहा, कानपुर के अनंत शुक्ल, झांसी के प्रत्युष शुक्ल, बदायूं से डाक्टर नृपेंद्र सिंह एवं बस्ती जनपद के तेज तर्रार, कर्मठ युवा कर्मचारी नेता श्रीभागवत शुक्ल सहित अनेक कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों से उनका बहुत गहरा लगाव था। हम यह तो नहीं कह सकते कि हम प्रिय नरेन्द्र प्रताप मिश्र के सबसे करीब थे, लेकिन उनका रात्रि-रात्रि फोन से हमसे बात करना, अपने पुत्र के विवाह में स्पेशली मौजूद

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

रहने की बात करना होटल की व्यवस्था करना कम से कम तीन महीने में एक बार लखनऊ में न्यू श्री रामा कृष्णा में एक दिन व दो दिन सत्संग करने के लिए आना, बेटियों के विवाह पर डिस्कस करना असीम परिवारिक स्नेह देता था, लगता था कि हमसे करीबी उनका कोई नहीं, ऐसा प्यार वो करते थे। मेरी माता जी के तेरहवीं संस्कार में आना, प्रायः मीटिंगो में हमारे साथ जाने का प्रयास रहना, और अंतिम दिनों में 31 मई को जब जांच कराने लखनऊ के लिए जौनपुर से चलना तो हमें मौजूद रहने की अपेक्षा रखते थे, और वाराणसी इंस्टीट्यूट से डिस्चार्ज होने पर फोन से बताना कि “पंडित जी आपके आशीर्वाद से सकुशल जौनपुर घर जा रहा हूं कैंसर नहीं है जल्द मिलेंगे” कहना बताता है कि वह मेरे हृदय के अत्यंत करीबी और हमारे सबसे अपने परिवारिक थे और हमारे करीब कौन है ? उसकी वह निगरानी रखते थे जिससे कहीं कोई क्षति हमें न हों ! वह हमारे जीवन में इतने हुये करीब कि हम क्यों दूर हो गए ? उनके सिवा हमसे किसी ने आज तक हक से कहा ही नहीं कि पंडित जी अब एक पुत्री की आपके और एक बेटा मेरा विवाह संपन्न हो जाए बस रिटायरमेंट बाद हम लखनऊ आकर प्रैक्टिस करेंगे और राजनीति किया जायगा ! कुल मिलाकर हमारा मानना है नरेन्द्र मिश्र हमारे पूर्व जन्म के खास परिवारिक थे जो इस जन्म में

मित्र के रूप में अभिन्न सहयोगी के रूप में परिवारिक बने रहे जिन्होंने इस संसार से विदा लेकर वास्तव में हमें काफी रुलाया। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को अपार दुःख को सहने की शक्ति के साथ साथ वो सभी सुख प्रदान करने की कृपा करें जो प्रिय स्व० मिश्र करना चाहते थे, यही हमारी अभिलाषा और ईश्वर से प्रार्थना है।

हमारी उन्हें सपरिवार हार्दिक श्रद्धांजलि।



“पुजारी विश्व शांति भारत पत्रकार पंडित
अनिल शुक्ल अमूल्य निधि ऑफ दीवानी
न्यायालय कर्मचारी संघ उ०प्र०

पंडित अनिल शुक्ल

कानूनी सलाहकार, नीलम कोठी बाराबंकी
वर्तमान आवास विनय खंड -01
गोमती नगर लखनऊ

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित



स्मृतिशेष : नरेन्द्र प्रताप मिश्रा

जन्म : 30/06/1964

मृत्यु : 25/07/2022

परम् आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी, का हमारे मध्य न रहना समस्त प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अपूरणीय क्षति है। वे संघ के मजबूत स्तम्भ होने के साथ सर्वप्रिय थे, दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश हेतु किया गया उनका योगदान अनुकरणीय

है। वह सदैव हमारे प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। एक बड़े भाई के रूप में जो स्नेह व आशीर्वाद उनके द्वारा मुझे प्रदान किया गया, मैं सदैव व्यक्तिगत रूप से उनका ऋणी रहूँगा।

मैं परमात्मा से उनकी आत्मा को परम् शांति प्रदान करने व परिवार को दुःख सहन करने की प्रार्थना करता हूँ।



(संदीप चौहान)

प्रांतीय संरक्षक

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०।

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

॥ श्रद्धाजंली ॥



युवा साथी, अनुज, भाई नरेन्द्र प्रताप मिश्र (जौनपुर न्यायालय के कर्मचारी और शाखा अध्यक्ष) का निधन दिनांक 25 जुलाई, 2022 को हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे। वह ग्राम-कोल्हानामऊ, तहसील-सदर, जनपद - जौनपुर के निवासी थे। उनकी प्रथम नियुक्ति जनपद रायबरेली में हुई थी। सन् 1975 में जौनपुर जिला न्यायालय स्थानांतरित होकर आए। प्रारंभ से ही वह कर्मचारी राजनीति में सक्रिय और अग्रणी रहे और प्रान्तीय बैठकों में जनपद जौनपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनके एक भाई श्री रवीन्द्र नाथ मिश्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मा० न्यायमूर्ति रहे। उनके पिता का नाम श्री संकठा प्रसाद मिश्र है। एक

भाई श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र विधायक का चुनाव भी लड़े थे परन्तु सफल नहीं हो सके। वे अपने पीछे श्री हिमांशु मिश्रा एवं श्री सुधांशु मिश्रा (पुत्र) एवं श्रीमती अनीता मिश्रा (पत्नी) को छोड़कर गये।

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, प्रदेश परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और शोक संतुष्ट परिवार को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।



डॉ० विजय कुमार

पूर्व महासचिव/अध्यक्ष

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश
सेवानिवृत्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, लखनऊ।

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

अनासक्त, और संबुद्धि युक्त व्यक्तित्व के
स्वामी स्वर्गीय नरेन्द्र प्रताप मिश्र

वर्ष 2008 के लगभग हम लोग छठवें वेतन समिति के समक्ष पहुंच कर अपनी बाते रख रहे थे और अपनी स्थिति को बेहतर करने हेतु प्रयासरत थे। कई लोग कई तरीकों से हमारा काम देख रहे थे तभी कुछ समय बाद फोन से एक बड़े भाई की सराहना और प्रोत्साहन के अमूल्य आशीर्वचन प्राप्त हुए, लगा कि कोई है जो हमारी पीठ थपथपा रहा है, वह फोन था गोलोकवासी आदरणीय नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी का, उन्होंने फोन रिसीव करते ही कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, जब तक कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं होती तभी तक परिस्थितियां नहीं बदलती, लगे रहो जब मेरी जरूरत हो बता देना।

फोन रखकर मैंने सोचा कि कोई तो बड़ा है जिसका हाथ मेरे सर पर है, फिर लगातार बातें होती रही, हर बार उन्होंने मुझे ही प्रोत्साहित किया कभी स्वयं के लिए उनके मन में कही आगे आकर नाम करने की बात रही ही नहीं। लेकिन हर बार वे मुझे और अधिक संघनिष्ठ ही लगे।



कालांतर में उनका स्नेह मुझे अनवरत प्राप्त होता रहा। वे हमेशा कहते थे कि मैं पीछे रहकर तुम्हारी मदद करूंगा आखिर कोई पीछे भी तो

होना चाहिए, सबकी इच्छा आगे आने की रही तो ये संघ नहीं चल पाएगा।

आदरणीय के व्यक्तित्व के सामने हर पद लघु ही रहा जब वे चुनाव अधिकारी रहते तो निष्पक्ष और निर्भीक बिना लाग लपेट के किसी को भी गलत कहने से, गलत करने से रोक देना उनके फौलादी व्यक्तित्व की प्रथम पहचान थी। युवा पीढ़ी को

सम्मान और स्नेह देना मैंने उनसे ही सीखा। संघ के प्रति उनका समर्पण, पद के प्रति उनकी अनासक्ति और सबके प्रति संबुद्धि विचार उनको महान बनाते थे, लेकिन ईश्वर की लीला ने उनको परमधाम में स्थान दिया वे जहां भी होंगे हम सब पर उनका आशीष रहेगा। उनकी प्रेरणा ही हमें संघ के कार्यों में सफलता देगी। उनका सानिध्य मेरे लिए अमूल्य था...

अश्रुपूरित श्रद्धांजलि



(नरेन्द्र विक्रम सिंह)

प्रांतीय महासचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

है। शायद अच्छे व्यक्तियों की उसे भी आवश्यकता

है इसी लिए उन्हें जल्द बुला लेता है।

आते हैं सभी जहां में रोते हुए

पर कुछ लोग सब को रुला जाते हैं

बिरले ही होते हैं वो लोग

जिनके जानें के बाद भी

लोग उनके लिए आंसू बहाते हैं।

ईश्वर, नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को अपने
चरणों में स्थान प्रदान करें, ऐसी महान विभूति
को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि
नमन करता हूं।



आरणीय नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को श्रद्धांजलि देने
के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्या बताऊं
क्या खोया आप को खोकर। सरल, सहज,
सौम्य छवि अदम्य साहस से भरी परमार्थ को
तत्पर सदा अनुजों पर स्नेह लुटाते अग्रजों को
सर नवाते, ईश्वर भी कभी कभी अन्याय करता
है आप जैसे व्यक्तित्व को इतनी जल्दी छीन लेता



(अभिषेक सिंह)

वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ,
उत्तर प्रदेश

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

न्यायिक परिवार ईकाई जौनपुर के हृदय सम्राट
स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र के स्वर्गवास की
श्रद्धान्जली में अर्पित सुमन :-



हर सुमन का सुरभि से, यह अनलिखा अनुबन्ध।
अनिल को सौपे बिना यदि मैं झरू सौगन्ध।।
उत्कृष्ट व्यक्तित्व के महाधनी अपने असीमित
अनलिखित अनुबन्धों की सुरभि से च्युत कर हम
न्यायिक परिवारीजनों से विदा हो गये, संभवतः
विधाता के लिए आपकी उपयोगिता कहीं और
विलक्षण उपयोग के लिए प्राविधानित रही हो।
मुनहु भरत भावी प्रबल, विलख कहेउ मुनिनाथ।
हानि लाभ जीवन मरन जस अपजस विधिहाथ।।

हम न्यायिक परिवारीजन विधाता के विधि विधान
से अनभिज्ञ होकर भी निजी स्वार्थवश हानि-लाभ,
जीवन-मरन, जस-अपजस की कामना की पूर्ति

हेतु अपने अभिन्न भाई के स्वर्गवास पर लुटा
हुआ अनुभव कर रहे हैं, जो वास्तवित
श्रद्धान्जली नहीं है।

महान व्यक्तित्व के धनी आदिगुरु
शंकराचार्य, स्वामी विवेकानन्द आदि बहुत से
महापुरुष अल्पकालावधि में ही काल के गाल में
कवलित हो गये। विधाता महान आत्माओं से
विलक्षण कार्य सम्पादित कराना चाहता है संभवतः
इसीलिए हमारे पारिवारिक भाई को अल्प
कालावधि में अन्यत्र नियोजित कर लिया।

हम सभी न्यायिक परिवारीजन परमात्मा से
प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत अभिन्न हृदय
सम्राट भाई स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र की आत्मा
को विशेष विलक्षण कलेवर प्रदान करें।

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाति नरोपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयाति नवानि देही।।



(अजय नारायण शुक्ल)

प्रशासनिक अधिकारी

जनपद न्यायालय, कानपुर देहात।

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

भावपूर्ण श्रद्धांजली



अर्पित श्रद्धा सुमन तुम्हें है
जाने वाले नमन तुम्हें है
अपने पूरे अनुमंडल में
कीर्ति तुम्हारी अजर अमर है
था तेरा **उद्घोष** अनोखा
जीता तुम ने सतत समर है

आज अचानक याद कर रहा अश्रु
भरा हर नयन तुम्हें है

तेरा था व्यक्तित्व निराला
नहीं किसी से वह डरता था
समय परिस्थिति आ जाने पर
वह अद्भुत लीला करता था

जिन सपनों को पाला तुम ने
देख रहा हर सपन तुम्हें है

अपने पूरे कर्म जगत में
तुम ने कीर्ति ध्वजा फहराई
ईश्वर की थी प्रबल चेतना
जो तेरे मन में लहराई

आज हृदय के करुण भाव का
अर्पित सारा कथन तुम्हें है
अर्पित श्रद्धा सुमन तुम्हें है
- वियोगी



(सर्वदेव चौबे)

प्रांतीय संगठन सचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

सार्वजनिक जीवन के मार्गदर्शक-नरेन्द्र प्रताप मिश्र



आदरणीय अग्रज स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी के असामयिक निधन से न्यायिक कर्मचारी परिवार की जो अपूरणीय क्षति हुई है, उसकी पूर्ति लगभग असम्भव है। उनका व्यक्तित्व अपने आप में लोक व्यवहार का, सार्वजनिक जीवन में व्यवहारिक निपुणता विशेष कर विनम्रतापूर्ण व्यवहार व मितभाषी वाकशैली की एक गतिमान पाठशाला थी। हमारे मध्य के जो भी साथी उनके सम्पर्क में रहे होंगे वे निश्चित ही मेरी बात से सहमत होंगे। अवसर और परिस्थिति के अनुसार यथा आवश्यक वार्ता, व्यवहार, सलाह, सहयोग उनके विराट व्यक्तित्व की खास विशेषता रही साथ ही वह इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनके वाणी और व्यवहार से कोई आहत

न हो। वास्तव में उनके अन्तर्मन में सभी अपनों के लिए आत्मीयता का भाव था। अपने इसी गुण के कारण वह सोशल मीडिया पर अति सक्रिय रहने के स्थान पर व्यक्तिगत सम्पर्क और वार्ता में ज्यादा विश्वास करते थे और साथियों को प्रत्यक्ष एक दूसरे से मिलकर कुशलक्षेम जानने और सम्भव सहयोग के लिए प्रेरित करते रहते थे। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले सभी उनके व्यक्तित्व से किसी न किसी रूप में प्रभावित रहे हैं। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हम सभी अपनों के लिए आत्मीय बने यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धान्जली होगी।

उच्चतम माननीय गुणों के प्रेरणास्त्रोत
महामना व्यक्तित्व को विनम्र प्रणाम के साथ
भावपूर्ण श्रद्धान्जली।



(बुजकिशोर शर्मा)

शाखा-अध्यक्ष

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ०प्र०

शाखा-श्रावस्ती

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

नरेन्द्र प्रताप मिश्र- एक

अद्वितीय व्यक्तित्व

यूँ तो तिरपन वर्ष की आयु तक अध्ययन-अध्यापन, राजकीय सेवा व दैनिक सामाजिक जीवन में बहुत सारे महामानवों के अदुभुत, निराले व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया है, पर जौनपुर जनपद न्यायालय में तृतीय श्रेणी संवर्ग में कार्यरत और दशकों से जौनपुर के कर्मचारी साथियों का नेतृत्व करने वाले आदरणीय अग्रज नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी के व्यक्तित्व की छाप कुछ अलग ही है। अभी विगत बाराबंकी अधिवेशन के कुछ दिन पूर्व ही मैं उनके सम्पर्क में आया लेकिन इस अल्पकाल में ही आदरणीय अग्रज श्री नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी के व्यक्तित्व को जितना समझ पाया उनके हिमालयी व्यक्तित्व में जिन मानवीय गुणों के दर्शन मुझे हुए उन गुणों को शब्दों में बाँधना, शब्दों से परिभाषित करना सरल कार्य नहीं है।

न्यायकर्म से जुड़े प्रदेश के ख्याति प्राप्त परिवार का सदस्य होने के बाद भी उनकी विनम्रता, उनका धैर्य, अभिमान रहित सदाशयी व्यवहार, जीवन की व्यस्तताओं में से भी अपने लोगों के लिए समय निकालकर कुशल क्षेम लेते रहना, समस्याग्रस्त अपने निकटस्थ को यथोचित राय देना, सम्भव हर प्रकार की सहायता को तत्काल उपलब्ध कराने को तत्पर रहना आदि कुछ ऐसी विशेषताएं उनके

व्यक्तित्व में समाहित थी कि उनका व्यक्तित्व एक व्यक्ति का व्यक्तित्व न होकर मानवीय मूल्यों और मानवता को समर्पित एक संस्था एक आत्मीयता, बहुत्व और सकारात्मक ऊर्जा के संजीवनी को निरंतर प्रवाहमान बनाये रखने वाली प्रेम गंगा थी, जो अविरल गति से समभाव से पास आने वाले प्रत्येक को अपने प्रेममयी वाणी से, आत्मीय सम्बोधन से अपने अनुभवों के आदान प्रदान से सदैव प्रेरित करने, ऊर्जावान बनाये रखने के प्रयास में यथोचित मार्ग पर, कर्तव्य पथ पर अडिग होकर



चलते रहने के लिए मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध करने में सतत प्रयासरत रहते थे। यह उनका अपने से जुड़े लोगों के लिए सहृदयता और स्नेह ही था कि मेरे चोटिल बच्चे के इलाज के दौरान उन्होंने जौनपुर से लखनऊ अस्पताल आकर उसके इलाज की स्थिति का

जायजा लिया और अपना आशीष प्रदान किया, साथ ही अनवरत लगभग हर तीसरे दिन उसका कुशल क्षेम लेते रहे और यथा आवश्यक अपना सुझाव देते रहे।

आदरणीय अग्रज मिश्र जी संगठन को जमीनी रूप से मजबूत करने के सदैव पक्षधर रहें। बातचीत में अपने अनुभवों को साझा करते हुए इस बात पर हमेशा बल देते थे कि कर्मचारी साथियों खासकर जो संगठन के माध्यम से साथियों की सेवा का भाव रखते हैं, अपने जिले के साथ-साथ प्रदेश के अन्य सभी जिलों के साथियों से आवागमन बनाये

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

रखते हुए आपसी संवाद, सहयोग और सामंजस्य व समन्वय का प्रयास बनाये रखना चाहिए वे बताते थे कि वे सांगठनिक दायित्व के निर्वहन में अन्य जिले के साथियों को चिट्ठियाँ लिखा करते थे और समय निकालकर यात्रा करके साथियों की एकता, सौहार्द और संगठन की मजबूती का प्रयास करते रहते थे। वर्तमान में एक जिले के साथियों प्रान्तीय व जिला पदाधिकारियों का दूसरे जिले के साथियों, पदाधिकारियों के मध्य प्रत्यक्ष भेंट, संवाद और वार्ता की कमी से साथियों के मध्य आयी भावनात्मक दूरी से बहुत चिन्तित रहते थे और प्रत्यक्ष संवाद, समस्या निवारण में सहयोग और सहभागिता के लिए प्रेरित करते रहते थे।

वे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संगठन और सामाजिक हित को सदैव वरीयता देने के पक्षधर रहे। अपने इसी भाव के चलते प्रदेश के साथी कर्मचारियों का एक सर्वमान्य और सर्वप्रिय चेहरा होते हुए भी अपनी इस छवि का कोई अनुचित लाभ लेने का प्रयास नहीं किया। संगठन की मजबूती के लिए वे संगठन में खुले लोकतांत्रिक कार्यशैली के पैरवीकार रहे। वे प्रायः बताते थे कि वे और बड़े भाई श्री श्याम सुन्दर सिंह जी, श्री अमर बहादुर सिंह व अन्य समकालीन पदाधिकारी एक साथ ही प्रान्तीय सम्मलेन व बैठकों में सहभागिता के लिए जाते, रास्ते में साथ ही जलपान व भोजन करते, पर सम्मलेन में सभी लोग अपनी स्वतंत्र राय बिना किसी दबाव के रखते, आवश्यकतानुसार आलोचना भी करते और बैठक समापन के पश्चात् फिर उसी आत्मीयतापूर्ण सरसता को बनाये रखते हुए वापसी करते। मंच की एक दूसरे के विरुद्ध

बोलने, राय रखने, आलोचना करना मनभेद नहीं बना पाता था यह थी सांगठनिक परिपक्वता।

अंत में मैं यही कहूँगा कि आदरणीय अग्रज श्री नरेन्द्र प्रताप मिश्र जैसा व्यक्तित्व संवर्ग के साथियों के लिए दैवीय कृपा से मिली एक उपलब्धि थी। मिश्र जी सम्भवतः पहले ऐसे सेवारत कर्मचारी रहे हैं जो पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सेवारत से सेवानिवृत्त तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने प्रेमसुधा बरसाने वाले चमत्कारी व्यक्तित्व से एक साथ सभी संवर्गीय साथियों के श्रद्धापात्र रहे। उनका निर्विकार, निर्लोभी, निर्हकारी, ज्ञानपुंज होते हुए संवर्गीय साथियों के लिए पदाधिकारियों के लिए एक प्रेरणापुंज के रूप में प्रेरणा प्रदान करता रहेगा और उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करता रहेगा। इसी भाव से उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन और अध्ययन करके उनके गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करना उन्हें हम सभी की सच्ची श्रद्धान्जलि भी होगी।

शत्रु-शत्रु नमन के साथ भावपूर्ण श्रद्धान्जलि।



(राम चरित मिश्र)

जिला एवं सत्र न्यायालय
श्रावस्ती

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

बन्धुत्व और आत्मीयता को समर्पित व्यक्तित्व नरेन्द्र प्रताप मिश्र।

नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी का व्यक्तित्व स्मरण होते ही एक ऐसे स्थिर प्रज्ञ, प्रेम पथिक, मृदुभाषी चुम्बकीय व्यक्तित्व का अहसास होता है जो पारस्परिक प्रेम, आत्मीयता और सद्भाव के मानवीय गुणों से संवर्गीय साथियों सहित सम्पूर्ण समाज में सबका चिंतन, सबसे प्रेम और सबके

कल्याण के भाव के प्रति समर्पित रहकर समाज निर्माण को व्याकुल और तत्पर हो। उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। विभागीय तंत्र, कार्यप्रणाली और इसके व्यवहारिक पहलू के साथ-साथ सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र के प्रत्येक सामयिक घटनाक्रम का गहन अनुभवपरक ज्ञान और जानकारी होने, व्यक्तिगत स्तर पर साथियों के बीच अपनी व्यवहारिक कुशलता से सर्वप्रिय होने, विभागीय पहुंच में प्रभावी एवं समर्थ होने के बाद भी उनके संबोधन में वार्ता में कोई दबंगई, कोई कुर्तक, कोई दुराग्रह कभी नहीं देखा गया। कभी कभी संवर्गीय ग्रुपों पर साथियों के मध्य संवाद और विमर्श की स्थिति बिगड़ने की संभावना पर ही व्हाट्सएप ग्रुपों पर अपनी



उपस्थिति दर्ज कराने, शांत संयम मर्यादित और संक्षेप में अपनी बात रखकर उसे मानने, न

मानने का भार हम आप पर छोड़कर नेपथ्य में चले जाते थे। यों तो बहुत से व्यक्तित्व जीवन में आये पर नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी जैसा अच्छाई, प्रेम, मानवता और पारस्परिक सद्भाव को समर्पित व्यक्तित्व, संवेदनशील व्यक्तित्व नहीं मिल सका। कर्मचारीहित में रखे गये निर्विकार, निर्विवाद विचारों को उन्होने सदैव

प्रोत्साहित किया। उनका असमय अपने बीच न रह जाना बहुत ही दुःखद और हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है।

उन्हे शतः शत प्रणाम एवं भावपूर्ण श्रद्धांजली।



(विवेक द्विवेदी)

प्रधान सहायक
जनपद न्यायालय, श्रावस्ती

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

॥ विनम्र श्रद्धांजलि ॥

दिनांक 25/07/2022 को जब जनपद न्यायालय जौनपुर के अध्यक्ष व पूर्व प्रांतीय संगठन सचिव आदरणीय श्री नरेंद्रप्रताप मिश्र जी के निधन की सूचना मिली तो मन बहुत व्यथित हो गया की हमने अपने बीच से एक कर्मठ और कर्मचारी हितों के लिये सदैव आगे रहने वाले साथी को असमय खो दिया, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। श्री मिश्र जी का निधन एक अपूर्वनीय क्षति है।

विनम्र श्रद्धांजलि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।



(अखिलेश्वर तिवारी)

अध्यक्ष

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ०प्र०
शाखा-हमीरपुर

पण्डित नरेंद्र प्रताप मिश्र जी को सादर नमन, आप हमारे बीच एक अभिवावक के रूप में थे, आपकी रिक्तता की भरपाई संभव नहीं। आप ने अपनी सेवा हमारे बीच जनपद रायबरेली से शुरु की व बाद में अपने गृह जनपद जौनपुर में सेवा की व सबके प्रिय रहे, आपका स्नेह अनवरत सभी के प्रति समभाव रूप से रहा। जौनपुर जनपद के एक सम्मानित परिवार से होने के नाते आपके अंदर एक स्वाभाविक गरिमा थी। आपका जाना दुखद था।

॥ विनम्र श्रद्धांजलि ॥



(राजीव मिश्र)

सह-संरक्षक

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०
शाखा-रायबरेली

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

जनपद न्यायालय जौनपुर में कार्यरत आदरणीय नरेन्द्र प्रताप मिश्रा जी का आकस्मिक निधन न्याय विभाग उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अपूरणीय क्षति है, आदरणीय मिश्र जी बहुत ही नेक दिल एवम् कर्मचारी हितैषी व्यक्तित्व थे। जनपद न्यायालय में कार्यरत सभी संवर्ग के कर्मचारियों के वे सदैव श्रद्धापात्र रहे। उनका निःस्वार्थ, निर्विकार, निर्लोभी, निर्हकारी स्वभाव सदैव हम सभी की मध्य प्रेरणापुंज के रूप में प्रेरणा प्रदान करता रहेगा।

आदरणीय मिश्रा जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

॥ विनम्र श्रद्धांजलि ॥



(विनय कुमार शुक्ल)

प्रांतीय उपमहासचिव

चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश।

॥ विनम्र श्रद्धांजलि ॥

एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा ।

आँख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा॥

न्यायिक जगत में चमकता एक ऐसा तारा जो हमें अब नहीं दिखेंगे। विराट व्यक्तित्व वाले स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्रा सर का जाना न्यायालय परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। श्री मिश्र जी का सानिध्य समस्त न्यायिक कर्मचारियों के लिए वट वृक्ष की छाया की भांति था। आप सदैव हमारे दिलों में रहेंगे।



(मनीष पाण्डेय)

जनपद न्यायालय, गाज़ीपुर

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित



सबके दुख में साथ रहे जो संघ के थे स्तंभ,
संघे शक्ति सर्वदा के वह विराट अवलंब।
हे प्रकृति लीन स्मृति में आपकी प्रेमांजलि,
अश्रुपूर्ण नेत्रों से हम दे श्रद्धांजलि।
पुष्पवाटिका स्मृतियों की सदा खिलेगी,
आपसे आशीर्वाद प्रेरणा सदा मिलेगी।
नियम प्रकृति का सबको है आना और जाना,
आपकी प्रेरणा से है अब कर्तव्य निभाना।



(श्रीभागवत शुक्ल)

प्रांतीय संयुक्त सचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ
उत्तर प्रदेश

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

आदरणीय नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी हमारे प्रदेश के एक सौम्य और व्यवहारिक कर्मचारी नेता एवम संघ के मजबूत स्तम्भ थे। वे कर्मचारी हित में हमेशा तत्पर रहने वाले शानदार व्यक्तित्व के स्वामी थे, उनकी कमी निकट भविष्य में कोई पूरा नहीं कर सकता। न्यायिक परिवार के इतिहास में उनका नाम हमेशा ध्रुव - तारे की तरह चमकता रहेगा। आदरणीय नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।



(अश्वनी शर्मा)

अध्यक्ष
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ०प्र०
शाखा-सहारनपुर
संचालक फूडबैंक, सहारनपुर

स्व० श्री नरेन्द्र प्रताप मिश्रा जी से मेरी विभिन्न विषयों पर दूरभाष पर अक्सर बातचीत होती रहती थी। पिछले प्रांतीय अधिवेशन के चुनाव में मेरी आपसे मुलाकात और कर्मचारियों के हित के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई थी। निश्चित ही वह विराट और ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका असमय जाना दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ की अपूरणीय क्षति है। उनके विचार उनकी यादें सदैव हम लोगों को बिना किसी भेदभाव के कर्मचारी हित में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी।



(प्रदीप चंद्र शुक्ला)

डीएसए/सहायक प्रशासनिक लिपिक
जनपद न्यायालय गोंडा

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित



ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अपने पीछे अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलो-दिमाग में घर किए होती हैं। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के दिवंगत अध्यक्ष श्रद्धेय स्व० श्री नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। श्री मिश्र जी का ऐसे अकस्मात हमें छोड़कर जाना न केवल मेरी व्यक्तिगत क्षति है अपितु दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ जौनपुर के साथ ही प्रदेश संघ ने भी अपना एक मजबूत स्तंभ खो दिया है। लगभग 03 वर्षों तक श्री मिश्र जी के साथ कार्य

करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस दौरान मैंने यह देखा कि श्री मिश्र जी अपने समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के पुत्रवत् स्नेह देते थे तथा अनवरत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करते रहते थे।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री मिश्र जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें।

“रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई
तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई”



(सुधीर पाण्डेय)

पूर्व कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, जौनपुर
वर्तमान नियुक्ति : कनिष्ठ सहायक
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

॥ स्मृति शेष ॥



जनपद न्यायालय जौनपुर के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान नरेन्द्र प्रताप मिश्र के सम्बंध में जब दिनांक 25/07/2022 को सूचना प्राप्त हुई की आदरणीय मिश्रा जी इस भौतिक संसार को छोड़ कर ब्रम्हलीन हो गये हैं, तो बहुत दुःख का अनुभव हुआ की प्रदेश के न्यायिक परिवार से एक ऐसा व्यक्ति अपने बीच से सदैव के लिये शान्त हो गया जो अपनी कार्यकुशलता व कर्मठता से कर्मचारी हितों के लिये दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ का चाहे प्रदेश का पटल हो या जनपद इकाई का पटल हो ईमानदारी से संघर्षरत रहे। आदरणीय मिश्रा जी ने अपने जीवन काल में जिस संवेदनशीलता से कर्मचारी समस्याओं के

लिये अपना मत रखा और निस्तारण हेतु संघर्ष किया वैसी ही संवेदनशीलता उनके जीवन में सामाजिक विषयों पर भी देखने को मिलती रहती थी।

आदरणीय मिश्रा के असामयिक निधन से हम कर्मचारियों ने एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व को अपने बीच से खोया था जो प्रदेश के कर्मचारियों के लिये एक अपूर्णीय क्षति है।

उद्घोष त्रैमासिक ई-पत्रिका में अपने कर्मचारी साथी को जो श्रद्धांजलि सम्पादक मंडल द्वारा देने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिये पत्रिका के आदरणीय सम्पादक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद व आभार।

अपने दिवंगत साथी आदरणीय मिश्र जी को
सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।



(हरिशरण मिश्र)

जनपद न्यायालय, हमीरपुर

स्व० नरेन्द्र प्रताप मिश्र जी को समर्पित

है नमन नरेंद्र को, नेतृत्व के थे जो धनी।
मन भरा सद्भाव इतना, कौन जिससे न बनी ?
प्रांत के सचिव रहे, ताप खुद का खुद सहे।
साथियों के साथ को जो, साथसाथ ही बहे।
जिंदगी में जो किया, शान से भरा रहा।
सबको सुख की छाँव मन, वृक्ष सा हरा रहा।
आँख के तारे अटल, सच में तारे हो गए।
पहले कम क्या प्यार था, और प्यारे हो गए।



अटल राम चतुर्वेदी

वैक्तिक सहायक

जनपद न्यायालय, मथुरा

आदरणीय नरेंद्र प्रताप मिश्र जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि



बस तुम छोड़ गए
अभी तो सब बचा था
फिर भी चले गए
तुमने जिया ही क्या था
कैसे दोषी हो गए
व्यक्तित्व जिंदा है
पर तस्वीर हो गए
बस तुम छोड़ गए
अभी तो सब बचा था
मुस्कुराते अपने चेहरे
संग

सबको दुखी कर गए
याद में तो हमेशा रहोगे
शरीर संग साथ छोड़ गए
आस थी सबको
वो भी तोड़ गए
न जाने क्या मजबूरी थी
सब कुछ छोड़ गए
लगाव सबसे न होती,पर
तुमसे लगाव को क्या कहे
लगता है जैसे अंग भंग
और शरीर शिथिल हो गए
पता नहीं समय पूरा हुआ
या घड़ी घड़ी खो गए
कोई जानकारी नहीं है
बस तुम छोड़ गए
किस्मत से कोई नहीं लड़ता



पर उसने की बेईमानी है
सामने होता तो कहता
किस्मत, तुम चोर हो गए
क्यों न सोचा सब साथ है
अकेले निकले और
बस तुम सब छोड़ गए
शिकायत तो बहुत है
पर दुआ करूंगा
ऊपरवाले से चरणों में
मेरे दोस्त को जगह दे
और मेरे शब्द मन भी दुखी है
और इससे ज्यादा क्या कहे।
बस तुम छोड़ गए
सब तुम छोड़ गए।



मारुति
वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, वाराणसी

पापा तुम्हे शांति मिले

है हृदय व्यथित और मन कुंठित
हर वक्त कमी अब रहती है।
गला भरा, स्वर रुंधे हैं
आंखों की नमी ना मिटती है।

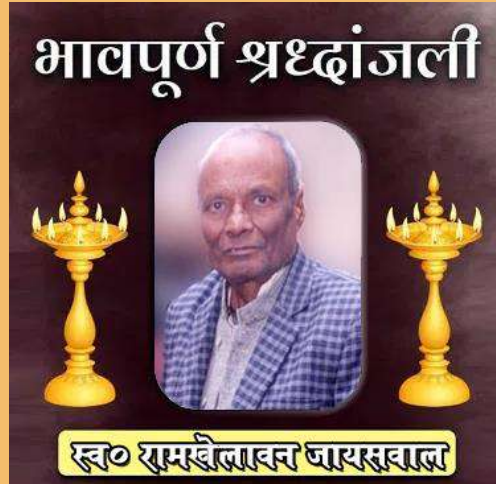
तुमसे सीखा जीवन जीना,
तुमसे मिली ये काया,
धैर्य, परिश्रम, परसेवा का
पाठ तुम्ही ने सिखलाया।

हर व्यथा, परिस्थिति में
तुमको
प्रति पल हमने मुस्काते देखा,
हमसब की उन्नति के खातिर
धूप-छांव से लड़ते देखा।

हम सबके सुख की खातिर
अपने सुखों का त्याग किया,
कभी किसी का अहित न सोचा
फिर ईश्वर ने क्यों अन्याय किया।

छोड़ गए यूं आशाएं सारी
बिखरे ख्वाब हैं सारे,
अश्रु लिप्त आंखे दर्शन को
तुम्हरी राह निहारे।

रो-रो मां का हाल बुरा है,
कैसे उनको समझाएं,
बहने जिंदा लाश हो चुकी
कैसे सबर सब कर पाएं।



विधि के लिखे को मिटा देते
यदि चलता जोर हमारा,
पिता रूप में पाकर तुमको
हुआ जीवन धन्य हमारा।

रहे साथ तुम जब तक
क्या होता दुःख दर्द ना
जाना !
जिस दिन से अब पास नहीं
हो
मूल्य तुम्हारा पहचाना।

पुनर्जन्म यदि संभव है
फिर पिता तुम्ही को पाऊं,
एक जन्म क्या तुम पर तो
शत कोटि जन्म वारी जाऊँ।

है यही प्रार्थना ईश्वर से
अब जहां कहीं भी हो तुम
शांति मिले पुण्यात्मा तुमको
चरणों में शत कोटि नमन।



मेरे पूज्य पिताजी
(स्व० रामखेलावन जायसवाल) के
श्री चरणों में समर्पित,
अश्रूपूर्ण श्रद्धांजली।

नगेन्द्र कुमार जायसवाल
जनपद सीतापुर, उ०प्र०

उठ गई हैं सामने से कैसी कैसी सूरतें
 रोइए किस के लिए किस किस का मातम कीजिए
 मृत्यु अटल सत्य है और यह शरीर नश्वर है,
 यह जानते हुए भी अपनों के जाने का दुःख होता है,
 भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि
 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
 न चौरं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।
 जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदलें सभी।
 यों जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी।।
 आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं
 सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं
 तात्पर्य है कि यह आत्मा न तो कभी शस्त्र द्वारा खण्ड
 खण्ड की जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाया जा
 सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया
 जा सकता है और हम सब जानते भी हैं कि यह
 संसार का नियम है भगवान की बनाई हुई दुनिया है
 जिसमें जो एक बार जो जीव आता है उसको ईश्वर
 के श्री चरणों में अपना समय पूरा होते ही जाना पड़ता
 है यह निश्चित बहुत दुखद घटना होती है क्योंकि
 अपने जीवन काल में उन समाज में अपनी एक ऐसी
 भूमिका अपने परिवार, समाज और कर्मक्षेत्र भूमि में
 बनाई है जो उसके अनायास न रहने पर उसकी यादें
 बनकर लंबे समय तक बनी रहती हैं। लेकिन इसमें
 हम सब कुछ नहीं कर सकते यह ईश्वर की रचाई
 लीला है जिसमें हमें कुछ समय के लिए धरती पर
 अपना कर्म करने के लिए आते हैं और जैसे ही हमारे
 कर्म पूरे होते हैं वैसे ही ईश्वर हमें अपने घर पर बुला
 लेते हैं। जख्म तो वक्त से साथ भर ही जायेंगे, लेकिन
 जो हमें छोड़ कर हमेशा - हमेशा के लिए किसी दूसरे

जहाँ में चले गए वे अब वापिस कैसे लौट कर
 आयेंगे।

आइए हम अपनी भावपूर्ण नमन श्रद्धांजलि
 उन सभी दिवंगत आत्माओं को प्रदान करते हैं जो
 प्रदेश की न्याय पालिका में हमारे आपके साथ अपने
 जीवन काल में हम सबसे किसी न किसी रूप में जुड़े
 रहे चाहें वो संघठन की भूमिका में शीर्ष पर रहे हों
 अथवा उस संघठन के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से
 सहयोगी बने हों। भूमिकाएं किरदार सबके अलग अलग
 भले हो सकते हों, कर्मक्षेत्र किसी भी जनपद का हो
 सकता हो पर वो हमारे न्यायिक परिवार के अभिन्न
 अंग बन कर हम सबके भाई - बहिन, पूज्य अथवा
 अनुज जरूर रहे हैं।

अपने श्रद्धा सुमन भावनाओं के पुष्पों में उन
 सभी के नाम अंकित करना मेरी अक्षमता है परन्तु
 उनकी आत्माओं का सम्बंध मेरी आत्मा से जरूर है
 और आज वे सभी इस श्रद्धांजलि पुष्प गुच्छ में हैं।

आज वो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन, पर हम
 सब भगवान से अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह
 उनकी आत्मा को शांति दे। 'भले समय ने आपको
 हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया है मेरे आंसू तो
 यही कहेंगे'

बड़े शौक से सुन रहा था जमाना,
 तुम ही सो गए दास्तां कहते-कहते



(राजेन्द्र जौहरी)

सेवानिवृत्त
 मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
 जनपद न्यायालय, उन्नाव।
 पूर्व मार्गदर्शक, दीवानी न्यायालय
 कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश

भावपूर्ण श्रद्धांजली



भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन सभी साथियों को जो कुछ समय पहले तक हमारे साथ थे, रोज मिलते थे हंसते थे, सुख दुख के साथी थे लेकिन ईश्वर का विधान जिसके आगे हम असहाय हैं। आप सबका होना और न होने में बहुत कुछ बदल गया।



डॉ० नृपेन्द्र सिंह

प्रांतीय अध्यक्ष

बदल गई परिवार की परिस्थितियां बदल गया सब कुछ
आपका जाना बहुत पीड़ा दायक है। आप सबकी जगह
हमेशा खाली ही रहेगी, हमारे दिलों में आप थे आप है
और आप रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि.....



नरेन्द्र विक्रम सिंह

प्रांतीय महासचिव

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश

उद्घोष हमारी सोच थी, पर क्रियान्वयन है हमारे कलमकारों की रोशनाई का। आपकी कलम की रोशनी से रोशन है, हमारा उद्घोष । बहुत कठिन होता है, सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ का चयन ; फिर भी करना पड़ा। हर लेखक हमारे लिए अमूल्य हैं। आपकी लेखनी और लेखन शैली अद्भुत है अतुल्य है। हम अकिंचन आपको कुछ प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि लेखक माँ सरस्वती का पुत्र होता है और माँ के पुत्र के पास सर्वस्व होता ही है, हम और हमारा उद्घोष आपसे ही है।

कुछ रचनाकार जिनकी रचनाएं कालजई प्रतीत हुई उनके सम्मान में हम उनकी प्रशंसा करते हुए **प्रशस्ति पत्र** प्रदान कर रहे हैं, स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करे :-



श्री राजेश तिवारी

समीक्षा अधिकारी (हिंदी)
मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ
रचना :- यात्रा



श्री अजय नारायण शुक्ल

प्रशासनिक अधिकारी
जिला न्यायालय, कानपुर देहात
रचना :- न्यायपालिका में कर्मचारी की भूमिका व स्थिति



श्री राजेश बंसल

वरिष्ठ सहायक
जिला न्यायालय, मथुरा
रचना :- उद्घोष, त्रैमासिक ई-पत्रिका



श्रीमती मोनिका शर्मा

बिल कर्लक
जनपद न्यायालय, गौतमबुद्धनगर
रचना :- माँ



श्री नीरज मणि त्रिपाठी

वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, बस्ती
रचना :- न्यायालय में कर्मचारियों का कौन



श्री अभिषेक श्रीवास्तव

वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, गोरखपुर
रचना :- शंखनाद



सुश्री नूर जहां

वरिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, जालौन
रचना :- पुरानी पेंशन



श्री शिवम श्रीवास्तव

कनिष्ठ सहायक
जनपद न्यायालय, मिर्जापुर
रचना :- फिर से उठना जानता हूं मैं



सुश्री अंजू सागर

वाद लिपिक
जनपद न्यायालय, बस्ती
रचना :- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ,
उत्तर प्रदेश

प्रांतीय महारासम्मेलन

दिनांक : 27 नवम्बर, 2022

स्थान : प्रयागराज, उ०प्र०

में आप सभी सादर
आमंत्रित हैं



पंच-पर्व यथा धनतेरस,
नरक चतुर्दशी, दीपावली,
गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज
के पावन अवसर पर समस्त न्यायिक
कर्मचारीगण को
ढेरों बधाई व हार्दिक
शुभकामनाएँ